खण्ड-466, अंक-7
गुरुवार, 15 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1929
(6 दिसम्बर, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2007)

खण्ड 466 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन (सेन्ट्रल हाल) में संसद की भांति बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ अन्य महापुरुषों के चित्र लगाकर महत्वपूर्ण तिथियों पर उन्हें माल्यार्पण किये जाने सम्बन्धी नियम-110 के अन्तर्गत सदन का ध्यानाकर्षण	1-2
प्रश्नोत्तर	2-102
बाबा भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु नियम-110 के अन्तर्गत शासन का प्रस्ताव	103-104
सदस्यों द्वारा अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं पर पीठ का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास	104-105
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	105-108
जनपद गाजीपुर में मोहम्मदाबाद-महेन्द्र ग्राम के निकट मगई नदी पर निर्मित पुल के दोनों ओर एप्रोच (पहुंच मार्ग) न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गन्ना पेराई सत्र 2007-2008 हेतु कतिपय गन्ना क्रय केन्द्रों को शेरमऊ सहारनपुर से हटाकर ऊन शुगर काम्पलेक्स को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108-109
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत सस्ते गल्ले की प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न ब्लाक गोदाम प्रभारियों व पूर्ति निरीक्षकों द्वारा ग्रामीण कोटा वितरकों को कम दिये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	109
वाराणसी में दिनांक 26/27 नवम्बर की रात्रि की घटना को कवर करने गये पत्रकारों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109-110
नगर निगम अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बिजनौर के ग्राम सभा इस्लामपुर साहू में पुलिस द्वारा वर्ग विशेष (जाटों) के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण कार्यवाही समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110-111
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के अन्तर्गत परसिया घाट पर निर्माणाधीन पुल के रुके कार्य को पुनः प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
जनपद बुलन्दशहर के निवासी देवीपुरा प्रथम वार्ड-16 के श्री राजू सिंह की मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत अर्सीलपुर गांव में नहर पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज बस स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद गोरखपुर के पास रोहिनी नदी पर दोमीनगढ़ में पीपे के अस्थायी पुल के स्थान पर स्थायी पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुपालन में प्रदेश की समस्त आरा मशीनों को चालू करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा विगत पेराई सत्रों के गन्ना मूल्य के अन्तर का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद कुशीनगर के रामकोला चीनी मिलों के समय से चालू न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 700 रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
जनपद सीतापुर में नवनिर्मित डालमियां शुगर्स लि0 जवाहरपुर द्वारा रजवाहा नं0 1205 पर किये गये अवैध कब्जे हटाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116

विषय	पृष्ठ-संख्या
पी0जी0आई0 लखनऊ में कतिपय कर्मचारियों की पदोन्नति करने सम्बन्धी प्रकरण की जांच कराकर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत सी0आर0एफ0 मार्ग के निर्माण में हो रहे घटिया सामग्री एवं गुणवत्ता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
शारदा सहायक परियोजना डी0पी0ए0पी0 लखीमपुर खीरी में तैनात अवर अभियन्ता द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	117-118
जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत पुवांया में स्थापित खराब विद्युत सब-स्टेशन को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रामदासपुर में गाटा संख्या-653, 654 पर सिविल जज के निर्णयानुसार स्थगनादेश का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118-119
औरैया के विधूना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्रान्तर्गत मण्डी समिति शामली थाना भवन क्षेत्र में आने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत फूलपुर तहसील के क्षतिग्रस्त जनसम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत ...	120
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का मूल्यांकन जेड स्केलिंग पद्धति से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	120-121
जनपद मिर्जापुर के जिला अस्पताल में कारडियोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी विभाग में डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद बांदा की जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के विपरीत कार्य कराने की जांच हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	121-122
बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत खरझार नाला की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत मरदह विद्युत सब-स्टेशन की जली हुई ट्रालियों एवं मशीनों को बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	122
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	122-124
प्रदेश में बाल मृत्यु दर के नियंत्रण हेतु बच्चों के टीकाकरण एवं उन्हें आवश्यक विटामिन दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	124
बिना किसी संगीन जुर्म के मामूली आरोपों में प्रदेश की जेलों में 35-40 वर्षों की लम्बी अवधि से बन्द कैदियों की रिहाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	124-125
श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा के ऊपर लगाये गये दण्डनीय आरोपों की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत कराने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	125-127
बिना किसी संगीन जुर्म के मामूली आरोपों' में प्रदेश की जेलों में 35-40 वर्षों की लम्बी अवधि से बन्द कैदियों की रिहाई के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न ...	127-128
श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा द्वारा उनके ऊपर लगाये गये दण्डनीय आरोपों की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत कराने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	128-129
गंगा एक्सप्रेस हाई-वे योजना के अन्तर्गत पचासों हजार एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा विस्तार से चर्चा कराने की मांग	129-130
लोक लेखा समिति के 16वें प्रतिवेदन में आवास-विकास विभाग में करोड़ों रुपये गबन के प्रकरण को उठाने का प्रयास	130-131
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	131
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 की विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	131-132
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	132-143
श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा, स0 वि0 स0 के ऊपर लगाये गये दण्डनीय आरोपों की विस्तृत जानकारी	143-145

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 (पारित) ...	145-148
श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा के ऊपर लगाये गये दण्डनीय आरोपों को वापस लिये जाने की मांग	148-153
उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य स0 वि0 स0 द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की जारी चर्चा का स्थगन	153
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	153-158
नगर निगम अलीगढ़ में कर्मचारियों की हो रही भर्ती विषयक श्री जमीर उल्ला की सूचना को उठाने का प्रयास	158
जिला सहकारी बैंक, सिद्धार्थनगर में गरीब किसानों की जमा धनराशि वापस दिलाये जाने की मांग	158-159
जनपद इलाहाबाद के फूलपुर के इफ्को कारखाना में श्रम कानूनों का उल्लंघन होने सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास	159
श्री सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा को उनकी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गनर दिये जाने की मांग	159-160
जनपद आगरा के जूता उद्योग को बचाने हेतु नान लेदर जूतों को वैट से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	160-161
उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के सीमा विवाद के चलते मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना स्थित गांवों के किसानों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	161-162
जनपद उन्नाव के थाना अजगैन में श्रीमती पुत्तन देवी, निवासिनी ग्राम कुसुम्भी की हत्या के बाद रिपोर्ट दर्ज न करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य..	162-163
मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पशु वधशालाओं से हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु पशु वधशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश विकल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	163-165

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ में शारदा नहर के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा अभी तक प्राप्त न होने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	165
जनपद प्रतापगढ़ के लोक निर्माण विभाग द्वारा चमरौरा नाले पर सप्तेश्वर नाथ पर स्वीकृत पुल के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	165-166
जनपद झांसी स्थित मेडिकल कालेज के न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी विभाग में रिक्त चिकित्सकों एवं स्टाफ की तत्काल नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	166-167
जनपद सिद्धार्थनगर में साधन सहकारी समितियों के बन्द होने से किसानों को बीज एवं उर्वरक समय से न मिलने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	167-168
मथुरा वृन्दावन में यमुना नदी के प्रदूषित जल की रोकथाम हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रख-रखाव का कार्य जल निगम को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	168-170
जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में ए0 पी0 तटबन्ध के किनारे बाढ़ की कटान से प्रभावित लोगों को कहीं अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	170
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर स्थित पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों हेतु शासन स्तर से धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सनातन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	170
जनपद खीरी के ग्राम सभा भौनापुर स्थित धार्मिक स्थल ठाकुर जी एवं मठ की सम्पत्तियों पर इमारती लकड़ियों के अवैध कटान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	171

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बस्ती के थाना लालगंज के ग्राम बैरवा निवासी श्री शिवकुमार की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	171-172
जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक चतुर्थ खण्ड 23 एवं लालगंज रजवाहा माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री अमेरिका प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	172
जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2005 से 2007 के मध्य सरयू नहर में की गई सफाई की जांच कराने एवं टेलों तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	172
जनपद उन्नाव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ए0 वी0 बी0 द्वारा गुणवत्ता के विरुद्ध कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	173
मथुरा वृन्दावन की नगर पालिकाओं एवं गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा आने वाले पर्यटकों से प्रवेश कर हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन ...	173
जनपद आजमगढ़ की नहरों में पानी न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	173
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	174
राष्ट्रगान	174
नत्थियां	175-188

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 339

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अर्कीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार उ हिरवार, श्री	महोबा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अर्नास अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर

ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूं
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धर्नीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव, डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हर्मारपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फर्गद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी

मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भइया" कुंवर, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ़	
धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ़	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ़	
पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़

भारत निर्वाचन आयोग

रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीर नगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र

सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	सैयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुभाष, श्री	बलिया	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	हरिओम, श्री	जालौन
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	रिक्त	मनोनीत
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	रिक्त	हरदोई

नोट–भूतत्व एवं खनिकर्म एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन (सेन्ट्रल हाल) में संसद की भांति बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ अन्य महापुरुषों के चित्र लगाकर महत्वपूर्ण तिथियों पर उन्हें माल्यार्पण किये जाने सम्बन्धी नियम-110 के अन्तर्गत सदन का ध्यानाकर्षण

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नियम 110 देखने की कृपा करें मेरा अनुरोध है कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर का निर्वाण दिवस है मान्यवर, सांसद की तरह मैने संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध किया है आपसे भी अनुरोध किया है। कुछ महापुरुषों, मान्यवर, आज ही इसे प्रारम्भ करा दें, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह या और जो हों, दलीय नेताओं की बैठक बुला लें, और जिस तरह से भारत की सांसद में होता है, एक स्वस्थ्य परम्परा है सेन्ट्रल हाल में उनका चित्र रखा दिया जाए, जो लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहें और मैं तो यह कहूंगा कि इसकी शुरुआत आपको करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, और एक आर्डर सदन की तरफ से जाना चाहिये विशेष रूप से इसकी शुरुआत आज हो जाए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर का संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उचित होगा सेन्ट्रल हाल में इसकी व्यवस्था कर दी जाये। जहां जो मा0 सदस्य जाना चाहें वह जा सकें और अपनी भावना व्यक्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था विधान सभा सचिवालय जो मा0 अध्यक्ष का सचिवालय होता है, यह व्यवस्था वह कराये तो ज्यादा उचित होगा। इसको मैं नियम-110 में लाया हूं इस पर कृपया विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी जहां तक सेन्ट्रल हाल में सभी महापुरुषों का चित्र लगाने का प्रश्न उठाया है यह सही है मैं इस संबंध में सभी दलों के नेताओं को बुलाकर बैठक कर लूंगा। आज जहां तक बाबा साहब के निर्वाण दिवस की बात है मैं भी कह रहा हूं कि बाबा साहब का सेन्ट्रल हाल में चित्र लगा दिया जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मूर्ति नहीं, चित्र।

श्री अध्यक्ष-

चित्र लगा दिया जाए। मैं भी जाऊंगा और जो सदस्य, जाना चाहें और जो महापुरुषों के चित्र लगाने की बात है इस पर सभी दल के नेताओं की बैठक कर लूंगा और जब इनके निर्वाण दिवस होंगे या उनकी अन्य महत्वपूर्ण तिथियां होंगी उस पर जाकर माल्यार्पण करने का काम किया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आज बाबा साहब का निर्वाण दिवस है। आज क्वेश्चन आवर के बाद एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव नियम-110 के अन्तर्गत हम चाहेंगे आप ले लेंगे। यहां हम उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर देंगे साथ ही साथ जैसा तिवारी जी ने कहा यहां पर चित्र लगा दें। उस पर जो मा0 सदस्य आस्था रखने वाले हैं वह जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने सेन्ट्रल हाल कहा है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी का प्रस्ताव था कि आज बाबा साहब का निर्वाण दिवस है सेन्ट्रल हाल में उनका चित्र रख दिया जाए उस पर जिनकी श्रद्धा हो वह माल्यार्पण करें। इसके अलावा जो और अन्य महापुरुष हैं उनके सन्दर्भ में भी सेन्ट्रल हाल में चित्र लगाने का विषय संज्ञान में लाया तिवारी जी ने, मैं इस पर सभी दल के नेताओं की बैठक कर लूंगा। जब भी महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं, उन महापुरुषों के सम्मान में जो भी सदस्य माल्यार्पण करना चाहेंगे, करेंगे।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज अखबारों में छपा है कि इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष-

यह कहां से आ गया ?

अब हम प्रश्न लेते हैं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्ययोजना

**1-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

जी हां।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश की जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रदेश की जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गई है, जिसमें चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, निजी तथा औद्योगिक इकाईयों के प्रयास से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस हेतु प्रदेश में गुणवत्तापरक परिवार कल्याण सेवाओं की जनमानस तक पहुंच बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से संचालित किया जा रहा है, जिसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :-

1-मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम।

2-शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से शिशु एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।

3-सकल प्रजनन दर कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम।

4-किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

* चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में वर्ष 1951 में पहल की गई, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। उसके बाद तमाम भारत सरकार से, केन्द्र सरकार से, प्रदेश सरकार से प्रयास किये गये। मान्यवर, योजनायें बहुत सारी हैं जिसके तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिये काम हो रहा है लेकिन हिन्दुस्तान की आबादी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह धरती का बढ़ता बोझ है। एक तरीके से यह बोझ बढ़ रहा है। मेरा तो यह कहना है कि जिस प्रकार पानी के जहाज में कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठ जायेंगे तो वह डूब जायेगा। यदि इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो एक दिन ऐसा आयेगा जब न देश का विकास होगा, न प्रदेश का विकास होगा, न शिक्षा होगी, न जल होगा, न खाना होगा। आज तमाम योजनायें सरकार चला रही है, मान्यवर, जो 5 राज्यों का योगदान हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ाने में है, उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भले ही अन्य चीजों में उत्तर प्रदेश का कोई भी स्थान हो, किसी भी नम्बर में आता हो लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और 55 प्रतिशत आबादी इस प्रदेश की है।

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब दिया कि जनसंख्या नीति में वर्ष 1951 से लेकर 2000 तक पहली बार इसमें संशोधन हुए। जो 2000 में जनसंख्या नीति प्रख्यापित की गई है उसमें एक लक्ष्य रखा गया है, वह लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य में इन 7 साल में क्या कामयाबी मिली है ? मान्यवर, सारी योजनायें कागजों पर हैं, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि वर्ष 2000 में जनसंख्या नियंत्रण के लिये जो नीति बनाई है उसमें लक्ष्य क्या रखा गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रदेश की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2016 तक सकल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना है ताकि 2051 तक जनसंख्या को 44 करोड़ के बजाय 26 करोड़ पर स्थिर किया जा सके।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, तमाम विभाग अपनी तमाम योजनायें चला रहे हैं। मान्यवर, एक अमेरिकी कम्पनी ने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दी है कि 2050 तक हिन्दुस्तान विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो जायेगा और चीन दूसरे नम्बर पर आ जायेगा। क्या कारण है कि सरकार बढ़ती आबादी को रोक नहीं पा रही है। नीतियां तो तमाम हैं। मान्यवर, मंगलवार को मैं एक सवाल लेकर आया था कि गंगा प्रदूषित क्यों हो रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार फर्जी आंकड़ों पर चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

कल की बात छोड़िये। इसी प्रश्न पर सवाल पूछिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, हिन्दुस्तान के 5 प्रान्तों में व्यवस्था है कि वहां पर दो बच्चे वाले ही पंचायत चुनावों में भाग ले सकते हैं। तो क्या हमारे यहां की प्रदेश सरकार भी ऐसा प्रस्ताव करेगी कि पंचायत चुनावों में केवल 2 बच्चे वालों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाये ? दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश की पंचायतों और विधान सभा में भी इसे लागू करने पर विचार करेगी। हालांकि शायद इस सवाल से विधान सभा के कुछ माननीय सदस्यों को कष्ट हो सकता है। लेकिन क्या सरकार के पास इसको लागू करने की कोई योजना है।

श्री लालजी वर्मा-

जनसंख्या नीति स्वैच्छिक है। हम सबको स्वैच्छिक ढंग से, जनजागरण करके, लोगों को प्रशिक्षित करके इस दिशा में लोगों को सचेत करने की आवश्यकता है। जहां तक माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो इसमें कहना है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। मेरा कहना है कि जबरन व्यवस्था के द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं बल्कि हम लोगों को शिक्षित करके उनमें जागृति पैदा करके परिवार नियोजन के कार्यक्रमों से परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति लड़के और लड़की के बीच में भेद के अंतर के बारे में समझा बुझाकर कि बच्चों को एक समान मानने की प्रवृत्ति होनी चाहिये, ऐसा करके ही हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं और इस समय जो जनसंख्या नीति है उसके कुछ परिणाम आये हैं लेकिन अभी हमें और अधिक लोगों को जागरूक करने का काम करना होगा, और इसमें जनप्रतिनिधियों को भी भागीदारी होनी चाहिये। हम सबको मिलकर काम करने से ही इस बारे में कोई प्रभावी परिणाम सामने आयेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां तक कार्ययोजना का सवाल है इस बारे में सरकार ने कोई नई कार्ययोजना के सन्दर्भ में सदन को कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है। जो पुरानी कार्ययोजना अब तक प्रचलित है उससे जनसंख्या वृद्धि की दर में अभी नियंत्रण नहीं हो पाया है। जो पुरानी कार्ययोजना है वह सफल नहीं है।

मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि यह समस्या प्रदेश की सर्वाधिक गम्भीर समस्या है और जैसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि लगभग 44 करोड़ के आस-पास यह आबादी जा सकती है या 44 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है। मान्यवर, भविष्य को देखते हुए आज की जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए क्या सरकार, मैं बिल्कुल सरकार की इस बात से सहमत हूं कि इसमें कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, शिक्षा का ज्ञान देकर ही लोगों को प्रेरित करके ही किया जा सकता है, तो इसके लिये मान्यवर, कुछ ऐसी भी योजनाओं पर विचार करेगी सरकार, जो दण्डात्मक भी हों और प्रोत्साहनात्मक भी हो। एक तरफ जहां लोगों को प्रोत्साहन मिले इसको मानने वालों को और दूसरी तरफ इसको न मानने वालों को भी दण्ड मिले। जिसका प्रयोग मान्यवर, चीन में हुआ। मान्यवर, इस बात को सरकारी नौकरियों में, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर

लागू किया जाय कि जिनके दो या ज्यादा बच्चे हैं उनको प्रोन्नति पाने का अधिकार नहीं रहा मान्यवर, या दूसरा सुझाव मेरा यह है कि सरकारी नौकरी में दो या तीन से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नियुक्ति न दी जाय। मान्यवर, लेकिन कोई भी अच्छा काम करने के लिये उसके लिये कुछ पहल करनी पड़ती है तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सरकार गम्भीरता से एक नई कार्ययोजना पर विचार करे और बताये कि दण्डात्मक और प्रोत्साहनात्मक में क्या दे रही है, तब मौजूदा हालात में एक चीज को प्रयोग में करके देख लें कि मंत्रि-परिषद् में उन्हीं को शामिल किया जाय जिनके दो या तीन से ज्यादा बच्चे न हों और मान्यवर, जिनके पास दो या तीन से ज्यादा बच्चे हों उनको एक विकल्प दिया जाय कि या तो वह मंत्रि परिषद् रखें, मान्यवर, मैं देखता हूं कि लगता है इसलिये आज कल यह खाद वगैरह नहीं मिल पा रही है, उर्वरक वगैरह मान्यवर, क्योंकि घर पर बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इसलिये उस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव यह है।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव आपका सही है, लेकिन यह सुझाव आप पहले केन्द्र सरकार तक पहुंचा दें क्योंकि वहां पर तो बहुत ही गड़बड़ है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद, और मान्यवर इसमें स्पीकर को मुक्त रखा जाये यह भी मेरा सुझाव है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें कोई दण्डात्मक कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा उसी में मेरा केवल एक सुझाव यह है कि एक अत्यन्त पापुलेशन एक्सप्लोजन की जो समस्या है, यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है और मैं समझती हूं कि इसको हंसी मजाक में नहीं लिया जा सकता है। इसके ऊपर चर्चा करानी चाहिये और जहां तक दण्डात्मक कार्रवाई का प्रश्न है सत्ता पक्ष हमेशा यह सोचता है और सभी राजनीतिक लोगों की मजबूरी भी है कि यदि हम दण्डात्मक कार्रवाई अपनायेंगे तो हमें सत्ता से हटना पड़ सकता है, विपक्ष की भी मजबूरी होती है परन्तु यदि हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो शायद ज्यादा लाभ होगा। जहां तक सदन की बात है तो मैंने कहा कि यह हंसी मजाक का विषय नहीं है, बल्कि गम्भीरता से लेते हुए सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं, जो व्यूरोक्रेसी है या जो भी सिस्टम हमारा है उसको वन चाईल्ड नार्म को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। प्रोत्साहन इस दशा में होगा यदि उसके पास एक बच्चा होगा चाहे वह लड़की हो या लड़का हो तो उसको आउट आफ टर्न प्रमोशन दिया जायेगा। यह कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं है लेकिन यह स्वयं में इतना बड़ा प्रलोभन होगा कि हर व्यक्ति आउट आफ टर्न प्रमोशन पाने की चाह में अपने परिवार में बच्चे की संख्या सीमित रखेगा। यह गम्भीर विषय है इसलिये हम चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी यदि इसके लिये आप चर्चा का समय निर्धारित कर दें तो हम सभी लोग, पूरा सदन आपका अत्यन्त आभारी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जैसा अभी कहा यह सवाल मान्यवर, हर विधान सभा में किसी न किसी रूप में आता है।

मान्यवर, यह जितनी भी सेवायें और संसाधन बढ़ाये जायें यह सब कम पड़ते जा रहे हैं जनसंख्या की वृद्धि के कारण। उधर से दिया गया उत्तर निराशाजनक है। मान्यवर, प्रोत्साहन और दण्डात्मक बात जो है वह अपनी जगह पर है, सरकार ऐसे लोगों को जो सिविल राईट्स मिले हुए हैं उस सम्बन्ध में प्रोत्साहित करे जहां तक अभी माननीय सदस्या ने कहा कि अतिरिक्त प्रमोशन मिल जाये। तो उसके बाद भी तो पैदा हो सकते हैं। मान्यवर, आपकी तरफ से यह निर्देश होना चाहिये कि कोई न कोई नई कार्ययोजना जिसमें यह जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित किया जाय, अगर हतोत्साहित न करें तो इसको यथास्थिति बनाये रखने का कार्य किया जाये। नहीं तो यह दिन प्रतिदिन स्थिति विस्फोटक होगी। हमारा उदाहरण मान्यवर, सब लोग ले नहीं पायेंगे। न कृषि मंत्री जी का उदाहरण ले पायेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस को हतोत्साहित करने के लिये कोई न कोई योजना जरूर बनायें। माननीय मंत्री जी आश्वासन जरूर दें कि इस पर सरकार कोई कार्ययोजना लायेगी।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, जब सब तरफ से कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी तो कोई बात बन पायेगी अन्यथा जनसंख्या विस्फोट के ऊपर कोई भी बात सोचना बेईमानी होगी। सन् 2002 में जनसंख्या पालिसी बनायी गयी थी जनसंख्या के स्थिरीकरण की योजना बनायी गयी थी। उसमें टारगेट निर्धारित किया गया था, 2016 में टोटल फरटिलिटी रेट 2.1 आ जायेगा। मान्यवर, चाहे वह प्रजनन दर हो, मौरटैलिटी रेट हो या शिशु मृत्यु दर हो, हमारा उत्तर प्रदेश सब में पीछे है। वर्तमान समय में 2002 के बाद 2007 निकल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि जो टी0एफ0आर0 का लक्ष्य उस समय निर्धारित किया गया था उसमें कितनी प्रगति हुई है वर्तमान समय में हिन्दुस्तान के अन्दर सकल उत्पादन कितनी है और उसमें से कितना एचीव किया गया है। इसके अतिरिक्त जो 2002 में लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त करने के लिये कोई कार्य योजना बनायेंगे। मान्यवर, जननी सुरक्षा योजना के कार्य का भी नियमित तौर पर पर्यवेक्षण कार्य नहीं हो रहा है। मान्यवर, इस विषय पर निश्चित तौर पर विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए जिससे राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न कराने में हम आगे बढ़ सकें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी का सवाल है उनकी तरह सब हो जायेंगे तो कोई रह ही नहीं जायेगा। मान्यवर, इस जनसंख्या नीति के आने के बाद, सतत् प्रयास के बाद, बढ़ी हुई जागरूकता के बाद जो जन्म दर है, उसमें प्रजनन दर जो 1975 में 6.6 थी जो अब घटकर 3.82 रह गयी है।। मृत्यु दर 1950 में 27.2 प्रति हजार थी वर्तमान स्थिति में 8.7 हो गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं 2002 में बनी जनसंख्या नीति के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने यही तो बताया कि 3.82 है वर्तमान में।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरे छोटे-छोटे से 4 बिन्दु हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। पहला, जो प्रजनन का समय है वह 15 से 45 साल अर्थात् 30 साल तक होता है यदि सरकार प्रजनन काल को 6 से 10 साल कम करने का इन्तजाम करे तो इसमें कमी आ सकती है इसके लिये यदि शादी की उम्र लड़के के लिये 25 साल तथा लड़की के लिये 21 साल कर दें तो इससे 25 प्रतिशत जन्म दर में कमी लायी जा सकती है। तो क्या सरकार शादी की उम्र लड़के की 25 साल व लड़की की 21 साल करने का विधेयक लायेगी तथा सेक्स एजूकेशन की जगह ब्रह्मचर्य शिक्षा पर जोर देगी ?

मेरा दूसरा प्रश्न है मान्यवर, यह तथ्य है कि मुस्लिम समुदाय में औसतन 5.03 बच्चे हो रहे हैं, हिन्दू में 4.46 बच्चे हो रहे हैं तथा इसाइयों में 2.75 बच्चे हो रहे हैं तथा गरीब व दलितों में यह दर 5 के करीब है तो क्या सरकार दलितों व मुसलमानों तथा गरीबों को ध्यान में रखकर फैमिली प्लानिंग के लिये कोई खास योजना बनायेगी ?

मान्यवर, मेरा तीसरा प्रश्न है कि 2 या 3 बच्चे ज्यादातर शादी के 1 से 5 साल के भीतर हो जाते हैं यदि इन जोड़ों को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जागरूक करने तथा 5 साल वाले गर्भ निरोधक जैसे नोरप्लान्ट-2 आने लगा है इसे इन्टरनेशनल सोसाइटी आफ कन्ट्रासेप्टिव ने इसे 5 साल के लिये एप्रूव भी किया है बाहर के देशों में यह एक हारमोनल बेस्ड कन्ट्रासेप्टिव है जोकि खाल के नीचे लगाया जाता है और यह 5 साल तक इफेक्टिव है। यह प्रजनन को खराब नहीं करता है या मल्टी लोड प्रोजिस्टासर्ट के नाम से एक इन्ट्रा यूटिराइन डिवाइस आती है तो क्या सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने के लिये नौकरियों में प्राथमिकता, नगद अनुदान आदि उपाय करने पर विचार करेगी तथा इन्हें चिन्हित करने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब इतना लम्बा प्रिसक्रिप्शन बना दे रहे हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा चौथा प्रश्न बालिका शिक्षा पर है कि जो लड़कियां हाईस्कूल से ज्यादा पढ़ी हुई हैं उनके बच्चे पैदा होने की दर 3.9 है जबकि जो हाईस्कूल से नीचे पढ़ी हैं उनके यहां 5.3 बच्चे होते हैं तो क्या सरकार बालिका शिक्षा के बारे में युद्धस्तर पर कोई योजना बनायेगी ?

मान्यवर, मेरे यह 4 प्रश्न हैं और मैं इन चारों का जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई योजना बनाने नहीं जा रही है। मान्यवर, जहां तक गर्भ निरोधकों के उपयोग का सवाल है जहां 1975 में 8.3 प्रतिशत इसका उपयोग

होता था आज 43.60 प्रतिशत इसका उपयोग हो रहा है मान्यवर, जहां तक बालिका शिक्षा के प्रति है यह सरकार का सुनिश्चित मत है इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति चाहे वह बालक हो या बालिका हो हमारा जो लक्ष्य है, सबको शिक्षित करने का है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का यह नारा था ''शिक्षित बनो, संगठित बनो'' तो उस उनके नारे को मानते हुए प्रदेश के हर व्यक्ति को शिक्षित बनाने की हमारी योजना है और उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया तो शिक्षा तो स्वाभाविक रूप से जागरण पैदा करती है और जाग्रति पैदा करती है उसका एक बहुत बड़ा रोल है लेकिन आज के इस परिवेश में जबकि दुनिया की आबादी 600 करोड़ है और उसमें देश की आबादी 102 करोड़ 70 लाख वर्ष 2001 में हो गयी है और अब बढ़कर 105 करोड़ हो गयी है। साथ ही प्रदेश की आबादी 17 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ के करीब है ऐसी परिस्थिति में जिस तरह जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है तो क्या आप इस पर विचार करेंगे, जैसा कि और माननीय सदस्यगण ने कहा कि आप शादी की उम्र को बाकायदा वैधानिकता के तौर पर बढ़ायेंगे और जो प्रजनन होता है मुख्य रूप से, वह 25 से 35 वर्ष की उम्र के बीच में बहुत ज्यादा होता है और ग्रामीण अंचल में तो 17-18 साल के बाद में होता है। इस प्वाइंट आफ व्यू से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं कि यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है बल्कि प्रदेश की बाकायदा उन्नति भी इससे जुड़ी हुई है। चाइना जब अपनी आबादी कंट्रोल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश दुनिया का आठवां राष्ट्र है। हमें इस पर गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि महाजनो ऐन गतो सपंथा। बड़े लोग जिस रास्ते जायें, हम जायें। उत्तर प्रदेश इसमें दिशा-निर्देश का काम करे। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई योजना माननीय मंत्री जी के स्तर पर विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण अपने प्रश्न में भूमिका इतनी लम्बी कर दे रहे हैं कि और सदस्यों के अनुपूरक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिये भूमिका थोड़ा कम रखें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वर्तमान में जो शादी की उम्र है वह बालिकाओं के लिये 18 वर्ष और बालकों के लिये 21 वर्ष है। मान्यवर, कोई चीज सिर्फ कानून बना देने से ही उसका पालन नहीं हो पाता बल्कि सबसे ज्यादा जरूरत जागरूकता आने की है। कानून होने के बावजूद भी जहां जागरूकता नहीं है वहां पर शादी भी कम उम्र में हो जाती है और जहां पर जागरूकता है वहां पर शादी लेट में होती है। मान्यवर, मैं एक ऐसे मां-बाप का बेटा हूं, जो पढ़े-लिखे नहीं थे और मेरी शादी 15 साल में हो गयी थी, लेकिन मेरे बेटे की शादी 27 वर्ष की उम्र में हुई है। तो यह कानून बनाने से नहीं होता बल्कि जागरूकता पैदा करने से अधिक होता है। हमारा जो कानून है उसके हिसाब से 18 वर्ष बालिकाओं के लिये और बालकों के लिये 21 वर्ष की आयु सीमा शादी के लिये निर्धारित है। उसमें कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री अनूप संडा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिये पुरुष नसबन्दी और महिला नसबंदी सबसे मुख्य उपाय है और कई बार हम लोग देखते हैं और समाचार माध्यमों से भी पता चलता है कि लोगों ने निजी चिकित्सालयों या सरकारी चिकित्सालयों में किसी महिला या पुरुष की नसबन्दी करायी लेकिन उसका आपरेशन असफल हो गया, ऐसी स्थिति में सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिन डाक्टरों की लापरवाही से पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी असफल हुई, उन डाक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय। इस गलती की वजह से जिन लोगों को पुनः संतान उत्पन्न हो जाती है, उनको मुआवजा देने पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

एक तो गलती किये फिर मुआवजा भी पायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पर जांच का विषय है अगर कहीं बात आती है। कभी-कभी बिना डाक्टरों की लापरवाही के भी ऐसी स्थितियां आती हैं और इसलिये पहले से ही इस पर कोई निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। जैसी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अनुसार जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा। पहले से कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, सरकार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिये कार्य योजना बना रही है। चाहे केन्द्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो बड़े पदों पर हैं और वह सार्वजनिक रूप से भाषणों में और प्रेस कान्फ्रेन्सों में अपनी आबादी बढ़ाने के लिये ललकारते हैं कि आबादी बढ़ाई जाय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और इस पर सरकार को बहुत संवेदनशील होना चाहिये और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिये क्या सरकार प्रयास करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-2

(श्री राम बिशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्या चाहते हैं आजाद जी ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि जनसंख्या नियंत्रण पर करोड़ों रुपये सरकार खर्च करती है लेकिन हम जैसे जिम्मेदार लोग जो यहां पर बैठे हैं पहले उनकी जांच हो जाये कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का कितना अनुपालन किया है, इसके बाद स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायेगी। मान्यवर, इस पर एक कानून अवश्य बनना चाहिये कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता है चाहे वह प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो चाहे

सांसदों का चुनाव हो। मान्यवर, ऐसा निर्णय आपकी पीठ से आना चाहिये तभी जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है नहीं तो आबादी इतनी बढ़ जायेगी कि लोगों को पीने के लिये पानी तक नहीं मिलेगा।

तारांकित प्रश्न

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

रासायनिक उर्वरक उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान कृषकों को दिये जाने की मांग

*2-श्री हुकुम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि रासायनिक उर्वरकों पर केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान कृषकों को न देकर उद्योगों को दिये जाने के सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें सरकार को प्राप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो कृषकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिये क्या केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार से सुझाव मांगा है ? क्या प्रदेश सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव/सुझाव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

जी नहीं।

जी नहीं। यह भारत सरकार का नीति विषयक मामला है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न भी पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती जायेगी और उत्पादन बढ़ायेंगे नहीं तो दिक्कत तो आयेगी ही। मैंने आपकी शिथिलताओं को देखते हुए अन्न उत्पादन बढ़ाने की बात यहां पर रखी है और अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उरर्वक की आवश्यकता हैं मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि लगभग एक दर्जन ऐसी कम्पनियां जो उरर्वक उत्पादन का काम करती हैं उनके विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है, चाहे वह कृषि विभाग के स्तर पर हो, चाहे पुलिस के स्तर पर हो या अभिसूचना विभाग के स्तर पर हो या न्यायालय में चार्जशीटेड हों और जांच इस आधार पर चल रही है कि उन्होंने उरर्वक उत्पादन के फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और जांच इस बात पर चल रही है उन्होंने फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किये हैं और सबकी पुष्टि करने के बाद प्रारम्भिक जांच करने के बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश भी हुए हैं, क्या यह सही है ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, 20 जनवरी, 2000 में पंजाब केसरी में एक समाचार प्रकाशित हुआ था खाद के घोटाले के सम्बन्ध में। उसमें भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने जांच बैठायी थी, उस समय 29 कम्पनी थीं, जो फर्टिलाइजर का काम कर रही थीं। उनकी भारत सरकार ने जब प्राइमरी जांच करायी, यहां पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी।

जब भारत सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई तो भारत सरकार ने उनको तीन कैटेगरी में बांटा, ए, बी और सी में, उसके बाद ए में 10, बी में 9 व सी में 10 कम्पनियों को रखा। ए कैटेगरी को उनका कम दोष देखकर दोषमुक्त कर दिया गया, बी कैटेगरी में 9 में से 7 के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ और सी कैटेगरी में 10 में से 10 के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ और आज भी अदालतों में उनके खिलाफ अभियोग दर्ज है और पूरी कार्यवाही चल रही है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा मूल प्रश्न देखें, यही मेरा प्रश्न था और यही मेरे प्रश्न का आधार भी था कि इस प्रकार की शिकायतें आयीं, उत्पादन किया 10 मीट्रिक टन और दिखाया 100 मीट्रिक टन। अधिक उत्पादन दिखाकर अनुदान प्राप्त कर लिया। इस तरह से 46 हजार करोड़ रुपये का अनुदान उर्वरक के क्षेत्र में है। अगर फर्जी आंकड़े दिखाकर यह अनुदान की धनराशि जाती रहेगी तो इससे न सरकार का फायदा होने वाला है और न किसान को फायदा होने वाला है ? सब्सिडी देने का आशय यह है कि खुदरा भाव और किसान को जिस भाव पर मिलना चाहिए बीच का भाव सरकार भरती है। जांच में यह सिद्ध हो चुका है कि उर्वरक बनाने वाली कम्पनियां फर्जी आंकड़े दिखाकर अनुदान प्राप्त कर रही थीं। आपने उत्तर में लिखा है कि जी नहीं। भारत सरकार का नीतिगत प्रश्न है। मेरा आशय है कि भारत सरकार की नीति तो है ही कृषि क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में नीति बनाने से पहले राज्य सरकारों का परामर्श लिया जाता है। यह आज से नहीं बल्कि पहले से प्रक्रिया चल रही है। मेरे पास इस बात का प्रमाण भी है कि राज्य सरकारों से परामर्श मांगा गया है कि आपकी क्या राय है ? 7 राज्यों ने परामर्श दे दिया कि सीधे किसान को सब्सिडी दे दी जाए। उत्तर प्रदेश की क्या राय है, मैं यह जानना चाहता हूं।

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा इशारा यह भी किया था कि मैंने प्रश्न यह पूछा है कि शिकायतें आ रही हैं। इसलिए जवाब दिया था कि जी नहीं। पिछले 5 सालों में इस तरह की कोई भी शिकायत विभाग में दर्ज नहीं हुई है। सब्सिडी के सम्बन्ध में यह शिकायतें वर्ष 2000 में आयी थीं इसलिये मैंने उत्तर में जी नहीं लिखा। जहां तक किसानों को सीधे सब्सिडी देने की बात कही है, राष्ट्रीय विकास परिषद् में यह बात आयी थी लेकिन लिखित में भारत सरकार ने आज तक हमसे कोई सुझाव नहीं मांगा है। सीधे किसानों को सब्सिडी देने पर दो प्रकार के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीधे किसानों को सब्सिडी दी जायेगी तो किसी घोटाले की आशंका नहीं रहेगी। कुछ लोगों का मत है कि सीधे सब्सिडी दी जायेगी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ाना पड़ेगा कि सब्सिडी किसानों तक ले जाने में धांधलेबाजी व ज्यादा शिकायतों की गुंजाइश है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक 19 तारीख को हो रही है, यदि इस तरह से कोई सुझाव मांगा जायेगा तो निश्चित रूप से उ0 प्र0 सरकार अपनी राय व्यक्त करेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 19 तारीख को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक निर्धारित है उसमें यदि यह प्रश्न आयेगा तो हम सुझाव देंगे। तो कम से कम इस बात को देखते हुए

कृषि मंत्री जी को अपनी राय बना लेनी चाहिए भले ही लिखित रूप में आये या न आये। कल भारत सरकार के उर्वरक मंत्री श्री राम विलास पासवान जी को मैं लोकसभा चैनल पर देख रहा था जिस प्रकार से उन्होंने पल्ला झाड़ा और सारी कमियां प्रदेश सरकार पर मढ़ीं। उन्होंने यह कहा कि वितरण व्यवस्था राज्य सरकारों की इतनी चौपट हो गयी है कि उर्वरक को बांट ही नहीं पाये जबकि हमने उर्वरक मांग के अनुरूप उपलब्ध करा दिया। मुझे सुन करके दुःख हुआ। दो सरकारों के बीच की बात है, यह खबर कल की है और आज के समाचार-पत्रों में भी है। इसके बारे में सीधे-सीधे किसान को अनुदान देने के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आगे आने वाली बैठक में इस मसले पर विचार होना है, तय होना है। राज्य सरकार की इस पर राय भी आनी है इसलिये मैं चाह रहा था कि जब आप खुद जानते हैं कि विकास परिषद् की बैठक होने वाली है तो दो राय का सवाल नहीं है। एक प्रक्रिया थी, व्यवस्था थी वह फेल हो चुकी है। आपने स्वीकार किया कि 46 हजार करोड़ रुपये में 12 हजार करोड़ का अनुदान उत्तर प्रदेश में आता है। बड़े-बड़े कारखाने हैं हम देख रहे हैं कि 12 हजार करोड़ रुपये के लगभग अनुदान का अपव्यय उत्तर प्रदेश में हुआ है। सवाल 2000 का नहीं है सवाल व्यवस्था का है। जिस व्यवस्था के अन्तर्गत अनुदान मिल रहा है ऐसी स्थिति में दूसरा विकल्प यह है कि जो उपभोक्ता हैं जिन्हें छूट देनी है सीधे-सीधे उपभोक्ताओं को जो किसान हैं को छूट क्यों न दी जाय। आपने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से काफी है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कृषि विभाग का अधिकारी न हो, कोई ब्लाक ऐसा नहीं होगा जहां ए0डी0ओ0 कृषि न हों। इन्फ्रास्ट्रक्चर आपके पास हैं इच्छाशक्ति की बात है। सीधे-सीधे किसान को अनुदान मिलेगा तो कम से कम भ्रष्टाचार से मुक्त रहेंगे। जो लोग बंगलों में अरबों रुपयें की फैक्ट्री लगाकर सरकार के पैसे से अपना काम चला रहे हैं और किसान को सहूलियत नहीं दे रहे हैं मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर गम्भीरता के साथ विचार करे और विचार करने के बाद यह कहे कि यह व्यवहारिक नहीं होगा तो यह अलग बात है लेकिन व्यवहारिक होगा तो माना जायेगा यह मेरा आपसे आग्रह है।

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

सन् 2000 में पहले जो सब्सिडी दी जाती थी जितनी खाद बनाने वाली फैक्ट्री थी उनके 90 प्रतिशत भुगतान पहले कर दिया जाता था केवल 10 प्रतिशत रोका जाता था जब प्रदेश सरकार से वेरीफिकेशन होकर चला जाए। अब जो पेमेंट होता है प्रथम प्वाइंट जहां हमारे जिले में पहला प्वाइंट होता है सेल का वहां से वेरीफिकेशन होकर जाता है इसलिये पहले की तरह घपले की आशंका हो ही नहीं सकती। दूसरे पहले ज्यादा कम्पनियां काम करती थीं आज मात्र 5 कम्पनियां प्रदेश में काम कर रही हैं। एक समस्या यह है कि हमारी सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिक से अधिक 30-40 प्रतिशत खाद बांटी जाती है। 60 से 65 प्रतिशत खाद प्राइवेट डीलर के द्वारा बांटी जाती है। यह सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाती है राज्य सरकार नहीं देती है प्राइवेट डीलरों के द्वारा जो खाद बेची जाती है और बांटी जाती है उसमें सब्सिडी किस प्रकार से निर्धारित होगी उसमें घपले की आशंका हो सकती है। आदरणीय हुकुम सिंह जी ने जो बात कही है निश्चित रूप से हम इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उनसे व्यक्तिगत रूप से इस पर परामर्श करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया है जहां पर सब्सिडी मिलती है वहां पर इसका दुरुपयोग होता है और बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। क्या मंत्री जी सीधे-सीधे यह कहेंगे कि यह मेरा प्रस्ताव है, नीति है कि हम सीधे-सीधे किसानों को सब्सिडी देंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर का सवाल अपनी जगह है। क्या विकास परिषद् में प्रदेश सरकार स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव करेगी कि सब्सिडी सीधे-सीधे किसानों को दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात का जवाब मंत्री जी ने हुकुम सिंह जी के सवाल पर दे दिया है उन्होंने हुकुम सिंह जी से कहा है कि वह विचार करेंगे और उनसे परामर्श करेंगे।

वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाये जाने की मांग

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन में राज्यांश को बढ़ाकर 200/- रुपया करते हुए लाभार्थी को कुल 400/- प्रति माह देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जी नहीं।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-791/26-2-2007-100 (7)/03टी0सी0-1, दिनाक 13-8-2007 द्वारा समस्त पात्र वृद्धजनों की पेंशन दिनांक 01-4-07 से पूर्व दर रु0 150/- में वृद्धि कर रु0 300/- प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी कर दी गयी है।

योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के समस्त पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से रु0 300/- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को रु0 200/- भारत सरकार द्वारा एवं रु0 100/- राज्य सरकार की सहायता से कुल रु0 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इससे सहमत होंगे और मेरे विचार से पूरा सदन इससे सहमत होगा कि आज महंगाई की जो स्थिति है और जो समाज की परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत बड़ी संख्या में माता पिता हैं जो उपेक्षित हैं जिनके संतान होने के बावजूद भी उनकी देखरेख नहीं होती है। अथवा संतान नहीं होने के कारण और आय का कोई स्रोत उनके पास न होने के कारण वे बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। इसलिये मेरा यह सवाल था कि जो कुल मिलाकर प्रति लाभार्थी जो कि 60-65 या 70 वर्ष की उम्र के हैं और जिनको वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपये मिल रही है उस राशि को इन परिस्थितियों में 400 रुपये प्रति लाभार्थी कर दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? लेकिन आपका जो उत्तर आया है उसके संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहले एक

जानकारी यह चाहता हूं कि यह दो योजनाएं जिनका उल्लेख आपने किया है जिसमें से एक में केन्द्र सरकार 200 रुपया देती है और राज्य सरकार का अंशदान 100 रुपये होता है। दूसरी योजना जिसमें केवल 300 रुपये राज्य सरकार देती है। तो क्या यह दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं और इसके लिये जो पात्रता है, अर्हता है वह अलग-अलग है ? एक सवाल तो यह है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि दोनों योजनाओं में जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या क्या है ? और उसमें कितना धन व्यय होता है और केन्द्र सरकार कितना देती है ? इसके बाद मैं दूसरा अनुपूरक करूंगा।.

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर के द्वारा माननीय चौधरी साहब के प्रश्न का उत्तर दिया है कि पेंशन राशि को 400 रुपये किये जाने का विचार सरकार के पास नहीं है और वह इसलिये नहीं है मान्यवर, क्योंकि अभी 13-8-2007 को एक शासनादेश करके हमारी सरकार ने इस राशि को 150 रुपये की जगह 300 रुपये बढ़ाये जाने का काम किया है। 150 रुपये की धनराशि को अभी ही दुगुना किया गया है। इसलिये इसको अभी 400 रुपये किये जाने का कोई सवाल नहीं है। दो तरह की योजनाओं के बारे में कहा है। इसमें एक तो यह है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जिसका नाम अभी 19 नवम्बर से माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कर दिया है। यह भारत सरकार की योजना है। जो इसकी पात्रता की शर्तें हैं उसमें केवल उम्र का फर्क है। उसमें 65 साल से ऊपर के वृद्धों को भारत सरकार 200 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से धनराशि देती है और इसमें राज्य सरकार 100 रुपये अपने मिलाती है। जिनको यह धनराशि मिलती है ऐसे लोगों की संख्या पूरे प्रदेश में 16 लाख है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शहरों में वृद्धावस्था पेंशन के नाम से दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पेंशन जिसको कहते हैं उनकी संख्या आठ लाख है। वह शत-प्रतिशत 300/- रुपया राज्य सरकार अपने संसाधनों से देने का काम करती है। चौधरी साहब से बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि बजट व्यवस्था क्या है तो इसमें केन्द्रांश जो है वह पांच अरब बयालिस करोड़ छियत्तर लाख है और राज्यांश जो है वह तीन अरब बत्तीस करोड़ उन्तालिस लाख है। इस तरह से यह कुल आठ अरब 75 करोड़ है। मान्यवर, भारत सरकार ने 19 नवम्बर से, यह जो पुराने मानक थे उनको खत्म कर दिया उन्होंने बी0पी0एल0 के आधार पर 'इन्दिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' शुरू करने का फैसला लिया है, हम बधाई देना चाहेंगे मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने भारत सरकार के आधार पर ही जो उत्तर प्रदेश सरकार से पेंशन दी जाती है, उसमें बी0पी0एल0 के आधार पर सर्वे करने के लिए शासनादेश जारी कराने का काम किया है। मेरा मानना है जो पूर्व की सरकार थी जो 20 लाख का लक्ष्य पूरे उत्तर प्रदेश में था वह अब वर्तमान में 24 लाख किया है लेकिन जो बी0पी0एल0 की योजना चालू होने जा रही है यह लगभग 40 लाख के ऊपर चली जाएगी। इससे बहुत से लोग संतृप्त हो जायेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी धारणा है माननीय समाज कल्याण मंत्री जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं एक नेक इंसान हैं मेरी यह जो भावना है इस सवाल को प्रस्तुत करने के पीछे जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसे बहुत से लोग चाहे जितनी बड़ी संख्या है जिसमें कुछ एक को छोड़कर

सारे लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं आप इसको अन्तर न करें कि यह केन्द्र सरकार की योजना है इसमें कितना केन्द्र का अंशदान है कितना राज्य सरकार का अंशदान है दोनों ही हालत में जो लाभार्थी हैं उनको तीन सौ रुपया प्राप्त हो रहा है। इसको देखा जाए तो दस रुपया प्रतिदिन, एक मुहावरा है गरीब के लिए कि-'क्या पहने और क्या निचोड़ें' तो मेरी गुजारिश है ऐसे तमाम वृद्धों की तरफ से, आज की भीषण महंगाई और उनकी दयनीय स्थिति, थोड़ी भूमिका अधिक हुई जा रही है लेकिन यह भावनात्मक मुद्दा है। मैं इसको रोज फेस करता हूं, रोज देखता हूं कि बहुत दयनीय स्थिति में हैं और उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है वह समाज कल्याण के कार्यालय में जाते हैं और इतनी उम्र हो गई है कि वह वहां पहुंच नहीं पाते हैं और उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। वहां करेक्शन तो एक अलग चीज है तो इसमें ऐसा विचार करें, थोड़ा और संवेदनशील परिचय दीजिए। यह चार सौ रुपया हो जाए, यह तो आप भी नहीं मान सकते हैं और हम भी नहीं नहीं मान सकते कि आज की स्थिति में, परिस्थिति में, इससे कुछ हो जाएगा लेकिन 100 रुपये की वृद्धि से उनको कोई सहायता मिल सके तो इस सम्बन्ध में मैं आपका आश्वासन चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से लाखों लोगों की दयनीय स्थिति देखते हुए सरकार इस पर पुनर्विचार कर ले। हम लोग अपने लिए तो बहुत कुछ मांग करते हैं हमारी पेंशन में वृद्धि हो जाए, हमारे कूपन में वृद्धि हो जाए, हमारी सुविधाओं में वृद्धि हो जाए। हमारे गनर और शैडो में वृद्धि हो जाए क्या सरकार ऐसे गरीबों के लिए कोई विचार नहीं कर सकती है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, चौधरी साहब को तो बधाई देनी चाहिए थी कि अभी-अभी जैसे ही हमारी सरकार बनी है इसको डेढ़ सौ से तीन सौ किया है। दूसरा फैसला लिया गया है बी0पी0एल0 के आधार पर। ज्यादा से ज्यादा पेंशन लोगों को देने की योजना चलाई है तो दो सुविधायें तो हमारी सरकार ने तत्काल दे दी है तो 300 रुपये के हिसाब से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन मिल जाये, इस पर शासनोदश हो गये हैं, बी0पी0एल0 के आधार हैं। फिलहाल 400 रुपये किए जाने का अभी कोई प्राविधान नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, 875 करोड़ रुपया हम लोगों की मदद में दे रहे हैं, कम मिलता है लेकिन जिन लोगों को मिलता है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रश्न दूसरा है, क्या वास्तविक लाभार्थियों को विभाग वस्तुतः यह सहायता दे पाता है या नहीं ? हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी स्पेसिफिक शिकायतें की हैं, इसी सदन में की है, नियम-56 के तहत की है और स्वयं मंत्री जी से निजी रूप से भी की है, गोरखपुर समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में की है। जहां अगर 300 का पेंशन देना है, 1500 रुपये सुविधा शुल्क लिया जाता है, अगर अनुसूचित जाति को 10 हजार रुपये का अनुदान देना है तो दो हजार से तीन हजार रुपये, घूस तो यहां नहीं कह सकते, लेकिन वस्तुतः घूस लिया जाता है, इसकी स्पेसिफिक शिकायतें हैं, मा0 मंत्री जी के पास। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने उनका संज्ञान लिया है, कोई कार्यवाही की है तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय डाक्टर साहब ने यह शिकायतें लिखकर नहीं किया है मुझसे दूरभाष पर बात हुई है। मैंने अपने प्रमुख सचिव और डाइरेक्टर को कह दिया है कि गोरखपुर की ऐसी शिकायत माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की है, वह जांच कर लें, उस पर जो भी जांच रिपोर्ट आयेगी, कार्यवाही की जायेगी।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ कहने लगे कि यह शिकायत पूरे प्रदेश की है)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, 6 नवम्बर को नियम-56 में आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, गोरखपुर समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में। क्या सदन की शिकायत अधिकृत शिकायत मानी जायेगी या नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी बुराइयां हैं, कमियां हैं, मान लेना चाहिए, हमारी सरकार रही हो या आप की हो। ऐसी शिकायतें हमारी सरकार में भी थीं, इतनी ही गम्भीर थीं जितनी आज हैं इसका समाधान कैसे हो, यह सोचने का सवाल है। मात्र गोरखपुर का ही मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में शायद ही कोई जिला ऐसा हो जहां इस तरह की शिकायतें न हों। इस तरह की शिकायतें शत-प्रतिशत जिलों में हैं। लेकिन परेशानी यह है कि लाभार्थी खुद ही तो पैसा देता है, दलालों के जरिए, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हो, एक जरूरतमंद है, उससे कोई कहता है कि हम तुम्हें 10 हजार रुपये दिलवा देंगे, दो हजार हमारे होंगे, तीन हजार हमारे होंगे, इस सच्चाई को मान लेना चाहिए। हमारे जमाने में भी इस तरह की बुराइयां थीं। लेकिन इसे रोकना चाहिए और यह बिल्कुल न कहिए कि आज ऐसा नहीं है, यह मान लीजिए, यह हम भी मान रहे हैं कि हमारे वक्त में भी बुराइयां थीं, कम रही होंगी लेकिन खत्म हम भी नहीं कर सके थे, खत्म आप भी नहीं कर सके। सत्ता परिवर्तन के बाद ये बुराइयां या तो बिल्कुल कम हो जाती हैं या बिल्कुल बढ़ जाती हैं, जिन लोगों का मनोबल अति उत्साहित होकर ज्यादा हो जाता है, आजकल कुछ ज्यादा हुआ है। लेकिन कोई एक तरीका निकालो, अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि 300 का 400 रुपये कर देने के लिए और कोई तरीका भी चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन वह तरीका क्या हो, उसका सुझाव हम दें, वह तरीका क्या हो उसका सुझाव आप दें, मात्र यह शब्द कह देने से कि कोई तरीका ऐसा हो, इससे कोई रास्ता निकलने वाला है नहीं। मान्यवर, कोई ऐसी बैठक आप सभी दलों की करा लें, सभी दलों के नेताओं को बुलाकर जिसमें मा0 मंत्री जी भी हों। वाकई कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, मिसाल के तौर पर यह हुआ कि बैंक में एकाउन्ट खोला जायेगा, वहां पैसा चला जायेगा लेकिन बिचौलिया कहता है कि यह मुझे पहले दे दो तो आपका 10 हजार पहुंच जायेगा तो मजबूर होकर वह 3 हजार रुपये दे देता है तो अब इसके अलावा भी हमें सोचना पड़ेगा कि अब बैंक में भी खाता खुलवाने से काम नहीं चल रहा है तो वह क्या तरीका हो, शायद मेरी ही कम समझ हो, आपकी समझ ज्यादा हो, सब लोग बैठें, उस पर कोई रास्ता निकलें। लेकिन यह गम्भीर सवाल है, सभी लोगों के साथ होता है, सभी के साथ नाइंसाफी होती है, इसमें इंसाफ दिलाने के लिए जो भी रास्ता हो, वह रास्ता निकालें और मानें की इसमें बुराई है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, माननीय आजम खां जी के विचार अच्छे हैं। मान्यवर, जब मैं समाज कल्याण मंत्री बना तो जब मैंने प्रदेश के समाज कल्याण अधिकारियों की पहली समीक्षा बैठक की तो मैंने भारी गड़बड़ियां पायीं। जैसे शादी का पैसा, बीमारी का पैसा, राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन का पैसा हो, इसके सम्बन्ध में जो योजनाएं चल रही हैं इसके लिए सरकार की तरफ से जो धन जिलों में गया, वह खर्च नहीं किया गया, बल्कि सरकार को पैसा वापस कर दिया गया। जिन जिलों से पैसा वापस किया गया था तो वहां के जो समाज कल्याण अधिकारी थे, उनमें जो दोषी थे उनके खिलाफ हमने कार्यवाही की और निलम्बित भी किया। हमने देखा कि मार्च आ जाता है, वित्तीय वर्ष का अंतिम माह आ जाता है लेकिन शादी, बीमारी का पैसा खर्च नहीं किया जाता है। हमने शासनादेश भी जारी किया कि शादी के पहले हर गरीब को जो पात्र हों उसको पैसा देना अनिवार्य है और समाज कल्याण अधिकारी को प्रतिमाह क्षेत्रीय माननीय विधायकगणों के साथ बैठक करना अनिवार्य है। चाहे वह शादी का मामला हो, चाहे बीमारी का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन का मामला हो। मान्यवर, अभी एक माननीय विधायक जी ने बताया कि मेरठ जिले में अभी तक एक भी बैठक नहीं हुयी है तो हमने उसी दिन इसका संज्ञान लेते हुए उस समाज कल्याण अधिकारी को 5-6 दिन पहले निलम्बित करने का काम किया है। दूसरे शासनादेश में हमने यह व्यवस्था की है कि अब केवल लाभार्थी की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वह अपने फार्म के सारे कालम भरेगा। अगर वह फार्म लेकर समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पहुंच जाता है तो समाज कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि अगर उसके अन्दर कोई कमी हो तो वह उस कमी को 15 दिन के अन्दर पूरी कराएगा। मान्यवर, लेकिन इसके लिए भी लोग कोई न कोई रास्ता खोज लेते हैं। अब हुआ यह कि अब ऐसी शिकायतें आयी हैं कि अब उनका फार्म वह लोग नहीं लेते हैं। तो अब हमने कहा है कि नया शासनादेश जारी कर दिया जाये कि उस वित्तीय वर्ष में पात्र लोगों में किसी की भी शादी होती है और अगर वह पैसा लेने से छूट गये हैं तो उन्हें इसके अन्तर्गत ले लिया जाये। तो इससे अब शत-प्रतिशत पात्र लोगों को बिना किसी दिक्कत के पैसा मिल सकेगा। मैं माननीय विधायकगण से भी अपील करूंगा कि जैसे शादी, बीमारी का जो पैसा मिलता है वह आपकी लिस्ट के आधार पर मिलता है। यह शासनादेश है कि आपकी सहमति के आधार पर पैसा मिले।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री मदन चौहान सहित विपक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायक जी आप बैठ जाइये। यह तरीका नहीं है। आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि शादी, राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन योजना में क्षेत्रीय माननीय विधायकों से सूची मांगी जाती है। आप लोगों ने कहीं न कहीं असन्तोष व्यक्त किया कि इस-इस तरह से कठिनाई है। उसे माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने जा रहे हैं। कोई भी माननीय सदस्य कह दे कि इस तरह से विधायकों की सूची मांगने का प्रचलन सभी जिलों में नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्यों की राय ली जाती है, उनसे प्रस्ताव लिये जाते हैं। कोई एक माननीय सदस्य इस बात को कह दें।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। इस तरह से सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोगों में कोई एक माननीय सदस्य खड़ा होकर के अपनी बात को कह दे तो ठीक रहेगा। सदन में माननीय मंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं हो सकता है कि कहीं अनुपालन में परेशानी आ रही हो, परिस्थितियोंवश उसका अनुपालन न हो पा रहा हो।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का प्रश्न है, एक माननीय मंत्री जी की तबीयत खराब है या उन्हें नींद आ गई है।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है, मदद का प्रश्न होता है कि मदद करना चाहते हैं। आप बैठें। हां माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह प्रशासन जैसा जहां जिले का है, वैसा अनुपालन हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा सूची मांगी जाती है मैं कह सकता हूं कि चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे यह रही हो, चाहे उससे पहले, शादी के मामले में हमारे यहां वह सूची आती है और माननीय हुकुम सिंह जी ने भी कहा कि इनके यहां भी सूची आती है जो एप्लीकेशन उनके यहां पड़े रहते हैं वह पूरी सूची भेज देते हैं हमारे विधान सभा क्षेत्र की और जैसा पैसा यहां से स्वीकृत होता है, आठ, दस, बारह, किसी-किसी वर्ष तो दो बार सूची आती है। लेकिन जब माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके जिले में पूरी तरह से अनुपालन नहीं हो रहा है। तो माननीय मंत्री जी ने जो व्यवस्था बताई वह शादी के मामले में आती है बाकी के बारे में नहीं आती है। बीमारी के बारे में या और जो कुछ है लेकिन शादी के बारे में सूची आती है जिन माननीय सदस्यों ने कहा इसका मतलब है कि वहां का प्रशासन इनकी सूची उपलब्ध नहीं कराता, शासन के निर्देश के बारे में तो माननीय सदस्यों की जो शिकायत है वह सही हो सकती है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी इनके जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित कर दें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

*4-श्री अनूप सण्डा-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की कार्य योजना की जानकारी

*5-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये सरकार के पास कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं. तो क्यों ?

कु0 मायावती-

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2004 प्रख्यापित की गई है, जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अन्य कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि पूर्व से ही उ0 प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2004 विद्यमान है।

(मंत्री श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

गुप्ता जी, अब आप क्या अनुपूरक चाहते हैं एक स्थिति जब माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया तो उसमें महत्वपूर्ण पांच-छः अनुपूरक हो चुके हैं। अब कुछ नहीं। सब लोग बैठ जायें। चौधरी साहब आप, दो-तीन अनुपूरक कर लिए हैं, सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है अब क्या पूछना चाहते हैं। अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है, आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौधरी साहब आप प्रश्नकर्ता हैं, अच्छा आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दो-एक बातें ला करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। एक तो जो वाराणसी का अनुभव है।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

वहां कोई भी समाज कल्याण अधिकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी जब मैं सदन के लिए यहां रवाना होने वाला था, उस समय भी कई ऐसे लोग जो चल-फिर नहीं सकते, बीमार हैं, मेरे पास आये हैं और कहा कि मैं बैंक और विकास भवन बार-बार जाकर दौड़ भाग नहीं कर सकता हूं। अगर विकास भवन गये भी तो वहां बताया गया कि आपका पैसा बैंक चला गया है और जब वह

बैंक जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि आपका पैसा नहीं आया है। मैंने वहां के कार्यवाहक प्रभारी अधिकारी से फोन पर बात की थी तो उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में उनका पैसा बैंक चला जायेगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे आप देखिये। जो इस तरह की स्थिति के लोग हैं जो बैंक या विकास भवन बार-बार जाने में असमर्थ हैं, दूसरे वह एक श्रम साध्य और व्यय साध्य कार्य भी है। लोगों का आने-जाने में ही एक बार में बीस रु0 खर्च हो जाता है। आप इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दें और समाज कल्याण अधिकारियों को बुलाकर उनकी क्लास लें और यह आदेश दें कि वह पैसा एक निश्चित समयावधि के अन्दर बैंक में पहुंच जायें और वह पैसा उनको बैंक से तुरन्त प्राप्त हो जाये। दूसरी बात जैसा कि आजम खां साहब ने कहा है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है वैसे ही भ्रष्टाचार भी व्याप्त है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आगे का दूसरा प्रश्न ले लिया है। चौधरी साहब मूल प्रश्नकर्ता थे इसलिए एक मौका दिया। कुछ माननीय सदस्यों की यह राय है कि जो शादी ब्याह की सूची के मामले में माननीय विधायकों से ओपिनियन ली जानी है उसमें कहीं कुछ कमी बता रहे हैं, उनकी राय नहीं ली गयी है। माननीय मंत्री जी आप प्रदेश के सभी समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि इस तरह की शिकायतें न आयें। यह माननीय सदस्यों की एक जनरल राय है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे। आपके यहां समाज कल्याण अधिकारी नहीं हैं वाराणसी में, वह समाज कल्याण अधिकारी जो थे वह रिटायर हो गये हैं। एक तो समाज कल्याण अधिकारी सभी जिलों में नहीं है कुछ कम हैं। लेकिन जहां पर दो अधिकारी हैं वहां के एक अधिकारी को लेकर आपके यहां के लिये प्रस्ताव करा देंगे। एक अधिकारी को आपके यहां तैनात करा देंगे। हमारे प्रमुख सचिव इसको सुन भी रहे होंगे। जहां शादी बीमारी का पैसा नहीं बांटा गया है या माननीय विधायकों की बैठक नहीं बुलायी गयी है या उनको लिस्ट नहीं दी गयी या जैसा कि दादा ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन का चेक उनके यहां नहीं दिया गया तो यह सारी व्यवस्था के लिये मैं तुरन्त अपने अधिकारियों से कहूंगा कि समीक्षा कर लेंगे। यह सारा पैसा गरीबों को मिलना चाहिए जब शासनादेश है और माननीय विधायकों को बैठक में बुलाने का काम किया जाय। मान्यवर, मैंने खुद देखा है। हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं बहुत से माननीय विधायक उस बैठक में जाते नहीं हैं। आप लोग मीटिंग में जरूर जायें यह आपसे आग्रह है। हम सुनिश्चित करायेंगे आपको बुलाने के लिये। आपको हम यहां पर इस बात का आश्वासन भी देना चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी जहां पर भी माननीय सदस्यों को बाई पास किया गया है और अगर माननीय विधायकों को लिस्ट के आधार पर शादी का पैसा नहीं दिया गया है उसमें सर्वे कराकर सख्त से सख्त कार्यवाही करायेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004 के अनुसार सरकार द्वारा नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद तथा ग्रेटर नोएडा को प्रौद्योगिकी नगरों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

क्या सरकार ने इन नगरों को सूचना प्रौद्योगिकी नगरों के रूप में विकसित कर दिया है मेरा दूसरा पूरक सवाल है इसी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004 के अनुसार सरकार को मेरठ, नोएडा, आगरा, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद में साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क बनाने थे जहां तक मेरी जानकारी है आगरा को छोड़कर साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क बना दिये गये हैं या अन्तिम चरणों में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा में अभी तक साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ, उसकी देरी का क्या कारण था ? माननीय मंत्री जी, एक तीसरा और सवाल है कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004 के अनुसार वर्ष 2007-08 में आपके क्या-क्या कार्य प्रस्तावित थे क्या आप आगरा को नोएडा की तरह आईटी हब के रूप में विकसित करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा यह सही है कि इधर चाहे नोएडा हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो या वाराणसी हो इधर इनमें जो है विकसित करने का कार्य किया गया। आगरा विकास प्राधिकरण से जमीन जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाई थी इसलिए वहां साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना नहीं हो पाई थी। अब इधर मेरे संज्ञान में आ चुका है कि जमीन अब आवंटित कर दी गयी है और हम कोशिश करेंगे कि आगरा में शीघ्रातिशीघ्र साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना हो सके। इसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जमीन के बारे में कहा है जहां तक मेरी जानकारी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। 12.20 से ज्यादा हो गया।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जमीन के बारे में जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो वह जमीन अभी क्लीयर नहीं हुई है मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रमुख सचिव से आप स्वयं बात कर लें यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है आगरा के लिए। क्योंकि आगरा में 10 से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेज हैं और नोएडा में अब जगह नहीं बची है।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब थोड़ा नियम देखें प्रश्नों का समय अब खत्म हो गया है।

प्रदेश में एडवेंचर गेम की योजना

*6-श्री उदयभान करवरिया-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में एडवेंचर गेम की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-397424 दिनांक 8-5-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

जी नहीं।

जी हां। लेटकर मोटर साईकिल को चलाना करतब दिखाना है। इसे खेल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

उपरोक्त स्थिति में सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ से फसलों को होने वाले नुकसान की आर्थिक सहायता को बढ़ाये जाने की मांग

*7-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखे से एवं बाढ़ से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान में सरकार द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ से किसानों की फसलों को 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसलों की क्षति की दशा में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित योजना निधि से राहत प्रदान करने की व्यवस्था है। जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा राहत की मानक मदें एवं दरें निर्धारित की जाती हैं। दिनांक 27-6-2007 से भारत सरकार द्वारा मानक दरों में वृद्धि कर दी गयी है एवं तद्नुसार आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा रही है।

वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*8-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[पांचवें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में स्वतंत्र राजस्व न्यायालयों के गठन की योजना

*9-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वतंत्र राजस्व न्यायालयों के गठन के सन्दर्भ में शासन की क्या नीति है तथा शासन ने क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

स्वतंत्र राजस्व न्यायालयों के गठन की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*10-श्री बृजेश सौरभ-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

*11-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

शासनादेश संख्या-791/26-2-2007-100 (7)/06 टी0सी0-1, दिनांक 13-3-2007 द्वारा प्रदेश में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था/किसान पेंशन की दर रुपये 150/-प्रति लाभार्थी प्रति माह को संशोधित करते हुए रु0 300/-प्रति लाभार्थी प्रतिमाह कर दी गयी है। यह वृद्धि/दर दिनांक 01-04-2007 से प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रवा राजपूत जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की मांग

*12-डा0 अजय तोमर-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 में रवा राजपूत जाति का सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर, पिछड़े वर्ग में सम्मिलित जातियों-अहीर, गुर्जर, जाट आदि से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार रवा राजपूत जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधेश कुमार वर्मा)-

यह जाति उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की सर्वेक्षणाधीन जातियों की सूची में अंकित है। मा0 आयोग के निर्णयानुसार प्रथम आगत के आधार पर क्रम आने पर इस जाति का सर्वेक्षण किया जाना है।

नोएडा जनपद गाजियाबाद में भूमि घोटाले की जांच

*13-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा जनपद गाजियाबाद में भूमि घोटाला की जांच टी0 जार्ज जोसेफ (आई0ए0एस0) द्वारा करायी गयी थी, यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इसमें दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

गांव सभा एवं सरकारी भूमियों को गलत एवं कपटपूर्ण कार्यवाही से भू-माफिया मोती गोयल द्वारा अपने घनिष्ठों के नाम फर्जी प्रविष्टि कराकर भूमि हड़पे जाने का मामला प्रकाश में आने पर शासन द्वारा जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा) एवं बुलन्दशहर के भू-अभिलेखों की गहनता से जांच करायी गयी जिस पर जनपद गाजियाबाद की तहसील गाजियाबाद में भू-माफियाओं के विरुद्ध 15 अपराधिक मुकदमें सम्बन्धित थानों में तथा तहसील गढ़मुक्तेश्वर में दो अपराधिक मुकदमें सम्बन्धित थाने में योजित कराये गये। प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध भू-माफिया मोती गोयल, लज्जाराम, राकेश गोयल, रोहताश, संजीव तिवारी, जितेन्द्र माहेश्वरी, रामधार, महावीर, अशोक छाबड़ा तथा तीन अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायी गयी। इनमें से श्री अशोक छाबड़ा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो गयी है तथा एक व्यक्ति की मृत्यु जेल में हो गयी है। शेष अपराधी विगत दो वर्षों से जेल में हैं। इसी प्रकार तहसील गढ़मुक्तेश्वर में प्रकरणों में नरेन्द्र सिंह राणा तथा अन्य 12 के विरुद्ध अपराधिक मुकदमें कायम कराये गये थे जिसमें श्री रहीसुद्दीन नायब तहसीलदार सर्वे व श्री लक्ष्मी चन्द कानूनगो तथा एक सर्वे लेखपाल विगत दो वर्षों से जेल में है। मोती गोयल प्रकरण में तीन कलेक्ट्रेट कर्मचारी निलम्बित हैं तथा दो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार अन्य सभी प्रकरणों में भी दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है।

मोती गोयल प्रकरण के दो प्रकरणों में सी0बी0आई0 देहरादून द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में अपराधिक मुकदमों में विवेचना गतिमान है।

जांच के दौरान गांव सभा एवं सरकारी भूमियों से सम्बन्धित प्रकरणों को नियत प्राधिकारी से औचित्यपूर्ण आदेश करवा कर भूलेख को दुरुस्त करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में भिक्षुओं की संख्या एवं पुनर्वासित करने की मांग

1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2006 से 15 जून, 2007 तक प्रदेश में कितने भिक्षुओं को चिन्हित किया गया है और उनमें से कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सूचना एकत्र की जा रही है।

2-श्री उदयभान करवरिया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर के के0 एन0 आई0 टी0 कैम्पस बाइड नेट वर्किंग के टेण्डर में बरती गयी अनियमितताओं की जांच विषयक-पत्र

3-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0एन0आई0टी0 सुल्तानपुर में कैम्पस बाइड नेटवर्किंग के टेण्डर में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं की जांच कराने विषयक श्री प्रवीण पटेल सदस्य विधान सभा के शिकायती-पत्र पर आपके पत्रांक संख्या-198-201/रा0म0स्व0प्रा0शि0/2007, दिनांक 22-6-2007 द्वारा जांच कराकर समुचित कार्यवाही के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मा0 मंत्री जी अपने आदेश का अनुपालन कराते हुए जांच पूर्ण कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

जी हां।

जी नहीं। जांच कार्यवाही प्रचलित है।

प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 22-6-2007 द्वारा इंचार्ज, प्रोक्योरमेंट एस0पी0एफ0यू0, आई0ई0टी0, लखनऊ को पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराकर समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। पुनः सम्यक् विचारोपरान्त इस आदेश को दिनांक 4-7-2007 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है और दिनांक 12-11-2007 को प्रकरण की जांच हेतु संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के अभिलेखों का स्थानान्तरण सुनिश्चित किये जाने की मांग

4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि नवसृजित जनपद हाथरस का भाग बनी तहसील सादाबाद के अभिलेखों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अभिलेखों का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील सादाबाद के अभिलेखों का स्थानान्तरण आंशिक रूप से किया गया है।

शासन द्वारा जिलाधिकारी, हाथरस को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल अभिलेखों का स्थानान्तरण सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली की तहसील सदर के ग्राम सभा रहवां में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

5-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली, तहसील सदर के ग्राम सभा रहवां में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या-1098 रकबा 10.66 व गाटा संख्या-1099 रकबा 0.367 खाता संख्या-728 पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

क्षेत्रीय नायब तहसीलदार के साथ राजस्व कर्मियों की टीम गठित करके थानाध्यक्ष हरचन्दपुर की उपस्थिति में ग्राम रहवां, तहसील सदर, रायबरेली के गाटा संख्या-1098 व 1099 अंकित अभिलेख रास्ता पर किये गये अवैध कब्जे व निर्माण जिसमें गाटा संख्या-1099 में श्री माताफेर पुत्र शीतलदीन निवासी रहवां छप्पर के नीचे नाई की दुकान (2) श्री रमाकान्त तिवारी पुत्र देवता प्रसाद निवासी रहवां की छप्पर व कच्चे कोठसी में स्थित चाय व पान की दुकान (3) श्री हरिप्रकाश सिंह पुत्र श्री देवीबक्श सिंह निवासी रहवा की छप्पर पर कच्ची कोठरी में स्थित चाय व पान की दुकान (4) श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री त्रिवेण सिंह निवासी रहवां की लकड़ी की गुमटी (5) श्री राजेन्द्र पुत्र रामऔतार निवासी पारा की टीन शटर लगी दुकान में पान की दुकान (6) श्री सुखदेव सिंह पुत्र भगवान बक्श निवासी रहवां के शटर लगे टीन शेड में स्थित पी0सी0ओ0 तथा गाटा संख्या-1098 में विश्वनाथ शिक्षा निकेतन की बनी बाउन्ड्री को हटवा कर उक्त भूमि खाली करा दी गयी है।

ग्राम सभा रहवां, तहसील सदर, रायबरेली में स्थित गाटा संख्या-1098 व 1099 अभिलेखों में अंकित रास्ता से अवैध कब्जा हटाकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के राजकीय आस्थान भूमि की दोहरी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में जांच

6-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा इलाहाबाद जनपद में राजकीय आस्थान भूमि की दोहरी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-2536/1-6-2002-रा0-6 दिनांकित 27 सितम्बर, 2002 के अनुसार इलाहाबाद में 31-8-2007 तक कितने ऐसे मामले शासन के संज्ञान में हैं और कितने मामलों का निस्तारण किया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जिलाधिकारी, इलाहाबाद से प्राप्त सूचनानुसार इलाहाबाद में राजस्व अभिलेखों में राजकीय आस्थान तथा नजूल भूमि के भू-अभिलेखों में दोहरी प्रविष्टि के कई प्रकरण में राजस्व अनुभाग-6 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2536/1-6-2002-रा0-6, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुसार परीक्षण की कार्यवाही आरम्भ की गई। इसी बीच आवास अनुभाग-4 की शासनादेश संख्या-2532/9-आ-4-2002-295एन/2001, दिनांक 2 नवम्बर, 2002 जिसके द्वारा आवास विभाग के शासनादेश दिनांक 26-10-02 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया था। चूंकि आवास विभाग के शासनादेश दिनांक 02-11-02 के विषय में भी राजकीय आस्थान अंकित रहने के कारण जनपद में राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 27-09-02 की कार्यवाही को भी त्रुटिवश स्थगित मान लिया गया।

अतः इस विषय में आवास विभाग से अन्तर्विभागीय परामर्श के बाद पुनः विधिक प्रक्रिया अनुसार नीतिगत निर्णय लिया जायेगा।

जनपद लखनऊ के उपजिलाधिकारी का अनियमित आदेश निरस्त किये जाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

7-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ का अनियमित आदेश सं0-69/01-02, दिनांक 6 अगस्त, 202 निरस्त किये जाने विषयक श्री ओमकार सिंह यादव, विधायक के पत्र पर तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री के पत्रांक 112/वी0आई0पी0/रा0मं0रा0/2007, दिनांक 12 मार्च, 2007 द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को दिये गये आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आदेशों का अनुपालन कराकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ के आदेश दिनांक 06-08-2002 वाद संख्या-69/01-02 अन्तर्गत धारा-33/39 भू-राजस्व अधिनियम के विरुद्ध निगरानी मा0 राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 17-12-2007 को तिथि नियत है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी कार्यालय में आय प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की जानकारी

8-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय में आय प्रमाण-पत्र हेतु कितने प्रार्थना-पत्र 31-3-07 से अब तक लम्बित हैं ? उक्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मैनपुरी में दिनांक 31-3-07 से अब तक कुल 47053 आय प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है। आय प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्रों का निश्चित समय सीमा सात दिन के भीतर निस्तारण कर दिया जाता है। वर्तमान में सात दिन से पूर्व का कोई भी प्रार्थना-पत्र निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के आधुनिकीकरण की मांग

9-श्री सतीश महाना-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक सीटिंग व्यवस्था से पुनर्निर्माण करने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय विकास खण्डों में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण

10-श्री अनूप संडा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के नगर सुल्तानपुर व विकास खण्ड दुबेपुर व कुड़वार में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु 31 जुलाई, 2007 तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, इनमें से कितने लोगों को इसका लाभ दिया गया ? शेष पात्रों को कब तक इसका लाभ दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद सुल्तानपुर के प्रश्नगत स्थानों से 31 जुलाई, 2007 तक गरीब कन्याओं के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या एवं इसके सापेक्ष लाभान्वित लोगों की संख्या निम्नवत् है :--

स्थान का नाम	गरीब कन्याओं के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	लाभान्वित लोगों की संख्या
1-नगर सुल्तानपुर	20	11
2-विकास खण्ड दुबेपुर	82	48
3-विकास खण्ड कुड़वार	87	45

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास खण्ड में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण की योजना

11-डा0 अजय तोमर-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की खेल नीति के अन्तर्गत ग्रामीण छात्रों को खेलकूद में प्रोत्साहित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम/व्यायाम शाला खोले जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम/व्यायाम शालाएं खोले जाने के मानक क्या है ? क्या सरकार जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज अन्तर्गत ग्राम समुखा में ग्रामीण मिनी स्टेडियम/व्यायामशाला खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी हां। प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की योजना संचालित है।

ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना हेतु 03 एकड़ निःशुल्क भूमि युवा कल्याण विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए। चयनित भूमि आयताकार होनी चाहिए। प्रस्तावित भूमि तक आने-जाने के लिए पक्की सड़क हो तथा आवागमन के साधन हो। प्रस्तावित भूमि समतल हो।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में नये ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु धनराशि अवशेष न होने के कारण जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-माधौगंज के अन्तर्गत ग्राम समुखा में स्टेडियम की स्थापना किया जाना चालू वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं है।

प्रदेश में कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की मांग

12-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के कश्यप, निषाद, गोड़िया, राजभर जाति के पिछड़ेपन को देखते हुए इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु क्या केन्द्र सरकार को पुनः प्रस्ताव भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा सभी उल्लिखित जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के पूर्व प्रेषित संस्तुति निरस्त कर यथास्थिति कायम रखने का निर्णय लिया गया है।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम गोपाल खेड़ा मजरे भदनांग में श्री जगन्नाथ पुत्र श्री राम प्रसाद की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

13-श्री सुखलाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी ग्राम-गोपाल खेड़ा, मजरे भदनांग, तहसील पुरवा, उन्नाव की कृषि भूमि पर गांव के दबंग व्यक्तियों द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटवाने विषयक श्री कौशल किशोर, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-ख-3 नं0 070954 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जा हटवाकर कृषकों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

श्री जगन्नाथ पुत्र राम प्रसाद निवासी गोपाल खेड़ा म0 भदनांग तहसील-पुरवा जनपद-उन्नाव को उसके रकबे के अनुसार पूर्व में कब्जा दिला दिया गया है जिसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय सिविल जज पुरवा जनपद-उन्नाव में वाद सं0-250/- 7-12-2000 योजित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय अनुदानित संस्थाओं (पालीटेक्निकों) का वेतन बजट फ्रीज सम्बन्धी प्रकरण

14-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अनुदानित संस्थाओं (पालीटेक्निक) का वेतन बजट फ्रीज है ? यदि हां, तो वेतन किस मद से दिया जा रहा है ? क्या सरकार वेतन मद की पूरी धनराशि संस्थाओं को शीघ्र देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थाओं का बजट वर्ष 1998-99 के स्तर पर फ्रीज है। फलतः अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं को बजट प्राविधान फ्रीज बजट की सीमा तक ही दिया जा रहा है।

उपलब्ध बजट की सीमा तक ही भुगतान किये जाने का निर्णय प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भुखमरी से मरने वालों की संख्या एवं इसे रोकने के उपाय

15-श्री सतीश महाना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भुखमरी के कारण विगत तीन माह में कितने लोगों की मौतें हुई हैं ? क्या इन मौतों के लिए किसी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई हैं ? क्या भविष्य में ऐसी घटना न हो इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश में भुखमरी के कारण विगत 3 माह में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

भुखमरी/गरीबी के कारण मृत्यु की घटनाओं को रोकने हेतु शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण की योजनायें संचालित है। निर्बल एवं कमजोर वर्गों हेतु सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन द्वारा अन्त्योदय, अनपूर्णा योजनायें प्रभावी हैं। भुखमरी/गरीबी में राहत दिये जाने के क्रम में ही सरकार द्वारा किसान, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के ग्राम पंचायत बक्सरा की श्रीमती माया देवी की मार्कशीट एवं जन्म तिथि की जांच कराने की मांग

16-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के वि0 स0 क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बक्सरा में श्रीमती माया देवी पत्नी श्री विजय कुमार ने फर्जी एवं जालसाजी मार्कशीट बनवाकर सहायिका कार्यकत्री के पद पर वर्ष 2001 से कार्य करते हुए इन्होंने संस्थागत छात्रा के रूप में कक्षा 9 एवं 10 की परीक्षा दी है इस बीच इन्होंने सभी मानदेय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कक्षा 1 से 10 तक अंक-पत्र एवं जन्म तिथि की जांच करवाकर जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवायेगी एवं वसूली करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या-1627 दिनांक 22-11-07 के अनुसार श्रीमती माया देवी पत्नी श्री विजय कुमार की नियुक्ति सहायिका के पद पर जूनियर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर फरवरी, 2001 में हुई थी। तत्पश्चात् पुनः आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद पर बक्सरा आंगनबाड़ी केन्द्र पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्यकत्री के पद पर नियुक्ति दिनांक 27-10-04 को की गयी है। इनके द्वारा कक्षा 10 की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की गयी है। संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में नहीं। इन्हें नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया गया है।

इनके शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जांच करायी गयी है जो सही पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में गत वर्षों में सहायिका एवं कार्यकत्रियों की नियुक्तियों की जांच

17-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के वि0 स0 क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2001 से 2006 तक सहायिका एवं कार्यकत्रियों की कितनी नियुक्ति की गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं ? क्या सरकार नियुक्तियों में की गयी अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत 02 परियोजना क्रमशः मनकापुर व छपिया आती हैं। वर्ष 2001 से 2006 तक दोनों परियोजनाओं में निम्नानुसार आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकत्रियों की नियुक्ति की गयी।

परियोजना	आं बा0 कार्यकत्री	आं बा0 सहायिका
मनकापुर	144	146
छपिया	159	146
योग	303	292

उक्त नियुक्तियों के विरुद्ध आय एवं निवास प्रमाण-पत्रों के फर्जी होने तथा समिति द्वारा चयन में त्रुटियों की शिकायत प्राप्त हुयी।

प्राप्त शिकायतों की जांच सुश्री लिली सिंह, अपर परियोजना प्रबन्धक, मुख्यालय से करायी गयी। मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या-1628 दिनांक 22-11-07 के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी छपिया द्वारा चयन से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके लिए उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है तथा जांच में दोषी पाये गये श्री राजकपूर गुप्ता, श्री रामनरेश वर्मा, सुश्री शशि प्रभा गांधी व श्री बलराम सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी। उनका उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण में निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

18-श्री राजीव कुमार सिंह-

[आश्वासन समिति के विचारार्धीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में बाढ़ से प्रभावित किसानों को सहायता धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

19-श्री लालजी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में वर्तमान समय में बाढ़ से कितने ग्राम प्रभावित हुए हैं ? क्या उक्त प्रभावित गांव के किसानों को सहायता धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रभावित किसानों को लगान व अन्य कर्जे माफ करने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

बाढ़ से कुल 73 गांव प्रभावित हुए हैं।

बाढ़ से प्रभावित हुए 73 ग्रामों में से जलमग्न हुए 24 ग्रामों में तात्कालिक सहायता के रूप में चावल, नमक, माचिस एवं मिट्टी का तेल मूल्य रु0 7,75,354/-वितरित किया गया। बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित पात्र कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में रु0 76,85,440/-एवं गृह अनुदान के रूप में रु0 18,76,000/-के वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

दुग्ध विकास मद में पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय का विवरण

20-श्री उदयभान करवरिया-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुग्धशाला विकास मद में सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग इक्तीस करोड़ उन्यासी लाख रुपये, आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग एक अरब बीस करोड़ चालीस लाख रुपये तथा नवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग बीस करोड़ चौवन लाख साठ हजार रुपये व्यय हुए थे ? आठवीं पंचवर्षीय योजना में सामान्य से अधिक व्यय किस-किस मद में तथा कितना-कितना किया गया है ? क्या व्यय का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

जी हां।

शासन द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम के लिए योजनाओं में अधिक धनराशि प्राप्त होने के फलस्वरूप

रु0 120.40 करोड़ की धनराशि व्यय हुई जिनमें सामान्य से अधिक निम्न योजना/मदों में धनराशि व्यय की गयी :-

	(करोड़ रु0 में)
1-दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनगर्ठन एवं विस्तार।	24.80
2-राष्ट्रीय डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड से प्राप्त ऋण की अदायगी हेतु पीसीडीएफ में अंशपूंजी विनियोजन।	20.70
3-सघन मिनी डेरी परियोजना।	5.40
4-पी0सी0डी0एफ0 तथा दुग्धसंघों को विगत वर्षों में अंशपूंजी का अनुदान में परिवर्तन।	7.50
5-पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा तराई क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रम।	11.00
6-भूमि, पावर लाइन, नलकूप एवं सिविल कार्य।	7.70
7-दुग्ध सहकारिताओं को तकनीकी निवेश सेवायें व प्रसार कार्य (ओ0एफ0)	7.10
योग :-	84.20

जी हां, आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में मदवार व्यय विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175-176 पर)

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की ग्राम पंचायत बक्सरा की श्रीमती सोनमता के फर्जी प्रमाण-पत्रों की जांच

21-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बक्सरा में श्रीमती सोनमता पत्नी श्री अजय कुमार ने वर्ष 2003 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उनके अंक-पत्र में जन्म तिथि 8-10-1987 अंकित है ? क्या इनके द्वारा जूनियर हाई स्कूल परीक्षा 1999 के अंक-पत्र में जन्म तिथि दि0 1-1-82 है और उसके आधार पर वे सहायिका के पद पर कार्य कर रही हैं ? क्या सरकार जूनियर हाई स्कूल की जन्म तिथि के प्रमाण-पत्रों की जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाकर कार्यवाही करेगी एवं अब तक के लिये गये सभी देयों की वसूली करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

श्रीमती सोनमता देवी पत्नी श्री अजय कुमार की नियुक्ति आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर जूनियर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर 26-6-03 को हुयी थी। इनकी व्यक्तिगत पत्रावली में हाई

स्कूल वर्ष 2003 उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। इनके द्वारा सहायिका पद से त्याग-पत्र दे दिया गया है।

इनके द्वारा प्रस्तुत जूनियर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में इनकी जन्मतिथि 01-01-1982 अंकित है। वर्तमान में इनके द्वारा सहायिका पद से त्याग-पत्र दे दिया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा इनके जूनियर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की जांच करायी गयी जो फर्जी पाया गया इसके लिए इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए भुगतान किये गये सभी देयकों की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की ग्राम पंचायत बक्सरा की श्रीमती बिन्दू देवी के फर्जी प्रमाण-पत्रों की जांच

22-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में ग्राम पंचायत बक्सरा में श्रीमती बिन्दू देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार सहायिका के पद पर कार्यभार कब ग्रहण किया ? क्या इन्होंने दि0 25-9-01 से 1-4-03 के बीच में कक्षा-9 एवं 10 की छात्रा के रूप में संस्थागत परीक्षा उत्तीर्ण की है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत सहायिका एवं कार्यकत्री के रूप में कार्य करती रही ? क्या यह भी सही है कि हाई स्कूल के मूल अंक-पत्र में जो जन्म तिथि दर्शायी गयी है की छाया प्रति में फेर बदल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर जालसाजी का मुकदमा दर्ज करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

श्रीमती बिन्दू देवी पत्नी सुरेश कुमार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र बक्सरा, द्वितीय पर दिनांक 25-9-2001 को सहायिका पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

जी हां।

श्रीमती बिन्दू देवी कार्यकत्री/सहायिका पद से त्याग-पत्र दे दिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी गोण्डा के पत्र संख्या-1630 दिनांक 22-11-07 के अनुसार श्रीमती बिन्दु देवी के विरुद्ध फर्जी शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए भुगतान किये गये देयकों की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

श्रीमती बिन्दू देवी द्वारा कार्यकत्री/सहायिका पद से त्याग-पत्र दे दिया गया है। श्रीमती बिन्दु देवी के विरुद्ध फर्जी शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए भुगतान किये गये देयकों की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

23-डा0 धर्मपाल सिंह-

[दूसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

24-श्री लालजी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

विभाग में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के 28 विभागीय पद स्वीकृत हैं जिसमें 25 पद रिक्त हैं।

कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2007 को प्रख्यापित उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 के परिप्रेक्ष्य में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पोषक संवर्ग की कोटिक्रम सूची में संशोधन की कार्यवाही चकबन्दी आयुक्त द्वारा की जा रही है। संशोधित कोटिक्रम सूची प्राप्त होने पर यथाशीघ्र रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में मण्डी स्थल बनाये जाने का कथित प्रस्ताव

25-श्री लालजी यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत तहसील बांसी में मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी स्थल बनाये जाने का प्रस्ताव विभाग व शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार मण्डी भवन बनाये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड भावलखेड़ा के ग्राम पैना बुजुर्ग में कृषि भूमि के पट्टे के आवंटन अन्तर्गत भूमिहीन अनुसूचित जातिं के व्यक्तियों को भी पट्टा दिलाये जाने की मांग

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले 3 वर्षों में जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड भावलखेड़ा के ग्राम पैना बुजुर्ग में सरकारी कृषि भूमि कितने लोगों को पट्टे पर दी गई ? क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त ग्राम के निवासी (1) बबलू जाटव पुत्र उज्जा (2) धनपाल पुत्र रामेश्वर (3) लाली बाल्मीकी पुत्र रामौतार (4) अशोक पुत्र करन (5) गंगाराम पुत्र डोरी (6) राजाराम पुत्र नन्हकू सभी अनुसूचित जाति के भूमिहीन है, को पट्टे की भूमि नहीं आवंटित की गई ? क्या मा0 मंत्रीजी पिछले तीन वर्षों में हुए अपात्र व्यक्तियों के अवैध पट्टे निरस्त करके भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा दिलाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

पिछले 3 वर्षों में जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड भावलखेड़ा के ग्राम पैना बुजुर्ग में सरकारी कृषि भूमि पर 20 लोगों को पट्टे पर दिये गये हैं।

जी हां।

विगत तीन वर्षों में किया गया आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को है।

अवशेष पात्र भूमिहीनों को आवंटन हेतु नियमानुसार पट्टा दिलाये जाने की कार्यवाही कर अतिशीघ्र पट्टा दिला दिया जायेगा।

27-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-101के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम नौडाढ़ में ग्राम समाज की भूमि पर अनियमित पट्टे आवंटन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

28-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 राजस्व मंत्री, उ0 प्र0 मण्डलायुक्त फैजाबाद, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर, मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर तथा उंप जिलाधिकारी, मुसाफिरखाना जनपद-सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री इन्द्र प्रकाश धर्मेन्द्र सिंह आदि निवासी गांव नौडाढ़ तहसील मुसाफिरखाना सुल्तानपुर का दिनांक 4-1-07 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र तथा 10-10-06 दिनांक 20-11-06 को तहसील में प्राप्त कराया गया, जिसमें ग्राम नौडाढ़ में अपात्रों को राजमार्ग के किनारे व्यवसायिक भूमि जिसमें ग्राम समाज की भूमि पर पहले ही कब्जेदारों को पट्टे के द्वारा नियमित करने

पेड़ों के आच्छादित भूमि शमशान को पैसा लेकर पट्टा करने सम्बन्धी शिकायतें हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गयी एवं आवंटी पात्र पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कुड़ाना के पशु चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण कर चिकित्सकों एवं स्टाफ की नियुक्ति की मांग

29-श्री हुकुम सिंह-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम कुड़ाना में पशु चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात अभी तक किसी डाक्टर या अन्य कर्मचारी की नियुक्ति के अभाव में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ? क्या पशु चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा चिकित्सालय में अन्य सभी अनुमन्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम कुड़ाना में पशु चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा नवनिर्मित पशु चिकित्सालय पर चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती हेतु पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम कुड़ाना के ग्रामीणों को निकटवर्ती पंशु चिकित्सालय, शामली के माध्यम से पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

पद सृजन के उपरान्त पशु चिकित्साकारी व अन्य कर्मचारियों की तैनाती एवं अन्य सभी अनुमन्य सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में राजकीय आस्थान भूमि की दोहरी प्रवष्टियों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

30-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा इलाहाबाद जनपद में राजकीय आस्थान भूमि की दोहरी प्रवृष्टियों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-2536/1-6-2002-रा-6 दिनांकित 27 सितम्बर, 2002 क्या है तथा इसके अनुसार इलाहाबाद में कितने ऐसे मामले शासन के संज्ञान में है और कितने मामले निपटाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री फागू चौहान-

जिलाधिकारी, इलाहाबाद से प्राप्त सूचनानुसार इलाहाबाद में राजस्व अभिलेखों में राजकीय आस्थान तथा नजूल भूमि के भू-अभिलेखों में दोहरी प्रविष्टि के कई प्रकरण में जारी शासनादेश संख्या-2536/1-6-2002-रा0-6, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुसार परीक्षण की कार्यवाही आरम्भ की गई। इसी बीच आवास अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-2532/9-आ-4-2002-295 एन/2001, दिनांक 2 नवम्बर, 2002 जिसके द्वारा आवास विभाग के शासनादेश दिनांक 26-10-02 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया था। चूंकि आवास विभाग के शासनादेश दिनांक 02-11-02 के विषय में भी राजकीय आस्थान अंकित रहने के कारण जनपद में राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 27-09-02 की कार्यवाही की भी त्रुटिवश स्थगित मान लिया गया।

अतः इस विषय में आवास विभाग से अन्तर्विभागीय परामर्श के बाद पुनः विधिक प्रक्रिया अनुसार नीतिगत निर्णय लिया जायेगा।

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में पट्टेदारों को स्थल पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

31-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज में उप जिलाधिकारी द्वारा जनवरी, 2007 से अगस्त, 2007 तक कितने पट्टेदारों को स्थल पर कब्जा दिलाया गया ? क्या सरकार टीम गठित कर स्थलीय परीक्षण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत अवधि में कृषि आवंटन की भूमि पर कुल 211 आवंटियों को 77.039 हे0 तथा आवासीय आवंटियों के 98 पट्टेदारों को 1.176 हे0 भूमि पर कब्जा दिलाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत पतिजिया बुजुर्ग में आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा सम्बन्धी जानकारी

32-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पतिजिया बुजुर्ग के राजस्व ग्राम असनहरा में गाटा सं0-10/0.03, भूमि का आवासीय पट्टा कब किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त गाटा सं0 पर पट्टेदार का कब्जा न होकर दबंगों द्वारा कब्जा कर पक्का मकान बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दबंगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

दिनांक 24-01-2005 को आवासीय पट्टा स्वीकृत किया गया है।

आवंटित भूमि पर आवंटी का ही कब्जा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत भिटौरा के दुखीपुरवा के राम भवन की भूमि का अवैध कब्जा हटवाने की मांग

33-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिटौरा के दुखीपुरवा निवासी दलित, राम भवन की भूमि गाटा सं0-3646घ/0.14, पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया है ? क्या सरकार पीड़ित व्यक्ति को कब्जा करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

ग्राम-भिटौरा परगना व तहसील-मनकापुर जनपद-गोण्डा की भूमि गाटा सं0-3646घ/0-14 विक्रेता श्रीमती मायादेवी द्वारा दलित राम भवन के नाम विक्रय किया गया है। उक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल 0-14 एकड़ में से विक्रेता श्रीमती मायादेवी का मात्र 0-115 एकड़ पर ही कब्जा रहा है। क्षेत्रफल 0-14 के लिए क्रेता रामभवन द्वारा धारा-41 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद योजित कर कब्जा प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के राजस्व ग्राम असनहरा में लेखपाल द्वारा फर्जी तरीके से भूमि का अपात्रों को लाभ दिलाने विषयक कथित प्रकरण

34-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत पतिजिया बुजुर्ग ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम असनहरा में लेखपाल द्वारा फर्जी तरीके से भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक करवाकर सड़क के किनारे की कीमती भूमि गाटा सं0-10/0-3, 68/0-03, 114/0-03, 129/0-08, 132, 132/0-02 को अपात्रों को पट्टा कर लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाकर पट्टा खारिज करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर व कुड़वार में वृद्धा पेंशन के लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण की मांग

35-श्री अनूप सण्डा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जनपद के दुबेपुर व कुड़वार विकास खण्डों में वृद्धा पेंशन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है ? 31 जुलाई, 2007 तक पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन स्वीकृत हुए तथा शेष आवेदन-पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर में दिनांक 31-7-07 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु 4096 पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 3912 लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी तथा 184 आवेदन पत्र लम्बित हैं। विकास खण्ड कुड़वार में पात्र लाभार्थियों के 2559 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 2473 को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है तथा 86 आवेदन-पत्र लम्बित है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारित अनन्तिम लक्ष्य 24 लाख के सापेक्ष जनपद सुल्तानपुर का लक्ष्य 49572 था जिसे पूर्ण कर लिया गया है। लक्ष्य वृद्धि की कार्यवाही विचाराधीन है। लक्ष्य वृद्धि में निर्णय के उपरान्त विकास खण्ड दुबेपुर के 184 तथा विकास खण्ड कुड़वार के 86 लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बीकापुर जनपद फैजाबाद के श्री ओम प्रकाश शुक्ल कृषि प्रसार संगठक के सेवानिवृत्ति पश्चात जमानत धनराशि अवमुक्त करने की मांग

36-श्री राम विशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ओम प्रकाश शुक्ल कृषि प्रसार संगठक उप सम्भाग बीकापुर जनपद-फैजाबाद उ0 प्र0 30-9-2001 को उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, बीकापुर जनपद-फैजाबाद के यहां से सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो सेवानिवृत्त के पश्चात इनकी जमानती धनराशि को मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जमानती धनराशि को कब तक मुक्त कर दिया जायेगा ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जी नहीं।

श्री ओम प्रकाश शुक्ल, सेवानिवृत्त कृषि प्रसार संगटक की जमानत पास बुक में जमा धनराशि रु0 740/-जो खण्ड विकास अधिकारी, शिवगढ़, जनपद-प्रतापगढ़ के पदनाम से बंधक थी, अवमुक्त करने हेतु उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, बीकापुर, फैजाबाद के पत्र सं0-174ए, दिनांक 6-10-2003 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, शिवगढ़ प्रतापगढ़ को लिखा जा चुका है। पत्र की प्रति श्री शुक्ल को भी पृष्ठांकित की गयी है। इसी प्रकार जमानत पास बुक में जमा धनराशि रु0 1383.20 जो जिला कृषि अधिकारी, खीरी के पदनाम से बंधक थी, को उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, बीकापुर फैजाबाद के पत्र संख्या-232, दि0 24-11-03 द्वारा अवमुक्त करने हेतु लिखा जा चुका है जिसकी प्रति श्री शुक्ल को भी भेजी गयी है।

जमानत पास बुक में जमा धनराशि का आहरण श्री शुक्ल के सम्बन्धित डाकघर में विद्ड्राल फार्म (निकासी पत्र) जमा करने पर भुगतानित हो सकती है अथवा श्री शुक्ल द्वारा मनीआर्डर की कटौती की धनराशि के सम्बन्ध में लिखित रूप से सहमति देने पर, सम्बन्धित डाकघर से मनीआर्डर के माध्यम से भुगतान करने हेतु विभागीय स्तर से अनुरोध किया जा सकता है।

श्री शुक्ल की जमानत पास बुक में जमा धनराशि का भुगतान कराने हेतु नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश शासकीय पत्र सं0-2845/12-4-07-1100/07, दि0 31-10-2007 द्वारा कृषि निदेशक, उ0 प्र0 को दिये जा चुके हैं।

राजस्व विभाग में रिक्त पदों पर लेखपालों की नियुक्ति करने की मांग

37-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक एवं रजिस्ट्रार कानूनगो के पद काफी समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त खाली पदों पर लेखपालों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, विगत कुछ समय से राजस्व निरीक्षक एवं रजिस्ट्रार कानूनगो के पद रिक्त हैं।

जी हां, नियुक्ति की दिशा में कार्यवाही प्रक्रिया में है।

नियुक्ति की कार्यवाही निकट भविष्य में शीघ्र ही पूर्ण कर दी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मण्डी समिति द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत सम्बन्धी जानकारी

38-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या कृषि विपणन मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील-महमूदाबाद जनपद-सीतापुर में मण्डी समिति द्वारा निर्मित महमूदाबाद-इचपैला, चीनी मिल कण्डी, पैतेपुर-सैदनपुर मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कब तक कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

मार्गों की मरम्मत हेतु जिलाधिकारी, सीतापुर से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विकास कार्यों को प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता के अनुसार मार्गों की मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

39-डा0 धर्मपाल सिंह-

[दूसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी मुख्यालय पर मण्डी स्थल निर्माण कराये जाने की मांग

40-श्री लालजी यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर अन्तर्गत तहसील बांसी मुख्यालय पर मण्डी स्थल बनाये जाने हेतु 11 अप्रैल, 2002 व 20 जून, 2007 को मण्डी समिति के प्रस्ताव को जिला अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा मण्डी परिषद्, लखनऊ को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल मण्डी स्थल का निर्माण कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां, मण्डी परिषद् में प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव शासन में प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता राशि वितरण करने की मांग

41-श्री लालजी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांसी जनपद-सिद्धार्थनगर में वर्ष 2007 में कितने ग्रामों के बाढ़ से प्रभावित लोगों को अब तक कितनी सहायता राशि वितरित हो चुकी है तथा कितनी वितरित होनी शेष है ? सहायता राशि वितरण करने का मानक क्या है ? सहायता राशि का वितरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

विधान सभा क्षेत्र बांसी में वर्ष 2007 में बाढ़ से प्रभावित 73 ग्रामों में से 24 जलमग्न ग्रामों के 3824 पात्र परिवारों में रु0 7,75,354/- की राहत सामग्री (चावल, नमक, माचिस तथा मिट्टी का तेल) तात्कालिक राहत सहायता के रूप में वितरित किया जा चुका है। बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित पात्र कृषकों में कृषि निवेश अनुदान के रूप में रु0 76,65,440/- एवं गृह अनुदान के रूप में रु0 18,76,000/- के वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007-46/97 राजस्व अनुभाग-11 दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न पत्र सं0-32-34/2005/एन0डी0एम0-आई दिनांक 27 जून, 2007 में सहायता राशि वितरण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

तात्कालिक राहत सहायता वितरित की जा चुकी है। कृषि निवेश अनुदान एवं गृह अनुदान के वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[दिनांक 6-11-2007 को अता0प्र0सं0-93 द्वारा उत्तरित]

जनपद इलाहाबाद की तहसील सदर में गत कई वर्षों में राजकीय आस्थान की भूमि के पट्टे निरस्त करने सम्बन्धी जानकारी

43-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद की सदर तहसील में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 व 2007-जुलाई, 2007 तक राजकीय आस्थान की भूमियों की शर्तों के उल्लंघन के कारण कितने पट्टे निरस्त करके कितनी-कितनी भूमि शासकीय प्रबन्धन में निहित की गई है और इस समय उनका मूल्य कितना निर्धारित किया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

17 पट्टेदारों के पट्टे निरस्त करके 16.116 हेक्टेयर भूमि शासकीय प्रबन्ध में निहित की गयी। जिसका इस समय मूल्य 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगभग 96,69,60,000.00 रुपया है।

प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश एवं स्थापित उद्योगों की जानकारी

44-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मई, 2007 से 31 अगस्त, 2007 तक औद्योगिक क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश हुआ तथा इस अवधि में मुख्य रूप से कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये गये ?

कु0 मायावती-

उ0प्र0 के औद्योगिक क्षेत्र में मई, 2007 से 31 अगस्त, 2007 के मध्य रु0 458.35 करोड़ के कुल पूंजी निवेश से मुख्य रूप से डेरी, रेडीमेड गारमेंट, वुडन फर्नीचर, आयरन उद्योग, काटन टेक्सटाइल, होजरी, खाद्य प्रसंस्करण, पेपर प्रोडक्ट्स एवं प्रिन्टिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, मैटल प्रोडक्टस, बिजली का सामान आदि के उत्पाद क्षेत्रों में उद्यम स्थापित हुए है।

जनपद शाहजहांपुर रोजा मण्डी से कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

45-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि विपणन मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर रोजा मण्डी से भावल खेड़ा ब्लाक का वसिलिया ददिउरा मार्ग जीर्ण-शीर्ण हालत में है तथा मोहम्मदी रोड परमानपुर चचरी जाने वाला मार्ग, शाहगंज जाने वाला मार्ग व ऐटा हुसेनपुर जाने वाला मार्ग भी क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार इन मार्गों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित उपरोक्त तीन सम्पर्क मार्ग अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत है। शासनादेश सं0-1286/-66-2007-49/05 टी0सी0-11 दिनांक 19 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश सं0-1744/80-1-2007-184/2007 दिनांक 07 सितम्बर, 2007 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उप जिलाधिकारी द्वारा तालाबों/झीलों को पूर्ववत् बहाल करने की कार्यवाही

46-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तालाबों को पूर्ववत् बहाल किये जाने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राजस्व विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के उप जिलाधिकारी द्वारा वर्ष जुलाई, 2005 से 3 जुलाई, 2007 तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राजस्व विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में दिनांक 26-9-2006 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या 38910/2003 इकबाल अहमद बनाम उप संचालक चकबन्दी देवरिया एवं अन्य के प्रकरण में अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में प्रति शपथ-पत्र दाखिल कराया गया था।

तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में तालाब/पोखरा/झीलों/रिजरवायर के रूप में अभिलेखों में कुल 4062 गाटे/1757.163 हे0 भूमि दर्ज है। माह जुलाई, 2007 के अंत तक कुल 215 गाटों रकबा 57.051 हे0 पर अवैध कब्जा पाया गया था जिसमें से 128 गाटों कुल रकबा 39.948 हे0 से अवैध कब्जा हटवाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की बीमारी हेतु दवायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

47-श्री लालजी यादव-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं में गम्भीर बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा पशु चिकित्सालय, बांसी सिद्धार्थनगर में पशु चिकित्सक नहीं हैं तथा पूरे जिले में दवाओं का अभाव है ? क्या सरकार तत्काल चिकित्सकों की कमी को पूर्ण कराने व दवायें मुहैया कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं में बीमारी का कोई प्रकोप/खतरे की सूचना नहीं है। पशु चिकित्सालय बांसी में पशु चिकित्सक का पद रिक्त है परन्तु पशु चिकित्साधिकारी, मिठवल के पास पशु चिकित्सालय बांसी का अतिरिक्त कार्यभार है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं का अभाव नहीं है।

पशु चिकित्सकों की भर्ती हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा पशु चिकित्सालयों पर दवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती अनुपमा दीक्षित सेवानिवृत्त अधीक्षिका, राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) इलाहाबाद को जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने की मांग

48-श्री सुखलाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती अनुपमा दीक्षित, सेवानिवृत्त अधीक्षिका, राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) इलाहाबाद को वर्ष 1979 से विनियमित करने, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा उप निदेशक के पद पर पदोन्नति करने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय, उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अभिकरण, लखनऊ में दायर रिट याचिका सं0-2241/1996, दिनांक 20-3-2007 तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पोषित रिट याचिका सं0 38304/2006 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 21-7-2006 का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश दिनांक 20-03-2007 के अनुपालन में सुसंगत नियमों के अनुरूप कार्यवाही प्रचलित है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-07-2006 के क्रम में श्रीमती अनुपमा दीक्षित का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जा चुका है, जिसमें श्रीमती दीक्षित को विनियामित किये जाने हेतु योग्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपायी हेतु दी जाने वाली राशि बढ़ाये जाने की मांग

49-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार ने सी0आर0एफ0 से राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में दिनांक 27-06-2007 से राहत की दरों में बढ़ोतरी की है। वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राहत की मदों एवं दरों में वृद्धि/संशोधन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

50-श्री मदन भैया-

[दूसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सभा गिरधरपुर की ग्राम सभा की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

51-श्री सुल्तान बेग-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सभा गिरधरपुर की ग्राम समाज की भूमि गाटा सं0 1056 क्षेत्रफल 0.380 हे0 पर चेरीटेबिल स्व0 मिसर पार खां शिक्षा समिति ग्राम एहेरा जि.ा रामपुर के प्रबन्धक शराफत यार खां द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रकरण की जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जनपद सिद्धार्थनगर में रिक्त पड़े लेखपालों के पदों को बैकलाग से भरे जाने की मांग

52-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में लेखपालों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार आरक्षण कोटे को भरते हुये रिक्त लेखपालों के सभी पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 523 पद लेखपाल के स्वीकृत हैं।

वर्तमान में आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत बैकलाग के रिक्त पदों पर ही नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही की जा रही है। अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्देश नहीं है।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के नये भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

53-श्री संजय कपूर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर स्थित "तहसील भवन" जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये भवन का निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां, सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बारांबकी की तहसील नवाबगंज के ग्राम बोजा के स्व0 जगत नारायण सिंह के वारिसों के नाम से विरासत किये जाने की मांग

54-श्री शाहिद मंजूर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 जगत नारायण सिंह, ग्राम बोजा, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की मृत्यु 15 मार्च, 2005 को हो गयी थी, उनके वारिसों द्वारा तहसीलदार एवं लेखपाल से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी भूमि संख्या-15 व 16 की विरासत नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त भूमि की विरासत स्व0 जगत नारायन सिंह के वारिसों के नाम से किये जाने के ा देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण तहसील द्वारा वरासत नहीं की गयी। जगत नारायण सिंह के स्वत्व का वाद चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

नियमानुसार वरासत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के सुपरवाइजर श्री हरपाल सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

55-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम कुमार गौतम संगठन कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी, सरोजनी नगर लखनऊ का जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत सुपरवाइजर श्री हरपाल सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 28-6-07 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां ? तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। अपितु श्री राम कुमार गौतम संगठन कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी सरोजनीनगर, लखनऊ का जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत सुपरवाइजर श्री हरपाल सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 27-06-2007 प्राप्त हुआ है, जिसे शासन के पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराकर जांच आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक, समाज कल्याण को दिये गये थे।

उक्त शिकायती पत्र जांच हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को निदेशालय समाज कल्याण के पत्र दिनांक 05-10-2007 द्वारा भेजा गया है तथा जांच आख्या प्राप्त न होने पर अनुस्मारक पत्र दिनांक 26-10-2007 को भेजा गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

56-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[पहले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद की तहसील सदर, शिवगढ़ तथा फाफामऊ को मण्डी व उपमण्डी घोषित करने की मांग

57-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फल-सब्जी मंडी व उप मंडी किन मानकों के आधार पर बनाई जाती है ? क्या सरकार इलाहाबाद जनपद के शिवगढ़ व. फाफामऊ तहसील व ब्लाक-सोरांव तथा बक्शीबांध छोटा बघाड़ा, तहसील-सदर इलाहाबाद को मंडी या उप मंडी घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

फल-सब्जी मण्डी व उप मण्डी उक्त क्षेत्र में कार्यरत व्यापारियों की संख्या, आय एवं आवक तथा कृषकों, व्यापारियों की सुविधा के मानक के आधार पर बनाई जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उपजिलाधिकारी द्वारा भूमि पट्टे में की गई अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

58-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में कार्यरत रहें उप जिलाधिकारी श्री जयशंकर त्रिपाठी एवं अन्य द्वारा भूमि के पट्टे सहित कई अनियमितता किये जाने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दि0 31-8-07 प्रमुख सचिव राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बंथरा में मण्डी परिषद् द्वारा शामली में निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के मरम्मत की मांग

श्री पंकज मलिक-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बघरा विधान सभा क्षेत्र, जनपद-मुजफ्फरनगर में मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 1989 से वर्ष 1996 तक की अवधि में मण्डी समिति शामली, मुजफ्फरनगर, थाना-भवन में कितने ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है ? मण्डी परिषद् द्वारा अब तक कितने ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य कराया गया है ? क्या सरकार शेष ग्रामीण सम्पर्क मार्ग, जो यातायात के योग्य नहीं रह गये हैं, का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रश्न में अंकित अवधि में मण्डी क्षेत्र, शामली में 04 नग, मुजफ्फरनगर में 52 नग एवं थाना भवन में 04 नग कुल 60 नग सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है।

उक्त मार्गों में से मुजफ्फरनगर में 20 नग एवं शामली में 01 नग कुल 21 नग सम्पर्क मार्गों को मरम्मत का कार्य समय-समय पर कराया गया है।

जी हां।

मण्डी समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विकास कार्यों की प्राथमिकता एवं मण्डी की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखकर मरम्मत कार्य स्वीकृत किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बघरा में मंडी परिषद् द्वारा स्थापित हैण्ड पम्पों की रि-बोरिंग कराने की मांग

60-श्री पंकज मलिक-

क्या कृषि एवं विपणन मंत्री को जानकारी है कि बघरा विधान सभा क्षेत्र, जनपद-मुजफ्फरनगर में मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 1989 से 1996 तक की अवधि में मण्डी समिति शामली, मुजफ्फरनगर, थाना-भवन के क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प स्थापित कराये गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में लगे हैण्डपम्प अधिकांशतः खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

आलोच्य अवधि में मण्डी क्षेत्र शामली के अन्तर्गत 126 नग, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 427 नग एवं थाना भवन के अन्तर्गत 85 नग कुल 638 नग हैण्ड पम्पों की स्थापना की गयी थी।

जी नहीं, क्योंकि अब इन हैण्डपम्पों का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की मुख्य मण्डी बड़ौत में बिजली की व्यवस्था कराये जाने की मांग

61-डा0 अजय तोमर-

क्या कृषि एवं विपणन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बागपत की मुख्य मण्डी बड़ौत में बिजली की कोई व्यवस्था न होने के कारण किसानों व व्यापारियों को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी में बिजली की व्यवस्था तत्काल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनरेटर के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था मण्डी स्थल में उपलब्ध है।

लोहिया योजना अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा बनाई जाने वाली सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण की योजना

62-डा0 अजय तोमर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् द्वारा ग्रामों में अधिकतम 500 मी0 या 10 लाख की लागत से बनाई जाने वाली सी0 सी0 रोड व नाली जो लोहिया योजना के अन्तर्गत थी को पुनः शुरु करने या उक्त के स्थान पर कोई दूसरी योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बरनाहल के आलमपुर देहा ब्लाक निवासिनी श्रीमती सुन्दरवती पत्नी स्व0 ध्यान सिंह को दिये गये 100 ऐयर पट्टा के सम्बन्ध में जानकारी

63-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुन्दरवती पत्नी स्व0 ध्यान सिंह नि0 आलमपुर देहा ब्लाक बरनाहल जनपद-मैनपुरी को वर्ष 1999 में खाता संख्या 382, गाटा संख्या-152 में 100 ऐयर पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त पट्टा निरस्त कर दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त पट्टा पुनः दिलवायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में चल रहे रिकार्ड आपरेशन के कार्य को समयबद्ध पूर्ण कराने की कार्यवाही

64-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 22-8-1982 से तहसील-महमूदाबाद जिला सीतापुर में रिकार्ड आपरेशन का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

राजस्व नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समयबद्ध चक्र में कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिंग कम्पनी लि0 की परिसम्पत्तियों की बिक्री का विवरण

65-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सरकार यह बतायेगी कि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिंग कम्पनी लि0 बरेली की परिसम्पत्तियों की क्रय हेतु दिनांक 17-8-2001 को प्रकाशित निविदा में निहित शर्तों के अनुसार परिसम्पत्तियों की बिक्री हो गई है ? यदि हां,तो इस बिक्री का विवरण क्या है ?

कु0 मायावती-

इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि0 बरेली की इकाइयों के निर्जाकरण एवं सरप्लस भूमि के विक्रय हेतु प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना के संदर्भ में दिनांक 17-8-2001 तक प्राप्त निविदाओं में स्वीकृत निविदाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) कम्पनी की 'हेड आफिस' एवं 'हास्पिटल कम्पाउण्ड' की भूमि व भवनों के लिये मै0 नारायण कान्सट्रक्शन की क्रमशः रु0 158.20 लाख और रु0 82.84 लाख की निविदायें पूरी धनराशि एक मुश्त प्राप्त होने की दशा में स्वीकृत की गई ताकि प्रश्नगत भूमि का मूल्य शासन को तत्काल प्राप्त हो सके।

(2) 'स्टलरी अल्कोहल इकाई व ई0 टी0 पी0' की भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मर्शानरी के लिये मै0 सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि0 की रु0 1106.00 लाख की निविदा इस आधार पर स्वीकृत की गई कि 20 प्रतिशत धनराशि जमा करने की बाद एक वर्ष के मोरेटोरियन के पश्चात् शेष धनराशि 06 समान वार्षिक किश्तों में 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल की जाये।

उपर्युक्तानुसार तीन निविदाओं के स्वीकृत हो जाने के अनन्तर 'डिस्टलरी अल्कोहल इकाई व ई0 टी0 पी0' की परिसम्पत्ति का विक्रय मै0 सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि0 को कर दिया गया है, परन्तु 'हेड आफिस' एवं 'हास्पिटल कम्पाउण्ड' की परिसम्पत्तियों के लिये निविदाओं की स्वीकृति के विरुद्ध निविदादाता द्वारा एक रिट याचिका संख्या-1048 (एम/वी)/2002 मै0 नारायण कान्सट्रक्शन बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के पारित आदेश दिनांक 27-2-2002 द्वारा इसका क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया है और परिणाम स्वरूप इन दो परिसम्पत्तियों के विक्रय का प्रकरण न्यायार्धीन है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पंचायत भगतूपुर संतपुर में बच्चों का पुष्टाहार दुकानों में बेचने विषयक शिकायती पत्र पर कार्यवाही

66-श्री सुल्तान बेग-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई की विकास खण्ड मल्लावां स्थित ग्राम पंचायत भगतूपुर संतपुर में बच्चों को दिये जाने वाला पुष्टाहार

दुकानों पर बेचने विषयक रिजवान अहमद खां, सदस्य, विधान सभा के पत्र दि0 13-7-07 पर मंत्री बाल विकास एवं पुष्टाहार का पत्रांक सं0 926/वी0आई0पी0 दिनांक 19-7-07 निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उक्त प्रकरण की जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? क्या सरकार जांच के परिणाम एवं कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

मा0 सदस्य श्री रिजवान अहमद खां, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 13-7-07 पर मा0 मंत्री बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-7-07 के क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई से जांच करायी गयी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई के पत्र संख्या-853 दिनांक 26-10-07 द्वारा प्राप्त जांच आख्या के अनुसार पुष्टाहार बेचने सम्बन्धी शिकायत सही नहीं पायी गयी तथा यह पाया गया कि ग्राम पंचायत भगतूपुर संतपुर विकास खण्ड मल्लावां में तैनात आंगनवाड़ी कार्यकत्री श्रीमती सरिता द्विवेदी का चयन नियमानुसार चयन समिति द्वारा मेरिट आधार पर किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम में व्यक्तिगत व संयुक्त परिवार की जोत की सीमा घटाने की मांग

67-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम में व्यक्तिगत व संयुक्त परिवार के जोत की अधिकतम सीमा क्या है ? क्या सरकार इस जोत सीमा को घटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा-5(3) (क) के अनुसार किसी ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अनधिक सदस्यों का परिवार हो सिंचित भूमि के 7-30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टयर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल, जिसमें उनके द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी,

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में, जिसका 5 से अधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7-30 हेक्टेयर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये जो 5 से अधिक हों तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो या जिसके द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो, सिंचित

भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टेयर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल, जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टेयर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टेयर से अधिक न होगी।

जोत सीमा को घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर में चकरोड पर कब्जा किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

68-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकरोड पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री मुनीश चन्द्र पुत्र श्री शंकर प्रसाद, निवासी, गौरा बड़हरी, जनपद-सिद्धार्थनगर के संलग्न प्रार्थना-पत्र पर प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 8 जून, 2007 को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं परन्तु सामान्य प्रक्रिया में ग्राम गौरा बड़हरी के अधिकांश चकरोडों को खालीं कराया जा चुका है, अनाधिकृत अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध ज0 वि0 अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गयी है।

जनप्द मैनपुरी में लहसुन की पैदावार पर आधारित उद्योग लगाये जाने की मांग

69-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में भारी मात्रा में लहसुन की पैदावार होती है ? क्या सरकार लहसुन पर आधारित कोई उद्योग लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री नरायन सिंह)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान विभाग द्वारा लहसुन व अन्य औद्यानिक फसलों के लिये उद्योग लगाने हेतु मात्र प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

जनपद इलाहाबाद के मेसर्स फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0 ग्राम मेहदौरी, तेलियरगंज द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन की जांच

70-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि मेसर्स फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, ग्राम मेंहदौरी, तेलियरगंज, इलाहाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करने महर्षि पंतजलि

स्कूल आदि बनाने की कोई जांच शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या वह जांच पूर्ण हो गयी है, और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

सम्प्रति कोई जांच विचाराधीन नहीं है। प्रकरण में सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से जांच करायी गयी थी, जो पूर्ण हो गयी हैं। जांच में कोई आपराधिक कृत्य होना नहीं पाया गया।

जांच निष्कर्ष एवं संस्तुति के अनुरूप दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारी का भविष्य में सचेत रहने की लिखित चेतावनी दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

आम का निर्यात एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी

71-श्री हुकुम सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2007 में आम का कितना निर्यात, किन-किन देशों को किया गया था, निर्यात में निजी क्षेत्रों की कितनी भागीदारी रही ? क्या निजी क्षेत्र की निर्यातक इकाइयों को अनुमन्य अनुदान का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मैंगो पैक हाउस लखनऊ एवं सहारनपुर से आम सत्र 2007 में निजी क्षेत्र के निर्यातक फर्मों द्वारा अमेरिका को 174.30 कुन्तल, दुबई (यू0ए0ई0) को 147.90 कुन्तल, जापान को 21.47 कुन्तल, सिंगापुर को 32.28 कुन्तल तथा लन्दन (ब्रिटेन) को 13.35 कुन्तल कुल 389.30 कुन्तल निर्यात किया गया।

उक्त देशों को आम का समस्त निर्यात निजी क्षेत्र की निर्यातक फर्मों द्वारा ही किया गया।

निर्यातक फर्मों में केवल एक फर्म का अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा (क्लेम) प्राप्त हुआ है, जिसमें अनुदान हेतु निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं थी, जिसे पूर्ण करने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया है। शेष निर्यातक फर्मों से कोई अनुदान प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। जिसके कारण भुगतान नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की कतिपय ग्राम सभाओं में आरक्षित भूमि का विवरण

72-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा बेलसण्डी, मदाफरपुर, अतरसण्ड में कुल आरक्षित भूमि, तालाब, चारांगाह का विवरण क्या है ? क्या सभी वर्तमान में सुरक्षित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम बेलसण्डी में गाटा संख्या-80 तालाब के रूप में अंकित है। चारागाह के खाते में कोई भूमि अंकित नहीं है। तालाब का कोई आवंटन नहीं हुआ है।

ग्राम मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड के रूप में गाटा सं0-175, 184, 186, 218, 234, 309ख, 311क, 357ग, 370, 501च, 525, 408 एवं 506 तालाब के रूप में 13 गाटे तथा गाटा सं0-236, 238, 243, 448, 388 व 501 कुल 6 गाटे चारागाह के खाते में अंकित है। ग्राम अतरसण्ड में चारागाह में 3 गाटे रकबा 1.169 हे0 तथा तालाब के 159 गाटे रकबा 58.420 हे0 है। उपरोक्त ग्राम मदाफरपुर में चारागाह की भूमि में 0.175 हे0 का आवास हेतु तथा 2.714 हे0 भूमि कृषि हेतु अनियमित आवंटन कई वर्षों पूर्व हुआ था, जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है, जो न्यायालय में लम्बित है। दोषी राजस्व कर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हो चुकी है। शेष अन्य तालाब व चारागाह की भूमि सुरक्षित है एवं मौके पर खाली है। ग्राम अतरसण्ड में 3 गाटे भूखण्ड संख्या-233/0.638, 664/0.253, 2342ख/0.278 हे0 कुल रकबा 1.169 हे0 चारागाह के खाते में एवं 159 गाटे कुल रकबा 58.420 हे0 राजस्व अभिलेखों में तालाब के खाते में अंकित है तथा 11 गाटे जो तालाब के खाते में अंकित है, के मत्स्य पालन हेतु ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद 31-01-07 को कुल 11 व्यक्तियों को आवंटित किया गया है, शेष अन्य आरक्षित भूमि वर्तमान समय में सुरक्षित है एवं मौके पर खाली है। ग्राम वेलसण्डी में तालाब गाटा संख्या-80 तालाब के रूप में सुरक्षित है तथा चारागाह के खाते में कोई भूमि अंकित नहीं है।

प्रश्न नहीं उटता।

73-श्री उदयभान करवरिया-

[दूसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे किसानों को खेती की भूमि का पट्टा

74-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे के किसानों को खेती हेतु जमीन पट्टे पर दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित वर्ग के लोगों के अतिरिक्त पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा ? जनपद-इलाहाबाद के तहसील बारा में दिये गये कुल पट्टों की संख्या क्या है तथा अनुसूचित, पिछड़ा सामान्य वर्ग का क्या प्रतिशत है ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

तहसील बारा, इलाहाबाद में कुल 12825 कृषिक आवंटन हुए हैं, उक्त आवंटन में अनुसूचित जाति का 67 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग का 26 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग का 7 प्रतिशत है, इसमें वर्ष 2007-08 में अब तक 238 व्यक्तियों को किया गया आवंटन भी शामिल है, जिसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत 89.91, पिछड़ी जाति का 8.82 एवं सामान्य जाति का 1.27 प्रतिशत है।

आवास आवंटन में 8838 व्यक्तियों का पट्टा किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति का 66 प्रतिशत, पिछड़ी जाति का 28 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग का 6 प्रतिशत आवंटन है। उक्त आवंटन में वर्ष 2007-08 में अब तक 495 लोगों को किया गया आवंटन भी शामिल है, जिसमें अनुसूचित ज़ाति का प्रतिशत 97.17, पिछड़ी जाति का 2.62 एवं सामान्य जाति का 0.21 प्रतिशत है।

प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

75-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग में कार्यरत कार्यकत्री/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मानदेय बढ़ाये जाने का प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रुपये 200 एवं 100 का अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा है।

प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति की व्यवस्था

76-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति करने की कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 (यथा समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य सेविका के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा चयन किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत मुडिया मिश्र, त्रिलोकपुर के ग्राम प्रधान द्वारा सड़क बंजर खलिहान पर कब्जा किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

77-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आशिया पत्नी अमानुल्ला, ग्राम पंचायत मुडिया मिश्र, त्रिलोकपुर जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम प्रधान द्वारा सड़क बंजर, खलिहान पर जबरन कब्जा किये जाने विषयक शिकायती-पत्र संलग्नक सहित दिनांक 1 अगस्त, 07 को भेजा गया था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु सामान्य प्रक्रिया में ग्राम मुडिया मिश्र के सड़क व बंजर भूमि खाली कराये गये हैं। खलिहान की भूमि पर अनाधिकृत निर्माण पाया गया था उसकी बेदखली हेतु ज0वि0 अधिनियम की धारा-122बी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

78-डा0 धर्मपाल सिंह-

[दूसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 में वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति प्रदान करने की मांग

79-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 में वरिष्ठता क्रम के सातवें नम्बर पर कार्यरत श्री राम देव वर्मा को प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी है ? क्या सरकार वरिष्ठता क्रम के तीसरे नम्बर पर कार्यरत जयश्री को प्रोन्नति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदेव वर्मा को शोध अधिकारी के पद से उनके मूल पद क्षेत्रीय अन्वेषक के पद पर वापस किया गया था जिसके विरुद्ध श्री वर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-1159(एस0बी0)/1998 योजित की गयी जिसमें पारित स्थगनादेश दिनांक 10-8-1998 के अनुपालन में श्री वर्मा शोध अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के भवन का नवनिर्माण कराये जाने की मांग

80-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील-सादाबाद जनपद-हाथरस का भवन जर्जर हो गया है, जिससे कर्मचारियों को भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील भवन का नवनिर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के संग्रह अमीनों का प्रोन्नत वेतनमान के एरियर का भुगतान कराये जाने की मांग

81-डा0 आर0 एवं उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में कार्यरत संग्रह अमीनों का प्रोन्नत वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कर्मियों के प्रोन्नत वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

मामले में विशेष अपील सं0-83/2001 (एस0बी0) मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में विचाराधीन है, जिसमें निर्णयोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम ढकीय देवी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता की जांच पर कार्यवाही

82-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के संज्ञान में है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम-सभा दीक्षितपुर के ग्राम ढकीय देवी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सत्र 2004-05 में पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश देंगे और छात्रवृत्ति पाने से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम सभा दीक्षितपुर के ग्राम ढकीय देवी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से 2004-2005 में 37 छात्र/छात्राओं का मांग पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष कुल 25 छात्र/छात्राओं के लिए रु0 12000.00 की धनराशि ग्राम निधि खाते में हस्तानांतरित की गई थी। तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का आहरण कर अपने पास धनराशि रोके रखी गई और छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण विलम्ब से किया गया। प्रकरण की जांच सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पथगवां के द्वारा की गई, जिसमें 25 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना पाया गया। विलम्ब से वितरित छात्रवृत्ति के लिए जिलाधिकारी, लखीमपुर को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखा गया है। पूर्व वर्ष की छात्रवृत्ति वर्तमान शैक्षिक सत्र में दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज के ग्राम जबरीकलां में पैमाइश कराये जाने विषयक कथित शिकायती पत्र

83-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-3 नं0 485915 दिनांक 2 जुलाई, 2007 जो धारा-41 के अन्तर्गत भू0 रा0 अ0 ग्राम-जबरीकलां, परगना-देवा, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी के गाटा सं0-550 एवं 551 की पैमाइश, हदबरारी किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री फागू चौहान-

अभिलेखों के अनुसार संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

परगना तहसील जिला लखनऊ के ग्राम काकराबाद के पूर्व लेखपाल द्वारा ग्राम समाज की भूमि को फर्जी आदेश के आधार पर अनाधिकृत कब्जा करवाने की कार्यवाही

84-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के द्वितीय गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-15 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-9 ख की उपधारा-3 तथा धारा-12 की उपधारा-1 एवं चकबन्दी उद्देश्य के बिन्दु-ञ का उल्लंघन करते हुये उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ द्वारा आदेश संख्या-69/01-02, दिनांक 06 अगस्त, 2002 निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश को निरस्त किया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

ग्राम काकराबाद परगना तहसील/जिला-लखनऊ में चकबन्दी प्रक्रिया के पूर्व तत्कालीन लेखपाल द्वारा ग्राम सभा की भूमि को अनाधिकृत रूप से फर्जी आदेशों के आधार पर स्वयं व अन्य के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में फर्जी अंकन की जानकारी होने पर उप जिलाधिकारी के न्यायालय आदेश दिनांक 6-8-2002 द्वारा खातेदारों के नाम निरस्त कर पुनः भूमि ग्राम सभा में निहित कर दी गयी। प्रश्नगत आदेश एक न्यायिक आदेश है। इसे प्रशासनिक स्तर पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। उप जिलाधिकारी के आदेश संख्या-69/01-02, दिनांक 6-8-2002 के विरुद्ध यह प्रकरण मा0 राजस्व परिषद् के समक्ष निगरानी वाद के रूप में विचाराधीन है।

85-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद अम्बेडकर नगर थाना अकबरपुर के ग्राम सदरपुर में कतिपय लोगों द्वारा जबरन चकरोड, रास्ता निकाले जाने विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

86-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री अंजनी प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम-सदरपुर, थाना-अकबरपुर जिला-अम्बेडकर नगर का ग्राम स्थित चक संख्या-494 पर गांव के कतिपय लोगों द्वारा चक के पश्चिमी भाग से जबरन चकरोड, सार्वजनिक रास्ता निकाले जाने के सम्बन्ध में भू-स्वामी का शिकायती-पत्र आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर तथा उप जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को दिनांक 22-8-2006 को रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या चक से अवैध चकरोड/सार्वजनिक रास्ता बन्द करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

भू-स्वामी के नाम अंकित गाटा नम्बर 494/1.235 हे0 में से कोई अवैध चकरोड/रास्ता नहीं निकाला गया है, बल्कि गाटा संख्या 494 के पश्चिम अंकित गाटा संख्या 485/0.194 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में मुख्य मार्ग अंकित है में से रास्ता की पटाई की गई है। खातेदार की भूमि से चकरोड/रास्ता न निकाले जाने के कारण चकरोड/रास्ता बन्द कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के भवन हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

87-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या तहसील-भवन, महमूदाबाद जनपद-सीतापुर की भूमि को अधिग्रहीत कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील-भवन महमूदाबाद को भूमि को अधिग्रहीत किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय ले लिया गया है तथा इस हेतु भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1)17 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 को निर्गत की जा चुकी है।

धारा 6(1)17 को कार्यवाही यथाशीघ्र नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कालेज राजाजीपुरम् में स्नातक की छात्राओं को छात्रवृत्ति न दिये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

88-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ के अनुसूचित जाति के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-07-2007 जो राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल गर्ल्स

डिग्री कालेज, राजाजीपुरम्, लखनऊ में स्नातक की छात्राओं को वर्ष 2006-07 की छात्रवृत्ति न दिये जाने सम्बन्धी था ? राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) निर्वाचन विभाग, उ0 प्र0 के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है, जिसके अनुक्रम में तथा विभाग के पत्र सं0 994, दिनांक 25-7-2007 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति भुगतान कराये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त छात्रवृत्ति छात्राओं को प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त हुआ है। वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में उप जिलाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण एवं मत्स्य पालन हेतु भूमि का आवंटन

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में दिनांक 16-7-05 से 31-12-05 एवं 01-01-06 से 31-12-06 एवं 01-01-07 से 03-07-07 तक स्वविवेक (सुमोटो) अधिकारों का प्रयोग करते हुये वृक्षारोपण कृषि कार्य, आवासीय पट्टा सहित तालाबों के कितने पट्टे उप जिलाधिकारी द्वारा ग्रामवार एवं रकबावार स्वीकृत किये गये हैं ? क्या पट्टा स्वीकृत किये जाने के पूर्व प्रत्येक ग्राम सभा की भूमि प्रबन्धक समिति की नियमानुसार अपेक्षित 3 बैठकें भी की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में दिनांक 16-7-05 से 31-12-05 एवं 01-01-06 से 31-12-06 एवं 01-01-07 से 03-07-07 तक की अवधि में स्वविवेक (सुमोटो) अधिकारों का प्रयोग करते हुये उप जिलाधिकारी द्वारा 23 ग्रामसभाओं में 89 व्यक्तियों को कुल 2.582 हे0 आवास, 22 ग्रामसभाओं में 46 व्यक्तियों को 3.970 हे0 भूमि का वृक्षारोपण, 24 ग्रामसभाओं में 27 व्यक्तियों को 14.833 हे0 भूमि का मत्स्य पालन हेतु आवंटन स्वीकृत किया गया है।

कृषि आवंटन करने हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव होना अनिवार्य है, किन्तु अन्य मदों में आवंटन के लिये भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव या आवंटन से पूर्व ग्राम सभा की 3 बैठक नियमानुसार आवश्यक नहीं है। इसलिये आवंटन के पूर्व भूमि प्रबन्धक समिति की 3 बैठकें नहीं की गयी थीं।

उपरोक्तानुसार।

बाल विकास एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों एवं अधिकारियों तथा मुख्य सेविकाओं का भुगतान कराने, कार्यकाल बढ़ाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

90-श्री मोहम्मद वारिस खां-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय श्री दिनेश प्रसाद मिश्र, विधायक का पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2007 जो मा0 मुख्य मंत्री, मा0 बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री, प्रमुख सचिव, बाल विकास पुष्टाहार उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है और जो आई0सी0डी0एस0 III कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में संचालित राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के अन्तर्गत वर्तमान में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा अवधि बढ़ाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

पत्र के मुख्य बिन्दु थे-निदेशालय के विभिन्न श्रेणी के संविदा पर कार्यरत कार्मिकों और ब्लाकों में लगभग 400 कर्मियों की सेवा अवधि बढ़ाया जाना तथा इन सभी कार्मिकों का वेतन भुगतान पूर्व की भांति दिया जाना। शासनादेश दिनांक 10-9-07 द्वारा पूर्व आई0सी0डी0एस0 III के कार्यरत मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का तथा ब्लाक के बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्य सेविकाओं का कार्यकाल दिनांक 29-2-08 तक बढ़ाये जाने के निर्देश निदेशक को प्रदान कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील सदर के ग्राम खरौली को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के कारण अभिलेख जनपद भेजने की मांग

91-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की तह0 सदर की ग्राम खरौली में विगत 26 वर्ष पूर्व चकबन्दी करने का प्रस्ताव हुआ था और समस्त अभिलेख तह0 उन्नाव से चकबन्दी विभाग उन्नाव भेज दिये गये ? क्या यह सही है कि जनता की शिकायत पर वर्ष 1994 में गलत तरीके से की जा रही चकबन्दी रोकी गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक अभिलेख चकबन्दी विभाग से तह0 सदर वापस न भेजने का क्या कारण है ? उक्त अभिलेख तह0 उन्नाव को कब तक भेज दिये जायेंगे ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

ग्राम का चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उन्नाव से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके परीक्षणोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गयीं। मांगी गयी सूचनाओं के प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया है।

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6 (1) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति का गजट में प्रकाशन होने के पश्चात अभिलेख तहसील-उन्नाव को भेज दिये जायेंगे।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 177-183 पर)

जनपद उन्नाव की तहसील सदर के ग्राम बदली खेड़ा की भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा पट्टों के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र

92-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की तहसील-सदर के ग्राम-बदली खेड़ा की भूमि, प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये पट्टों के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-6-07 जो प्रमुख सचिव, राजस्व को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

संदर्भित पत्र प्राप्त होने पर आवंटन पत्रावली तहसील कार्यालय से मंगायी गयी। दिनांक 30-8-2007 का आवंटन पत्रावली प्राप्त होने पर परिपदादेश सं0-2611/जी-5-24ए/99, दिनांक 17-3-99 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुपालन में न्यायायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय में वाद पंजीकृत कर इश्तहार दिनांक 8-10-2007 को जारी किया गया जिसमें भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर आपत्तियां प्रस्तुत किये जाने के लिए दिनांक 22-10-2007 नियत की गयी। प्रस्तुत वाद/प्रकरण में नियत तिथि पर ग्राम सभा बदलीखेड़ा के निवासीगण की लिखित आपत्तियां प्राप्त हुई, जिन पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आदेश नायब तहसीलदार क्षेत्र सिकन्दरपुर करन को दिये गये हैं। नायब तहसीलदार की जांच आख्या प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा इस मामले का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की मांग

93-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल में इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण किसानों की फसलें सूख रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डल को सूखांग्रस्त घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

आगरा मण्डल में वर्तमान वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा कम वर्षा हुई है लेकिन सूखे जैसी स्थिति नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद एवं कानपुर में नामित किए गये गैर सरकारी लोगों की योग्यता एवं पात्रता का निर्धारित मानक

94-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद एवं कानपुर में गैर सरकारी लोगों को नामित किये जाने हेतु क्या योग्यता एवं पात्रता का मानक निर्धारित है और कौन-कौन गैर सरकारी व्यक्ति प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु नामित किये गये, प्रत्येक के कार्यकाल कब तक हैं ? क्या नामित किये गये लोगों के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

प्रश्नांकित विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध परिषद् में सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था उ0 प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 में दी गयी है, जिसमें "अन्य सदस्यों" को नामित करने हेतु इनकी योग्यता एवं पात्रता के मानक का कोई उल्लेख नहीं है।

(1) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद् में "अन्य सदस्यों" की श्रेणी में नामित सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	सदस्य की श्रेणी	सदस्य का नाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि
1	कृषि वैज्ञानिक	डा0 आर0 पी0 सिंह	16-8-09
2	प्रगतिशील कृषक	श्री राज नारायण सिंह	4-4-09
3	लाइव स्टाक ब्रीडर	श्री छेदी सिंह	4-5-09
4	कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित प्रख्यात उद्योगपति	श्री अनिल सिंह	4-4-09
5	महिला सामाजिक कार्यकत्री	श्रीमती मालती यादव	4-5-09
6	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	डा0 मथुरा राय	27-11-09

(2) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में "अन्य सदस्यों" की श्रेणी में नामित सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	सदस्य की श्रेणी	सदस्य का नाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि
1	कृषि वैज्ञानिक	डा0 रमेश यादव	4-2-10
2	प्रगतिशील कृषक	डा0 सुबेदार सिंह यादव	8-3-09
3	कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित प्रख्यात उद्योगपति	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल	8-3-09
4	महिला सामाजिक कार्यकर्त्री	श्रीमती उर्मिला राजपूत	24-8-09
5	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	डा0 मसऊद अली	18-7-08
6	सदस्य विधान परिषद्	श्री जय सिंह यादव	16-3-09

सदस्यों का नामांकन उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 के तहत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के ग्राम बैठवलिया एवं अर्जुनहीं में चकबन्दी पूर्ण कराये जाने की मांग

95-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-महराजगंज के निचलौल तहसील के ग्राम बैठवलिया एवं अर्जुनहीं की चकबन्दी की आज तक पूर्ण नहीं हुई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्रामों की चकबन्दी कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल के ग्राम बैठवलिया एवं अर्जुनहीं, चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है किन्तु ग्राम बैठवलिया की चकबन्दी कराने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परीक्षणोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होने एवं ग्राम चकबन्दी योग्य पाये जाने पर चकबन्दी करायी जा सकती है। ग्राम अर्जुनहीं की चकबन्दी कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव ग्राम सभा/कृषकों की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अनुदान का वितरण

96-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि महराजगंज जनपद के निचलौल तहसील के अधिकांशतः गांवों में इस वर्ष आयी भयंकर बाढ़ से फसलों एवं भवनों की भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार निचलौल तहसील को बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2007-08 में जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल में बाढ़ से अंशतः कुल 19 ग्राम प्रभावित हुए। बाढ़ के दौरान फसलों एवं भवनों की आंशिक क्षति हुई है।

बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में गृह अनुदान/फसल अनुदान (कृषि निवेश) वितरित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा की तहसील जसवन्त नगर की कु0 आरती की नहर में डूब कर मृत्यु, आर्थिक सहायता की मांग

श्री आलोक कुमार शाक्य-

97-क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु0 आरती पुत्री शिववीर नि0 लिलोई परगना व तहसील-जसवन्तनगर जनपद-इटावा की दिनांक 25-6-07 को नहर में डूब कर मर गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार दैवी आपदा के रूप में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त घटना दैवी आपदा की श्रेणी में नहीं आती है।

जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद के ग्राम करीमनगर में पैमाइश कराने सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

98-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-करीमनगर तहसील-शाहाबाद, जनपद-हरदोई में लोकवाणी में शिकायत सं0-48222 दिनांक 18-11-06 तो जमीन की पैमाइश से सम्बन्धित है, दर्ज है ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम करीमनगर तहसील-शाहाबाद जनपद हरदोई में पैमाइश के सम्बन्ध में लोकवाणी शिकायत संख्या-48222 दिनांक 18-11-06 दर्ज नहीं है बल्कि लोकवाणी शिकायत सं0-48222 दिनांक 18-11-2006 को श्री अवधेश कुमार पुत्र स्व0 राम औतार निवासी बरहुंवा थाना मल्लावां द्वारा राजकुमार गुप्ता फार्मासिस्ट के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है, जिसका निस्तारण दिनांक 24-1-2007 को किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

99-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराये जाने की मांग

100-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा में विधायकों को आवास बनाने हेतु प्लाट देने की योजना

101-श्री उदयराज करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों को आवास बनाने हेतु नोएडा में प्लाट देने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर 50 प्रतिशत भूखण्ड सामान्य जन साधारण को एवं शेष 50 प्रतिशत निम्नलिखित आरक्षित श्रेणियों को लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का प्राविधान है :-

1-प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत भूखण्डों के कार्यशील इकाईयों/इकाईयों के स्वामी।

2-ग्रामीण जन जिनकी भूमि नोएडा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये अर्जित की गयी है।

3-प्राधिकरण के कार्यरत नियमित कर्मचारी/अधिकारी।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने सम्बन्धी प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजने की मांग

102-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुस्लिम समाज की दशा पर जो रिपोर्ट सच्चर कमेटी ने प्रस्तुत की है उसी के आधार पर क्या उ0 प्र0 सरकार मुस्लिम समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट शासन में प्राप्त हो गई है। नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर की ग्राम सभा कनावां में हुए अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

103-श्रीमती कृष्णाराज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के तहसील-बीकापुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कनावा के भूमि संख्या-602 पर किसी दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवाकर भूस्वामी को कब्जा दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

गाटा सं0-602/0.479 हे0 स्थित ग्राम कनावां, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, ननपद-फैजाबाद का कुल क्षेत्रफल 0.479 हे0 में से 0.140 हे0 भूमिधरों के 4 खाते में अंकित है। खाता सं0-7 गाटा सं0-602ख/0.013 हे0 अनारा पत्नी जयराम, (राजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, अशोक कुमार) पुत्रगण परमेश्वरदीन, खाता सं0-229, गाटा सं0-602ग/0.013 हे0 राम शंकर पुत्र नन्द कुमार, खाता सं0-317 गाटा सं0-602क/0.013 हे0 रामपाल, राम अनुज, राम अचल, दयाराम, काली प्रसाद पुत्रगण छेदी व राम केवल पुत्र राम हरख, राम सघन, पुत्र खुनखुन, रामरूप पुत्र नान्हू, खाता सं0-247 गाटा सं0-602घ/0.101 हे0 श्रीमती रामरती पत्नी स्व0 कल्लू के नाम अंकित है। ग्राम के 6 परिवारों के आवासीय मकान 50 वर्ष पूर्व से बने हुए हैं। इसमें से कुछ पुराने के स्थान पर नव निर्माण भी किये गये हैं। अवशेष रकबा-0.339 हे0 गांव सभा के खाते में दर्ज अभिलेख है जिसमें

से झींगुर व सुकई पुत्रगण धिराऊ का क्रमशः 0.013 हे0, 0.013 हे0 भूमि का आवासीय पट्टा दिया गया है जिसे नाप कर कब्जा दखल दिया जा चुका है। इस भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है।

उपरोक्तानुसार भूमिधरों की भूमि पर मकान बनाकर किये गये कब्जे को भूमिधर द्वारा उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-209 में बेदखली का वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। यही विधिक प्रक्रिया है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी एवं आसपुर देवसरा में स्टेडियम बनाये जाने की मांग

104-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी एवं आसपुर देवसरा में स्टेडियम स्वीकृत करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश सी0एम0/वि0को0/एम/163784/07 दिनांक 4-7-07 प्रमुख सचिव, खेलकूद को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मा0 विधायक का ब्लाक पट्टी एवं आसपुर देवसरा को एक-एक स्टेडियम स्वीकृत करने का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित अनुरोध प्राप्त हुआ था जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने परीक्षणोपरान्त आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे।

प्रकरण में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त की गई। प्रश्नगत स्थान पर स्टेडियम निर्माण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने व चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में नए ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थान पर स्टेडियम के निर्माण का कार्य सम्भव नहीं हो पाया।

उपरोक्त दर्शाये गये कारणों से।

जनपद बागपत में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय भवन बनवाये जाने की मांग

105-डा0 अजय तोमर-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में छः बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के भवन बनने प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो भवन कब तक बनवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

जनपद बागपत में वर्ष 2007-08 में 2 परियोजना कार्यालय सह गोदाम भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास परियोजना विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पदों हेतु पैनल गठन की मांग

106-डा0 अजय तोमर-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पदों हेतु वरिष्ठतम बाल विकास परियोजना अधिकारियों का एक पैनल के गठन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पैनल का गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वरिष्ठतम बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रभार दिये जाने हेतु एक सूची तैयार किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन था परन्तु बाल विकास परियोजना अधिकारियों की वरिष्ठता सूची अंतिम रूप से निर्धारित न होने के कारण इस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत में आंगनबाड़ी भवन बनाये जाने का प्रस्ताव

107-डा0 अजय तोमर-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में वर्ष 2007-08 में कितने आंगनबाड़ी भवन बनाये जाने प्रस्तावित है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनपद बागपत में संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत 14 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है।

जनपद सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में स्थित बन्द पड़े उद्यान विभाग को पुनः चालू कराये जाने की मांग

108-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में स्थित उद्यान विभाग का निर्धारित कार्य बन्दकर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उद्यान फार्म को चालू कर बीज एवं अन्य वनस्पतियों को उगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-10-05 के अनुपालन में उप जिलाधिकारी/सहायक प्रबन्धक, शत्रु सम्पत्ति, तहसील महमूदाबाद, सीतापुर की नोटिस दिनांक 11-11-05 के अनुपालन में दिनांक 12-1-06 की इस फार्म पर कब्जा राजा महमूदाबाद, सीतापुर की हस्तगत करा दिया गया है।

छोटी गण्डक नदी की कटान से प्रभावित गांव

109-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि महराजगंज और कुशीनगर जनपद की सीमा बनाने वाली छोटी गण्डक नदी के कटान से करीब एक हजार एकड़ भूमि महराजगंज जनपद से कुशीनगर जनपद में चली गयी है जिससे महराजगंज जनपद के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं ? क्या मंत्री जी दोनों जिलों के पुनः सीमांकन का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। जनपद महराजगंज के छः राजस्व ग्राम यथा-घुघली बुजुर्ग, बिरेचा, पकड़ियार, विशुनपुर, टेढ़वा एवं कोटवा ग्रामों की लगभग कुल 75.00 एकड़ भूमि आंशिक रूप से छोटी गण्डक नदी के कटान से विलीन हो गयी है।

जी नहीं।

नदी के निरन्तर कटान के कारण नदी का बहाव स्थल परिवर्तित होता रहता है। ऐसी स्थिति में दोनों जिलों के पुनः सीमांकन का औचित्य नहीं है।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के विकास खण्ड रेहरा बाजार में बाढ़ से प्रभावितों को गृह अनुदान की मांग

110-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बलरामपुर के तहसील उतरौला के विकास खण्ड रेहरा बाजार में इस वर्ष वर्षा और बाढ़ से कितने मकान गिरे ? प्रभावित मकान मालिकों को कितनी सहायता एवं धन उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के विकास खण्ड रेहरा बाजार में इस वर्ष किसी भी ग्राम में बाढ़ की स्थिति नहीं रही है, लेकिन अतिवृष्टि से इस वर्ष इस विकास खण्ड में कुल 42 ग्रामों में कुल 181 मकानों को क्षति हुई है।

प्रभावित/क्षतिग्रस्त मकानों के मकान मालिकों को कुल रु0 2,87,000/-गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

प्रभावित मकान	संख्या	वितरित की गयी सहायता
आंशिक	163	रु0 244,500.00
अत्यधिक	13	रु0 32,500.00
झोपड़ी	5	रु0 10,000.00
योग :	181	रु0 2,87,000.00

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत में बाढ़ से प्रभावितों को सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने की मांग

111-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष बाढ़/वर्षा से जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत में कितने मकान गिर गये तथा कितने लोगों को सरकार द्वारा कितनी-कितनी सरकारी सहायता प्रदान की गयी'? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत में बाढ़/अतिवृष्टि से आवासीय क्षति सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पर्यटन विभाग द्वारा योजनाओं के सौंदर्यीकरण हेतु दी गयी धनराशि का विवरण

112-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 में जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम इकाई, इलाहाबाद को किन-किन योजनाओं के सौंदर्यीकरण हेतु कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? प्रत्येक योजना में क्या-क्या कार्य किये जाने शेष हैं तथा क्या-क्या कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं ? क्या कराये गये कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वर्ष 2005-06 में जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम इकाई, इलाहाबाद से निम्न योजनाओं के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में धनराशि/कार्य कराये जाने की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वी0 लागत/प्राप्त धनराशि	कार्य का विवरण	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1	कुण्डाधाम मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	सी0सी0 रोड, साइन बोर्ड	कार्य पूर्ण एवं हस्तानान्तरित	0.78 लाख

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वी0 लागत/प्राप्त धनराशि	कार्य का विवरण	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
2	दुर्गाधाम मंदिर बहुवा का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	सी0सी0 रोड	कार्य पूर्ण एवं हस्तानान्तरित	0.78 लाख
3	शिव मन्दिर बेलारामपुर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	यात्री शेड एवं साइनबोर्ड	कार्य पूर्ण एवं हस्तानान्तरित	0.78 लाख
4	प्राचीन जलाशय मनईपुर	0.78 लाख	तालाब की सीढ़ी पर पी0सी0सी0 एवं प्लास्टर साइनबोर्ड	कार्य पूर्ण	0.78 लाख
5	मुजाही देवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	सी0सी0 रोड, साइनबोर्ड, इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प 1 नग	कार्य पूर्ण	0.78 लाख
6	रामजानकी मंदिर ढिढुई का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	चबूतरा, फ्लोरिंग, 5 नग बेंच 5 नग लोहे के दरवाजे 1 नग खिड़की साइनबोर्ड	कार्य पूर्ण	0.78 लाख
7	दुर्गाधाम मन्दिर कजासराय का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	चहारदीवारी गेट सहित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प 1 नग, साइनबोर्ड	कार्य पूर्ण	0.78 लाख
8	शिव मन्दिर महडोश का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	चबूतरा बेंच-12 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प 1 नग	कार्य पूर्ण	0.78 लाख

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वी0 लागत/प्राप्त धनराशि	कार्य का विवरण	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
9	महादेवन मन्दिर पूरब पट्टी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	सी0सी0 रोड चैनल गेट-1 नग, डोर शटर्स-1 नग, बेंच-4 नग, हैण्डपम्प-1 नग, साइनबोर्ड	कार्य प्रगति पर (90 प्रतिशत पूर्ण)	0.70 लाख
10	महाकाली मन्दिर उदयीशाहपुर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	0.78 लाख	चहारदीवारी साइनबोर्ड	कार्य प्रगति पर	0.50 लाख

उपरोक्त समस्त कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड फखरपुर के ग्राम वीवीपुर से प्यारेपुर तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क की अधोमानक निर्माण की जांच कार्यवाही

113-श्री उदयभान करवरिया-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्राम पाण्डेय, नि0 ग्राम-प्यारेपुर, वि0 खं0 फखरपुर, जि0-बहराइच का शिकायती-पत्र दिनांक 5-3-07 जोकि ग्राम-वीवीपुर से प्यारेपुर तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क की अधोमानक निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त की जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

शिकायती-पत्र के आधार पर प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त कार्य पर तैनात उप निदेशक (निर्माण) श्री सुबोध चन्द्र मिश्र, सहायक अभियन्ता श्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं अवर अभियन्ता श्री शैलेन्द्र वर्मा को कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिसके लिए उप निदेशक (निर्माण) से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। सम्बन्धित अवर अभियन्ता की सेवायें अन्य प्रकरण में पूर्व से ही समाप्त कर दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम सेमरी तालुका अवामन सार्वजनिक मार्ग के अतिक्रमण हटाये जाने का कथित प्रकरण

114-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम सेमरी तालुका अवामन के आराजी सं0-475 व 477 जो सार्वजनिक मार्ग है, पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-इलाहाबाद के तहसील करछना में ग्राम सेमरी तालुका अवामन नामक कोई ग्राम नहीं है बल्कि ग्राम सेमरी तालुका लवायन है।

मौजा सेमरी तालुका लवायन के आराजी सं0-475 एवं 477 सार्वजनिक रास्ता व चकमार्ग अभिलेखों में दर्ज नहीं है, बल्कि भू0सं0 475 मि0 में से रकबा 0.070 हे0 शिवप्रताप सिंह आदि रकबा 0.114 हे0 बैजनाथ आदि रकबा 0.042 हे0 मंगरूलाल रकबा 0.034 हे0 मंगरू लाल व रामधनी के नाम भूमिधरी तथा भू0सं0 475 मि0 रकबा 0.365 हे0 गांव सभा के बंजर खाते में दर्ज है।

भू0 सं0 477 रकबा 0.126 हे0 नवीन परती (आबादी हेतु सुरक्षित) अंकित है। उक्त भूमि संख्या 475 घ रकबा 0.365 हे0 एवं 477 रकबा 0.126 हे0 में पूर्ण रूप से 30-35 अनुसूचित जाति के व्यक्ति 30 वर्षों के पूर्व से आबाद चले आ रहे हैं भूखण्डों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मौके पर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद तहसील बारा के निवासी श्री स्वामी नाथ एवं मनोज कुमार को बाढ़ राहत योजना के अन्तर्गत दिये गये चेक के भुगतान की मांग

115-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ राहत योजना के अन्तर्गत स्वामी नाथ पुत्र राम मूरत एवं मनोज कुमार पुत्र त्रिभुवन नाथ निवासी बिरवल तहसील बारा जनपद-इलाहाबाद को चेक संख्या-0772258 दिनांक 22-11-03 इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से दिया गया था ? क्या उक्त चेक का भुगतान हो गया है ? यदि हां. तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

श्री स्वामी नाथ पुत्र राम मूरत एवं श्री मनोज कुमार पुत्र त्रिभुवन नाथ निवासी बिरवल तहसील-बारा, जनपद इलाहाबाद को निर्गत चेक संख्या-0772258 दिनांक 22-11-2003 बैंक में

जमा/प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त चेक का भुगतान लाभार्थी को नहीं प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा उक्त चेक को निरस्त करके नया एकाउन्ट पेयी चेक संख्या-0877649, दिनांक 25-10-2007 को प्राप्त करा दिया गया है।

116-श्री उदयभान करवरिया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम सभा अतरसण्ड में तालाब की भूमि का मत्स्य पालन

117-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में ग्राम अतरसण्ड में दिनांक 16-7-05 से 3-7-07 के मध्य कृषि भूमि, वृक्षारोपण, मछली पालन आवासीय पट्टा कुल कितने बीघे का स्वीकृत किया गया है ? क्या स्वीकृत पट्टे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या-क-1/233584 दिनांक 21-8-07 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में ग्राम सभा अतरसण्ड में दिनांक 16-7-05 से 3-7-07 के मध्य 11 व्यक्तियों को दिनांक 31-1-07 को 5.783 हे0 अर्थात् 22-17-0 (बीघा) तालाब की भूमि का मत्स्य पालन आवंटन ग्राम सभा के प्रस्ताव के पश्चात् स्वीकृत किया गया था। अन्य किसी मद में यथा वृक्षारोपण, आवास, कृषि मद में उक्त अवधि में कोई आवंटन स्वीकृत नहीं हुआ है।

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित है कि क्रमांक-45, 60, 61, 62, 69, 82, 90, 92, 95, 96, 98, 100, 107, 108, 112, 114, 119, 122, 125 से 129, 131 से 141 तक कुल 34 व्यक्तियों को अलग रखा गया है। ग्राम अतरसण्ड की उक्त कृषि आवंटन पत्रावली में उपर्युक्त 34 व्यक्ति अपात्र पाये गये थे जिन्हें स्वीकृति दिनांक 27-7-2007 के अन्तर्गत पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील भाटपार रानी की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण

118-श्री शाहिद मंजूर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद स्थित भाटपार रानी तहसील की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण इसी वर्ष 2007 में कराया गया है जो ध्वस्त भी हो गया है ? यदि हां, तो उक्त के लिए उत्तरदायी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

भाटपार रानी तहसील की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण वर्ष 2005-06 में कराया गया था, जो ध्वस्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों के शीघ्र निस्तारण की मांग

119-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में 31-8-07 तक कितने वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास कब से अनिस्तारित पड़े हैं ? क्या उनके शीघ्र निस्तारण हेतु मा0 मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

गोरखपुर महानगर में जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 31-8-07 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1020 आवेदन-पत्र दिनांक 22-2-2007 से अनिस्तारित थे।

उक्त अनिस्तारित 1020 आवेदन-पत्रों को नियमानुसार स्वीकृति हेतु उप जिलाधिकारी, गोरखपुर के पास भेजे गये। दिनांक 31-8-2007 तक अनिस्तारित 1020 आवेदन-पत्रों में से तहसील द्वारा पात्र घोषित किये गये 104 आवेदकों को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी।

जनपद बागपत पशु पाली क्लीनिक बिजरौल का निर्माण पूर्ण कराकर चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की तैनाती की मांग

120-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बागपत में स्वीकृत पशु पाली क्लीनिक बिजरौल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा तथा अधिकारियों, पशु चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जनपद बागपत में पशु पालीक्लीनिक बिजरौल के निर्माण कराये जाने हेतु मानक के अनुसार रु0 106.86 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2004-05 में दी गयी थी जिससे निर्माणदायी संस्था द्वारा मात्र 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया गया। अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु रु0 25.68 लाख की अतिरिक्त मांग की गयी है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा पदों के सृजन होने पर तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रिक्त पशुचिकित्सा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति की मांग

121-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारी के 667 पद रिक्त हैं।

प्रश्नगत पद उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के परिधि के हैं, अतः रिक्त पदों पर उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां उपलब्ध होने पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के ग्राम ललौली में यमुना नदी के किनारे साग-सब्जी की क्यारियां डूब जाने से हुई क्षति के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

122-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में जनपद फतेहपुर में ग्राम ललौली के नीचे यमुना नदी के किनारे साग-सब्जी की क्यारियां डूब जाने से हुई तबाही के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मई, 2007 में जिलाधिकारी एवं सचिव राजस्व को प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मा0 सदस्य का कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज लखनऊ के व्यायाम प्रशिक्षक की जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में की गई सम्बद्धता को पुनः बहाल करने की मांग

123-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, जनपद-लखनऊ में व्यायाम प्रशिक्षक को जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ कार्यालय से सम्बद्ध करने के कारण विद्यालय में व्यायाम की शिक्षा बाधित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षक की सम्बद्धता समाप्त करते हुए उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। व्यायाम की शिक्षा बाधित नहीं हो रही है।

प्रश्नगत प्रशिक्षक को विद्यालय में वापस भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के ग्राम लाखीपुर में ग्राम समाज की भूमि को ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने की मांग

124-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम लाखीपुर ब्लाक मंगरौरा में गाटा संख्या-16 एवं 21 तालाब के रूप में दर्ज है, जिसमें से तालाब संख्या-21/0.357 हे0 में से 16-1/2 घूर पर ग्राम प्रधान स्वयं काबिज हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-प्रतापगढ़ में तहसील पट्टी के ग्राम लाखीपुर ब्लाक मंगरौरा में गाटा सं0-16/0.030 हे0 श्रेणी 1-क के तहत अभिलेखों में खातेदार श्री ओरीलाल एवं अन्य के नाम संक्रमणीय भूमिधरी अंकित है। तालाब के खाते की भूमि नहीं है। गाटा सं0-21/0.357 हे0 जो अभिलेखों में तालाब के खाते में दर्ज है, में से 0.011 हे0 अर्थात् 16.5 घूर भूमि पर ग्राम प्रधान श्री रमेश यादव द्वारा कब्जा किया गया है।

ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं किये गये अवैध क़ब्जे के बेदखली हेतु तहसीलदार न्यायालय से आदेश भी पारित हुआ है, किन्तु ग्राम प्रधान द्वारा दीवानी न्यायालय से गांव सभा को वादी बनाकर वाद सं0-544/07 के तहत स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। स्थगन आदेश के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त ग्राम प्रधान के अनियमित कार्यों के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ को आख्या भेजी गयी है। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा में विधायकों को आवास हेतु भूखण्ड देने की योजना की जानकारी

125-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों को आवास बनाने हेतु नोएडा में भूखण्ड देने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर 50 प्रतिशत भूखण्ड सामान्य जन साधारण को एवं शेष 50 प्रतिशत निम्नलिखित आरक्षित श्रेणियों को लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का प्राविधान है :-

1-प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत भूखण्डों के कार्यशील इकाइयों/इकाइयों के स्वामी।

2-ग्रामीण जन जिनकी भूमि नोएडा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये अर्जित की गयी है।

3-प्राधिकरण के कार्यरत नियमित कर्मचारी/अधिकारी।

126-श्री उदयभान करवरिया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की कतिपय ग्राम सभाओं में बाढ़ से पीड़ितों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

127-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा सोनसख पुरैना, अटौरा, अंगरौरा, शुक्लपुरवा तहसील महमूदाबाद जनपद-सीतापुर में वर्तमान वर्ष में आयी बाढ़ से जमीनें/मकान कट गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को गृह अनुदान, इन्द्रा आवास, कृषि भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां, बाढ़ से कटे मकानों के 258 पीड़ित परिवारों को गृह अनुदान रु0 5,16,000/-वितरित कर दिया गया है। इन्दिरा आवास पात्र परिवारों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। कृषि भूमि की कटान के मुआवजे का आंकलन कर लिया गया है, वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

पीड़ित परिवारों को गृह अनुदान उप जिलाधिकारी, महमूदाबाद द्वारा दिनांक 5-9-07 व 28-9-07 व 22-10-07 को 258 पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करा दिया गया है। इन्दिरा आवास पात्र व्यक्तियों को शीघ्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे। कृषि भूमि कटान के मुआवजे का वितरण शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकत्री पद पर प्रोन्नति की योजना सम्बन्धी जानकारी

128-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकत्री पद पर प्रोन्नति करने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकत्री पद पर प्रोन्नत करने का कोई प्राविधान नहीं है, किन्तु कार्यकत्री के रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं 50 वर्ष से कम आयु की ऐसी सहायिकाओं जिनकी सहायिका पद पर 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, को कार्यकत्री पद पर नियुक्त करने की व्यवस्था शासनादेश सं0-4096/60-2-06-2/1(4)/91, दिनांक 06 दिसम्बर, 2006 में की गई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के सीजनल संग्रह अमीनों के विनियमितीकरण की मांग

129-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कतिपय जिलों की भांति जनपद-मैनपुरी के सन् 1982-1984 से कार्यरत सीजनल संग्रह अमीनों के विनियमितीकरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली (पांचवां संशोधन) 1992 के नियम-5 (1) के अनुसार सीजनल अमीनों के 35 प्रतिशत पद सामयिक संग्रह अमीनों से भी जाने की व्यवस्था उल्लिखित है। जनपद मैनपुरी में संग्रह अमीनों के कुल 90 पद स्वीकृत हैं, जिसके साप्रेक्ष कुल 39 सीजनल संग्रह अमीन वरिष्ठता एवं कार्यकुशलता के आधार पर विनियमित होकर कार्यरत हैं।

अतः निर्धारित कोटे के अन्तर्गत पद रिक्त न होने के कारण सामयिक संग्रह अमीनों को संग्रह अमीनों के पद पर विनियमित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद व तहसील उन्नाव ग्राम-तारगांव की चकबन्दी प्रक्रिया पूरी कराने सम्बन्धी जानकारी

130-श्री उदयराज यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की तहसील-उन्नाव के ग्राम-तारगांव की चकबन्दी की प्रक्रिया विगत 32 वर्षों से चल रही है ? यदि हां, तो चकबन्दी प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली लायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

कार्य योजना के अनुसार चकबन्दी प्रक्रिया मार्च, 2011 तक पूर्ण एवं धारा-52 की कार्यवाही किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की तहसील बदलापुर के कतिपय राजस्व ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने सम्बन्धी जानकारी

131-श्री उदयराज यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर की तहसील-बदलापुर के राजस्व ग्राम-अटरा, मितावां, उदपुर, इनामीपुर, दिलशादपुर, कटरा सलामतपुर आदि लगभग 40-50 ग्रामों की चकबन्दी पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या छूटे हुए ग्रामों की चकबन्दी शीघ्र करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, जनपद जौनपुर की तहसील बदलापुर में कुल 408 ग्रामों में से 390 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

शेष 18 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित है इनमें 10 ग्राम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेश निरस्त होने पर चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करायी जायेगी, 8 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार शीघ्र पूर्ण करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जर्जर हो चुके तहसील भवनों के भवन नये बनाये जाने की मांग

132-श्री उदयराज यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो तहसील भवन जर्जर हो चुके हैं, ऐसे तहसील भवनों की जांच कराकर नये तहसील भवन बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर एवं बेलसंडी में रिजर्व लैण्ड का पट्टा देने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

133-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापढ़ की तहसील-पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर एवं बेलसंडी में कौन-कौन भूखण्ड रिजर्व लैण्ड अभिलेखों में अंकित हैं ? उपरोक्त में किन-किन भूखण्डों का पट्टा कब स्वीकृत किया गया तथा उस पर कौन लोग काबिज हैं और क्यों ? क्या सरकार रिजर्व लैण्ड को पट्टा देने हेतु प्रस्ताव करने वाले लेखपाल, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी एवं आवेदक तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड के रूप में गाटा सं0-175, 184, 186, 218, 234, 309ख, 311क, 357ग, 370, 501च, 525, 408 एवं 506 कुल 13 गाटे तालाब के रूप में, गाटा सं0-211-स्कूल, 281-पंचायत घर, 171-खलिहान, 200-धोबीघाट, गाटा संख्या-99, 172, 176, 273, 456, 476 कुल 6 गाटे खाद गड्ढा, गाटा सं0-40, 449 मरघट, गाटा सं0-445 मुर्दा मवेशी, 236 मि0, 238मि0, 243, 448, 388 मि0 एवं 501 मि0 कुल 6 गाटे चारागाह के खाते में अंकित हैं। ग्राम मदाफरपुर के उपरोक्त रिजर्व लैण्ड में आवास हेतु 0.175 हे0 एवं 2.714 हे0 कृषि हेतु अनियमित आवंटन चारागाह की भूमि का कई वर्षों पूर्व हुआ था। ग्राम सभा मदाफरपुर में चारागाह गाटा संख्या-208 में आवास हेतु 236 में आवास व कृषि हेतु तथा 383 में कृषि हेतु तथा गाटा सं0-211 जो स्कूल के खाते की भूमि है, में पक्की सड़क एवं मकान बना हुआ है। ये मकान आवासीय पट्टेदारों के बने हैं। क्योंकि ये पट्टेदार हैं। शेष अन्य आरक्षित भूमि सुरक्षित है एवं मौके पर खाली है।

ग्राम बेलसण्डी में गाटा सं0-80, 14, 354, 588/359, 3, 130, 450, 454, 468, 297ग, 586ख, 602/485, 297ख, 495 एवं 586 कुल 15 गाटे रिजर्व लैण्ड के रूप में अभिलेखों में अंकित हैं। ग्राम बेलसण्डी में उपरोक्त किसी रिजर्व लैण्ड का कोई आवंटन नहीं हुआ है न ही अवैध कब्जा है।

ग्राम मदाफरपुर में रिजर्व लैण्ड के उपरोक्त अनियमित आवंटन के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है, जो न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। साथ ही साथ दोषी राजस्व कर्मियों, लेखपाल पारसनाथ व इन्द्रपाल वर्मा के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा में सार्वजनिक उपयोग की भूमि को खाली कराये जाने की मांग

134-श्री उदयभान करवरिया-

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-03 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सार्वजनिक उपयोग की प्रश्नगत भूमि के खाली कराने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मौजा सीधटिकट, तहसील बारा के तालाब के खाता सं0-308 भूमि संख्या-163/12-5-0, 681ख/6-12-0, भू0सं0-505ख/10-10-0 एवं भू0सं0-130/17-5-0 पर राजस्व अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि दर्ज है जिसे जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 25-10-2007 द्वारा निरस्त कर दी गयी है। उक्त भूमि मौके पर खाली है और गांव सभा के कब्जे में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशुधन विकास परिषद् द्वारा प्रशिक्षित पशु मित्रों को मानदेय वितरण का प्राविधान

135-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुधन विकास परिषद् द्वारा प्रशिक्षित पशु मित्रों को मानदेय देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

पशुधन विकास परिषद् अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जा रहे पशु मित्रों को प्रशिक्षण अवधि (चार माह) के दौरान मानदेय दिये जाने का प्राविधान है, जो प्रशिक्षण के उपरान्त वितरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील हरैया की ग्राम सभा महाखरपुर तथा पुरना में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कराये जाने की मांग

136-श्री दशरथ प्रसाद चौहान-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा महाखरपुर तथा पुरना, परगना-अमोढ़ा, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती में ग्राम समाज की भूमि खतौनी सं0-139, 139/10049 राजकीय राज मार्ग तथा 128 (रास्ता) पर ग्राम के दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा करके अवैध रूप से मकानों का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जा हटाकर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। गाटा सं0-139/10049 अभिलेख में कोई गाटा नहीं है। अभिलेख अनुसार 139/0.008 गड्ढा अंकित है जो मौके पर खाली है। भूमि संख्या-128/0.002 अभिलेख में चकमार्ग अंकित है, जो मौके पर खाली है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में निशुल्क ओ0पी0डी0 कराये जाने की मांग

137-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशु चिकित्सालयों पर, बड़े पशुओं के पांच रुपये, कुत्ते आदि के 10 रुपये तथा कृत्रिम गर्भाधान शुल्क 30 रुपये तथा टीकाकरण की फीस 2 रुपये ओ0पी0डी0 निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क ओ0पी0डी0 करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा के ग्राम झण्रा पाण्डेय में तालाब की भूमि कतिपय लोगों के नाम दर्ज करने का कथित प्रकरण

138-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम झण्रा पाण्डेय, तहसील-बारा, जनपद-इलाहाबाद के राजस्व अभिलेखों में क्षेत्र के तालाबों पर फर्जी ढंग से कतिपय लोगों के नाम दर्ज कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन नामों को निरस्त करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली एवं गौतमबुद्ध नगर द्वारा दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण सम्बन्धी जानकारी

139-श्रीमती कृष्णाराज-

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली एवं गौतमबुद्ध नगर द्वारा वष 2006-07 में दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ाने वाले बी0 टेक0 के विद्यार्थियों को निर्धारित फार्म भरने पर केवल सामान्य वर्ग के छात्रों को ही छात्रवृत्ति इंर्जीनियरिंग कालेजों के माध्यम से वितरित की गयी है ? यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग को उक्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति न प्रदान करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रर्जीत सरोज-

वर्ष 2006-07 में दशमोत्तर कक्षाओं में इंर्जीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले बी0टेक0 के विद्यार्थियों को निर्धारित फार्म भरने पर सामान्य वर्ग के छात्रों और अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जनपद बरेली व गौतमबुद्धनगर में निम्नलिखित विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति दी गयी है :--

जनपद	अनु0जाति लाभान्वित छात्र संख्या	व्यय धनराशि (रु0लाख)	अन्य पिछड़ा वर्ग लाभान्वित छात्र संख्या	व्यय धनराशि (रु0लाख)	सामान्य जाति लाभान्वित छात्र संख्या	व्यय धनराशि (रु0 लाख)
1-बरेली	393	107.02	343	11.42	212	71.16
2-गौतमबुद्ध नगर	890	313.98	86	3.95	18	10.10

अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जनपद बरेली व गौतमबुद्धनगर में बी0टेक0 पाठ्यक्रम के अनुसूचित जनजाति के किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति देने हेतु कोई भी मांग पत्र किसी भी इंजीनियरिंग कालेज से जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर व बरेली में अनुसूचित जनजाति के किसी भी छात्र को वर्ष 2006-07 में कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उपरोक्तानुसार 2006-07 के लिए छात्रवृत्ति दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां, मोहम्मदी एवं मितौली की कतिपय ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में घोर अनियमितता की जांच

140-श्रीमती कृष्णाराज-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि मोहम्मदी विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड पसगवां एवं मोहम्मदी एवं मितौली ब्लाक के ग्राम सभा नकारा एवं कल्लुआ मोती ग्राम सभा ककरहा भगौतीपुर की ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वर्ष 2006-07 की छात्रवृत्ति वितरण में घोर अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मोहम्मदी विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड पसगवां मोहम्मदी एवं मितौली की ग्राम सभा नकारा, कल्लुआ मोती ककरहा एवं भगौतीपुर में स्थित विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वर्ष 2006-07 की छात्रवृत्ति वितरण में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् एवं साधारण सभा में विधायकों को नामित करने की मांग

141-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की कार्य परिषद् एवं उसकी साधारण सभा में कार्य करने हेतु मा0 विधायकों को नामित करने की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्राविधिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् एवं साधारण सभा में मा0 विधायकों को नामित करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 17(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् का गठन किया गया है जिसमें मा0 विधायकों को नामित किये जाने की व्यवस्था नहीं है। उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 में साधारण सभा के गठन की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारण की मांग

142-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-उन्नाव में कौन-कौन से ऐसे गांव हैं, जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है ? क्या यह सत्य है कि इस लम्बी प्रक्रिया के कारण चकबन्दी कर्मियों द्वारा कृषकों का उत्पीड़न किया जा रहा है ? क्या सरकार जनपद-उन्नाव में चकबन्दी की समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद उन्नाव में संलग्न सूची के अनुसार कुल 216 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित है।

जी नहीं।

जी नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है किन्तु उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम एवं जोत चकबन्दी मैनुअल में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु प्रदान किये गये चेकों के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

143-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर में अनुसूचित जाति के पुत्रियों की शादी के लिये फरवरी, 2007 में कितनी चेंकें दी गयीं ? क्या सरकार द्वारा इन सभी चेकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना में माह फरवरी, 2007 में कुल 419 लाभार्थियों हेतु चेक कोषागार से जारी की गयी थीं।

समस्त 419 लाभार्थियों को समाज कल्याण सुपरवाइजरों के माध्यम से प्रश्नगत कोषागार चेक प्राप्त करा दी गयी थी। चेकों के भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

लाभार्थियों को उपरोक्तानुसार वितरित चेकों में से किसी चेक का भुगतान न पाये जाने की स्थिति में उत्तरदायित्व कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में उपजिलाधिकारी द्वारा आवंटित पट्टे

144-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील-पट्टी में उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 16-7-05 से 24-5-06 एवं 19-7-06 से 3-7-07 तक ग्राम सभावार कहां-कहां पट्टे स्वीकृत किये गये हैं ? उनका विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील-पट्टी में उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 16-7-05 से 24-5-06 एवं 19-7-06 से 3-7-07 तक कृषि आवंटन मद से 3 ग्रामों में 15 आवंटियों को 1.223 हे0, मत्स्य पालन मद में 28 ग्रामों में 44 आवंटियों को 24.304 हे0, आवास आवंटन मद में 28 ग्रामों में 144 आवंटियों को 1.845 हे0 तथा वृक्षारोपण मद में 23 ग्रामों में 55 व्यक्तियों को 4.575 हे0 भूमि का आवंटन किया गया है।

ग्राम सभावार आवंटियों की संख्या एवं आवंटित रकबे का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 184-188 पर।)

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा अतरसण्ड में पात्र व्यक्तियों के कृषि भूमि के पट्टे का आवंटन

145-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील-पट्टी में ग्राम सभा अतरसण्ड में 46 हे0 के पट्टे उप जिलाधिकारी द्वारा माह जुलाई, 2007 में स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या कुल लाभार्थियों की संख्या एवं उनकी पात्रता का सत्यापन राजस्व परिषद् द्वारा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम अतरसण्ड तहसील पट्टी में माह जुलाई, 2007 में 46.000 हे0 भूमि का कृषि आवंटन नहीं किया गया है, बल्कि कुल 141 प्रस्तावित व्यक्तियों में जांचोपरान्त 34 का अपात्र पाये जाने पर

उनको छोड़कर शेष 107 पात्र व्यक्तियों में कुल मिलाकर 19.172 हे0 भूमि का कृषि आवंटन तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था। लाभार्थियों की पात्रता एवं अपात्रता के सम्बन्ध में सत्यापन करा लिया गया है। सत्यापन के उपरान्त कुल 107 पात्र व्यक्तियों में 61 अनुसूचित जाति, 35 पिछड़ी जाति तथा 11 सामान्य जाति के पात्र व्यक्ति पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में गत वर्षों में भूमि के पट्टे का आवंटन एवं कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी सत्यापन की जानकारी

146-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में दिनांक 16-7-05 से 24-5-06 एवं 19-7-06 से 3-7-07 के मध्य पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित नक्शे जो राजस्व परिषद् सहित अन्य अपेक्षित स्तरों पर भेजे गये हैं उसके कागजी आंकड़ों के स्थलीय सत्यापन करायेंगे ? यदि हां, तो प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में दिनांक 16-7-05 से 24-5-06 एवं 19-7-06 से 3-7-07 के मध्य कृषि आवंटन मद में 3 ग्रामों में 15 आवंटियों को 1.223 हे0, मत्स्य पालन मद में 28 ग्रामों में 44 आवंटियों को 24.304 हे0, आवास आवंटन मद में 28 ग्रामों में 144 आवंटियों को 1.845 हे0 तथा वृक्षारोपण मद में 23 ग्रामों में 55 व्यक्तियों को 4.575 हे0 भूमि का आवंटन किया गया है। सभी आवंटियों को माह जुलाई, 2007 के अन्त तक कब्जा दिलाया जा चुका है तथा कब्जा सत्यापन का कार्य भी किया जा चुका है।

प्रारूप निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

147-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में गोड़ जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

148-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के आदेश संख्या 330-सी0एम0/26-3-06-3/28/78; दिनांक 3-1-07 अनुभाग-3 का पालन जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में किया जा रहा है ? यदि हां, तो दिनांक 3-1-07 से अब तक गोड़ जाति के कितने

लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र ग-3/568205, दिनांक 8-8-07 प्रमुख सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र श्री शिवराम सुत रामदयाल ग्राम बरहूपुर पट्टी, प्रतापगढ़ जाति गोड़ क्रमांक-107 दिनांक 05-06-07 पर दर्ज रजिस्टर होकर निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु योजनायें

149-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में, खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी योजनायें प्रस्तावित हैं ? उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जनपद मैनपुरी में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु हैण्डबाल एवं एथलेटिक्स खेलों के प्रशिक्षण शिविरों का संचालन, राष्ट्रीय पर्व पर 04 प्रतियोगिताएं, खेल पर्व पर एक प्रतियोगिता एक सब जूनियर की प्रदेश स्तरीय हैण्डबाल प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने के साथ-साथ आवासीय छात्रावास में प्रवेश, क्रीड़ा संघों के समन्वय से सब जूनियर एवं जूनियर प्रतियोगिताओं हेतु बालक/बालिका ट्रायल्स/चयन, महिलाओं में, जिला स्तरीय ट्रायल्स का आयोजन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त स्टेडियम के विस्तारीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 07 जून, 2007 द्वारा रुपये 300 करोड़ की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी है।

उक्त प्रशिक्षण शिविरों का संचालन एवं प्रतियोगिताएं को आयोजित कराये जाने का लक्ष्य 31 मार्च, 2008 तक निर्धारित है। इसी क्रम में उल्लेख करना है कि स्टेडियम के विस्तारीकरण हेतु रु0 3.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, यह कार्य जुलाई, 2008 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर एवं तरबगंज में अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि को खाली कराये जाने की मांग

150-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील-मनकापुर एवं तरबगंज में कितने एकड़ अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि को सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में खाली कराकर दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत अवधि में तहसील मनकापुर में कुल 7.69 एकड़ सार्वजनिक भूमि अतिक्रमणियों से खाली कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित कराई गई है एवं तहसील तरबगंज में कुल 17.17 एकड़ भूमि अतिक्रमणियों से खाली कराई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर एवं तरबगंज में कृषि एंव वृक्षारोपण हेतु दिये गये पात्र व्यक्तियों को पट्टा

151-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील-मनकापुर एवं तरबगंज, जनपद-गोण्डा में आवास, वृक्षारोपण एवं कृषि हेतु जनवरी, 2007 से अगस्त, 2007 तक कितने पट्टेदारों को कब्जा दिलाया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को भी पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत अवधि में तहसील मनकापुर में आवास, वृक्षारोपण एवं कृषि के कुल 1417 तथा तहसील तरबगंज में आवास, वृक्षारोपण एवं कृषि के कुल 406 पट्टेदारों को कब्जा दिलाया गया है।

अपात्र व्यक्तियों को पट्टा नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की मनकापुर की ग्राम पंचायत तालागंज ग्रन्ट में पात्रों को भूमि आवंटन के पट्टे दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

152-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील-मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तालागंज ग्रन्ट में वर्ष 2004 से अगस्त, 2007 तक कितने पात्र पट्टेदारों को आवासीय,

वृक्षारोपण एवं कृषि हेतु पट्टा दिया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकारियों द्वारा अपात्रों को भी पट्टा दिया गया है ? क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराते हुए अवशेष भूमि का पट्टा करायेगी ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम पंचायत तालागंज ग्रन्ट में वर्ष 2004 से अगस्त, 2007 तक कुल 36 पात्र पट्टेदारों को आवासीय, वृक्षारोपण एवं कृषि हेतु पट्टा दिया गया है।

अपात्रों को पट्टा नहीं दिया गया है।

अवशेष भूमि के पट्टे की कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के ग्राम उसका में भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक शिकायती-पत्र

153-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-उसका, तहसील-सलेमपुर, जनपद-देवरिया के निवासी श्री रामनरेश पुत्र श्री रामपूजन के भूमिधरी आ0नं0-488 रकबा 0.417 हे0 पर इसी गांव के निवासी पंचानन्द पुत्र शिवगोविन्द, मुन्नीलाल, श्रीकान्त व महंत पुत्र पंचानन्द आदि द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से किये कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मुजफ्फनगर की तहसील कैराना, के ग्राम बधूपुरा में अनुसूचित जाति के लोगों को मिली भूमि पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा से मुक्त कराये जाने की मांग

154-श्री हुकुम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-बधूपुरा, तहसील-कैराना, जनपद-मुजफ्फरनगर के भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को जो पट्टों द्वारा भूमि मिली थी उस पर ग्राम प्रधान द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 22-8-07 को जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया गया परन्तु अभी तक उक्त भूमिहीनों को कब्जा नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो कब्जा कब तक दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम बधूपुरा तहसील कैराना जिला मुजफ्फरनगर में भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर मिली भूमि पर ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा नहीं किया गया है।

दिनांक 22-8-2007 को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को भेजे गये पत्र जो श्री बलजीत पुत्र दाताराम निवासी ग्राम को पट्टे से प्राप्त भूमि 0.228 हे0 पर कब्जा दिलानें के सम्बन्ध में है, जाचोंपरान्त पाया गया कि श्री बलजीत पुत्र दाताराम निवासी बघूपुरा के नाम ग्राम बघूपुरा की खतौनी वर्ष 1402 फसली से 1407 फसली के खाता सं0 206 पर गाटा सं0 42 क्षेत्रफल 0.228 हे0 बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। पूर्व में यह भूमि उपरोक्त पट्टेदार को कृषि आवंटन के रूप में प्राप्त हुई थी। न्यायालय तहसीलदार कैराना द्वारा वाद संख्या-1/96-97 को अन्तर्गत धारा 186 ज0वि0अ0 गांव सभा बनाम चन्द्रभान आदि में निर्गत आदेश दिनांक 14-2-1997 के तहत बलजीत पुत्र दाताराम को उपरोक्त आवंटित भूमि पर काश्त न करने व गाँव में निवास न करने के कारण परिव्यक्त घोषित करते हुए गांव सभा में दर्ज कर दी गयी। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुनःस्थापना प्रार्थना-पत्र उप जिलाधिकारी कैराना के आदेश दिनांक 16-7-98 व 6-1-99 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस भूमि का कृषि आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति बघूपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 21-6-1997 के आधार पर श्री सब्बीर पुत्र मेंहदी हसन निवासी बघूपुरा को उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 29-9-97 सें स्वीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में इस भूमि पर सब्बीर पुत्र मेंहदी हसन का कब्जा है। उपरोक्तानुसार बलजीत पुत्र दाताराम के नाम ग्राम बघूपुरा के राजस्व अभिलेखों में कोई भूमि अंकित न होने के कारण कब्जा दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना के ग्राम नंगलाराई में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

155-श्री हुकुम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-नंगलाराई, तहसील-कैराना, जनपद-मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 9-8-07 को जिलाधिकारी, मुजफ्फनगर को पत्र लिखा गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम नगलाराई तहसील कैराना जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान द्वारा ख0नं0 5म रकबा 0.020 हे0 बंजर भूमि पर मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। उक्त भूमि का सीमांकन करके अवैध कब्जा हटवा दिया गया। वर्तमान में ग्राम प्रधान का ग्राम समाज तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है।

जी हां।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 9-8-2007 मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर को भेजा गया। मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा जिला पंचायत अधिकारी से जांच करायी गयी। इस पत्र में ग्राम प्रधान नंगलाराई के विरुद्ध किये गये भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार शासनादेश के अन्तर्गत ग्राम प्रधान के विरुद्ध उसी शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांच की जा सकती है जो नोटरी हलफनामे पर प्राप्त हुई हो। तद्नुसार यह पत्र नोटरी हलफनामे पर प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना के ग्राम-मवी में पट्टे की भूमि को हरियाणा प्रदेश के दबंगों के कब्जे से मुक्त कराये जाने की मांग

156-श्री हुकुम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-मवी तहसील-कैराना, जनपद-मुजफ्फरनगर के भूमिहीन कृषकों को ग्राम सभा द्वारा जो पट्टा का आवंटन किया गया था उस पर हरियाणा प्रदेश के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 23-6-07 को जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को पत्र के माध्यम से अतिक्रमण हटाने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? उक्त भूमिहीन कृषकों को पट्टों की भूमि पर पुनः कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम मवी तहसील कैराना की प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। यह भूमि जमुना नदी के वर्तमान बहाव के पश्चिम की ओर हरियाणा राज्य की तरफ स्थित है। उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य सीमा विवाद के निस्तारण हेतु गठित दीक्षित आयोग द्वारा निर्धारित सीमा रेखा के पूरब में वर्तमान में यमुना नदी बह रही है। प्रश्नगत काश्तकार की भूमि दीक्षित अवार्ड रेखा व यमुना नदी के बीच स्थित है तथा इस विवादित भूमि पर ही हरियाणा राज्य के ग्राम रीशपुर व बाहुदीनपुर के काश्तकारों की भूमि है। जो दरिया बरामदी के उपरान्त गिरदावरी के तहत मालकाना हक के अन्तर्गत दर्ज कर ली गयी है। इस प्रकार विवादित भूमि पर दोनों राज्यों के काश्तकारों का इन्द्राज है। इस डबल इन्द्राज की भूमि पर हरियाणा राज्य के काश्तकारों का कब्जा है। उपरोक्त भूमि पर ग्राम मवी के काश्तकारों का कब्जा नहीं है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम नयायालय में वाद विचाराधीन है। पत्र दिनांक 23-6-2007 प्राप्त हुआ था जिस पर उपरोक्त आख्यानुसार डबल इन्द्राज होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

प्रश्नगत भूमि पर डबल इन्द्राज निरस्त होने के उपरान्त ही काश्तकारों को कब्जा दिलाया जाना सम्भव है।

प्रश्नगत भूमि पर डबल इन्द्राज होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लाभ दिये जाने की मांग

157-श्री राम विशुन आजाद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी लाभ दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

कतिपय संवर्गो को छोड़कर शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश दिनांक 31-7-2002 एवं 17-1-2006 के क्रम में वेतन पुनर्रीक्षण के सभी लाभ अनुमन्य किये गये हैं।

मण्डी परिषद् के आदेश सं0-151 दिनांक 23-4-2003, आदेश सं0-152 दिनांक 23-4-2003 आदेश सं0-1091 दिनांक 4-11-2006 तथा आदेश सं0-1706 दिनांक 20-2-2007 द्वारा।

जिन सवंर्गों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। उन पर विचार किया जा रहा है।

158-श्री राजाराम त्यागी-

[दूसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रायबरेली के ग्राम समोहदा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या

159-श्री राजाराम त्यागी-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जिले के समोहदा ग्राम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति का विद्यालय संचालित है ? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से विद्यालय में कक्षावार छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी है ? विद्यालय में पदों के सापेक्ष कितने शिक्षक नियुक्त हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

विद्यालय में विगत 03 वर्षों में कक्षावार छात्र-छात्राओं की संख्या निम्नवत् रही है :--

वर्ष	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	योग
2004-2005	13	07	13	10	09	52
2005-2006	14	10	10	10	09	53
2006-2007	13	12	08	04	03	40

विद्यालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष निम्नवत् शिक्षक नियुक्त रहे हैं :--

वर्ष	नियुक्त शिक्षकों की संख्या
2004-2005	02
2005-2006	01
2006-2007	01
2007-2008	--

जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज के विकास खण्ड शिवगढ़ में अपात्र व्यक्तियों को पट्टे के आबंटन पर कार्यवाही की मांग

160-श्री राजाराम त्यागी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जनपद के महराजगंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा गोविन्दपुर विकास खण्ड शिवगढ़ में मुश्ताक अहमद व इकबाल अहमद पुत्रगण सलीम निवासी पटेल नगर बछरावां देहात जिनका नाम मतदाता सूची 91 बछरावां विकास सभा के क्रम सं0 1240 व 1241 पर दर्ज है को पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, पट्टा किया गया है। परन्तु तत्पश्चात शिकायत के आधार पर अपात्र पाये जाने पर धारा 198(4) के अन्तर्गत पट्टा खारिज करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है।

प्रकरण में सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा फर्जी हस्ताक्षर से जारी लाइसेंस विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

161-श्री विश्वनाथ-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद मैनपुरी में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अनेकों फर्जी लाइसेंस व जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखलाल, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2007 जो मा0 राजस्व मंत्री, उ0प्र0 सरकार व जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, मैनपुरी से करायी गई है। जांच में सभी आरोप सिद्ध पाये गये हैं। आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को संस्तुति दिनांक 26-10-2007 को प्रेषित की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत अम्बरपुर की सीलिंग भूमि पर अवैध कब्जा सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

162-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अम्बरपुर के गाटा सं0-668, 671, 676 सीलिंग खाते की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में श्री नाथू राम पुत्र श्री जीव राखन, श्री छोटेलाल पुत्र श्री बेकारू आदि निवासी अम्बरपुर द्वारा तह0 दिवस 19-6-07, 7-8-07 को शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर स्थलीय जांच करायी गई। गाटा संख्या-668 मि 0.50 एकड़ पर सागौन के वृक्ष लगे पाये गये, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री जगराम को नोटिस देकर बेदखली की कार्यवाही की गई। गाटा संख्या-671 व 676 पर इनके तथा दबंगों द्वारा कोई कब्जा किया जाना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकत्री की अवैध रूप से नियुक्ति सम्बन्धी शिकायती-पत्र

163-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के ग्राम पंचायत बक्सरा विकास खण्ड मनकापुर में आंगनबाड़ी, सहायिका/कार्यकत्री की अवैध नियुक्ति के जांच करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्रांक सं0-ख-2 नं0-819648, दिनांक 30-8-07 निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण की दर निर्धारित करने की मांग

164-डा0 अनिल चौधरी-

क्या उद्यान मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997 तक शीतगृह अधिनियम, 1974 के अनुसार शीतगृह भण्डारण की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थी ? वर्तमान में शीतगृह स्वामियों द्वारा किसानों का शोषण को देखते हुये क्या सरकार पुनः भण्डारण दर निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा भण्डारण दर निर्धारण के कारण अधिकांश शीतगृह बन्द होने लगे थे जिससे भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। अतः वर्ष 1997 में भण्डारण प्रभार को शासकीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया जिससे शीतगृह व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा हुई और शीतगृहों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश में स्थापित शीतगृहों की संख्या-1248 तथा भण्डारण क्षमता कुल 86.87 लाख मै0 टन हो गयी है जिससे प्रदेश में किसानों के आलू भण्डारण की अब कोई समस्या नहीं रह गयी है।

जनपद हरदोई के भू-लेख कार्यालय में जिला भूमि सुधार लिपिक की मांग

165-श्रीमती सीमा द्विवेदी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के भू-लेख कार्यालय में जिला भूमि सुधार लिपिक (डी0 एल0 आर0 सी0) के पद पर कितने लिपिक, सीलिंग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और कब से हैं ? क्या सरकार प्रतिनियुक्ति की समय सीमा के विरुद्ध तैनात लिपिकों को उनके पैतृक विभाग में वापस करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद हरदोई में डी0 एल0 आर0 सी0 का कोई पद स्वीकृत नहीं है। सीलिंग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं है।

प्रधान लिपिक सीलिंग से अपने कार्य के साथ-साथ डी0 एल0 आर0 सी0 के पद का कार्य लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों की बी0 टेक0 अभ्यर्थियों की प्रशासनिक परीक्षाओं हेतु अर्हता की जानकारी

166-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के प्राविधिक विश्वविद्यालय (यू0पी0टी0यू0) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज की बी0टेक0 (कम्प्यूटर साइंस) एवं बी0 टेक0 (कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग) की अर्हता, स्नातक अर्हता के समकक्ष है ? यदि हां, तो क्या उक्त योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की समस्त प्रशासनिक परीक्षाओं हेतु अर्ह हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राविधिक विश्वविद्यालय की भांति प्रदेश की समस्त प्रशासनिक सेवाओं में कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग को विषय के रूप में रखने पर विचार

167-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के प्राविधिक विश्वविद्यालय (यू0 पी0 टी0 यू0) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज की बी0टेक0 (कम्प्यूटर साइंस) एवं बी0 टेक0 (कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग) की अर्हता स्नातक अर्हता के समकक्ष है ? यदि हां, तो क्या सरकार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाले प्रदेश के समस्त प्रशासनिक सेवाओं में कम्प्यूटर साइंस तथा कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग को भी एक विषय के रूप में रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नरोरा से वाराणसी तक सड़क बनाने की योजना

168-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरोरा से वाराणसी तक गंगा के किनारे आठ लेन सड़क बनाने की कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना का उद्देश्य रूपरेखा तथा अनुमानित लागत क्या है ?

कु0 मायावती-

1-जी हां। शासन के निर्णय के अनुसार ग्रेटर नोयडा से शुरू होकर बुलन्दशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर से होते हुये बलिया तक आठ लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस वे की परियोजना सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

2-उपरोक्त परियोजना का निर्माण, जहां तक सम्भव हो गंगा नदी के बायें तट पर बन्धों का निर्माण करते हुये किया जायेगा जिससे कि बाढ़ के फलस्वरूप होने वाली क्षति को रोका जा सके तथा साथ ही साथ प्रदेश की पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा को जोड़ते हुये सुविधाजनक निर्बाध एवं तीव्रगामी यात्रा सम्भव हो सके और प्रदेश में पर्यटन, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास मिले।

परियोजना की ग्रेटर नोयडा से गाजीपुर तक की अनुमानित लागत रु0 25,000 करोड़ है।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में बैकलाग सूची के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

169-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 वित्तीय निगम कानपुर में बैकलाग सूची दिनांक 31-5-2003 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीधी भर्ती के रिक्त 24 पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

निगम की निरन्तर गिरती हुयी आर्थिक स्थिति के कारण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा विभिन्न समूहों के 159 पदों को समाप्त करने व वर्ष 2010 तक किसी भी पद पर कोई भर्ती न किये जाने का निर्णय लिया था।

चूंकि निगम की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है अपितु और गिरावट आयी है अतः बैकलाग के सीधी भर्ती के पदों को न भरे जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-1846/77-6-07-एल0सी0-17/05 दिनांक 23-08-07 द्वारा पुनः छूट प्रदान की गयी है।

अतः उक्त पदों पर निकट भविष्य में नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु नियम 110 के अन्तर्गत शासन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अभी प्रश्नकाल के पहले ही एक प्रस्ताव नियम 110 के अन्तर्गत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि का प्रस्ताव उन्होंने रखना चाहा था। मैं उनकी भावना और सदन की भावना को ध्यान में रखते हुये मान्यवर, यह प्रस्ताव करता हूं कि बाबा साहब के इक्यानवे महापरिनिर्वाण दिवस पर यह सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मान्यवर, बाबा साहब का समता मूलक समाज की स्थापना में विशेष रूप से उस ऐसे काल में जब उनको अपने पढ़ाई के जीवन में अपने सहपाठियों से ही बड़े अपमान को सहना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किया। उस समाज को जिसको अछूत कहा जाता था, सार्वजनिक स्थानों पर तालाबों पर अन्य जगहों पर उनके प्रवेश पर आन्दोलन चलाया और उनके लम्बे संघर्ष के बाद एक बड़े समाज को भारत के एक बड़े समाज को एक बहुत बड़ा अधिकार मिला। देश की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिला। ऐसे बाबा साहब का आज 91वां महापरिनिर्वाण दिवस है। 1947 में भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में तबसे लेकर 1951 तक रहे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन बातों से समतामूलक समाज की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा। इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि उनके प्रति हम श्रद्धासुमन अर्पित करें।

श्री अध्यक्ष-

इस सम्मानित सदन में जो प्रस्ताव आया है। आज डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जिनके संदर्भ में अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके संघर्षों, उद्देश्यों, लक्ष्यों और देश में एक समतामूलक समाज बनाकर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में उन्होंने बताया। ऐसे महापुरुष, जो उस समय की जाति व्यवस्थाओं में एक ऐसे स्तर पर थे, जहां उनको बहुत संघर्षों को झेलना पड़ा। लेकिन उन संघर्षों के बाद भी उन विषम परिस्थितियों में जहां सामाजिक व्यवस्था इतनी ऊंची-नीची थी, उन परिस्थितियों को झेलकर भी वह भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित हुये। विश्व के विद्वानों की सूची जब बनी उसमें भी उनके नाम को छठवें नम्बर पर सूचीबद्ध किया गया। भारत सरकार में विधि मंत्री भी रहे और साथ ही साथ तमाम ऐसी पुस्तकों को उन्होंने अपनी विद्वता और कलम से लिखकर समाज में प्रकाशित किया, जिसका आज समाज व देश लाभ ले रहा है। गोलमेज कांफ्रेंस में, लन्दन में भी जिस प्रस्ताव को लेकर इन्होंने संघर्ष किया उसका नतीजा आज तमाम समाजों को मिल रहा है, जिन्हें इस धरती पर इंसान होते हुये भी तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया था उनको वह अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और सबसे बड़ा भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया और संविधान में जो उन्होनें धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया, यह बहुत बड़ी चीज थी।

इस देश में मंदिर भी चले, मस्जिद भी चले, गुरुद्वारा भी चले और चर्च भी चले, यह धर्मनिरपेक्षता जब भारत में नहीं रहेगी, उस दिन हम टूट सकते हैं। ऐसे संविधान में उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द को लिख दिया, जिसमें कुरान भी झलकती है, गीता भी झलकती है, बाइबिल भी झलकती है। ऐसे संविधान ग्रन्थ के आधार पर भारत एक मजबूत समतामूलक, सौहार्द, प्यार, जाति-धर्म से ऊपर उठकर एक इंसानियत के माहौल का देश बने, ऐसे महापुरूष ने अपने उद्देश्यों और संघर्षों से ऐसा किया है। मैं उनके प्रति आज परिनिर्वाण दिवस पर सदन से अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करते हुये बाबा साहब को सदन की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं। राजर्षि टण्डन हाल में बाबा साहब को पुष्पाजंलि अर्पित करने के लिये व्यवस्था की गयी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिये राजर्षि टण्डन हाल में पधारने का कष्ट करें। आधे घन्टे के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

(श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 28 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी। 12 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सदस्यों द्वारा अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं पर पीठ का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने कल चर्चा के लिए जो सूचना दी थी, क्योंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है।

श्रीमती सैय्यदा सादाब फ़ातिमा-

मान्यवर, मेरी सूचना पर कल मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने आज कार्यवाही से सूचित करने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सादाब फ़ातिमा जी, अभी आपका आयेगा, सरकार बतायेगी, आप बैठिये, सरकार के संज्ञान में है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, क्योंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है, इस प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा मैं सदन के संज्ञान में ला देना चाहता हूं। एक बहुत ही बड़ी योजना घोषित की है गंगा एक्सप्रेस हाई-वे, इस पर चर्चा के लिए हमने नोटिस दिया था लेकिन आज सत्र का अन्तिम दिन है, इसलिए सम्भव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपकी अनुमति से चर्चा शुरू कर देना चाहता हूं। मान्यवर, यह एक हजार किलोमीटर गंगा नदी के किनारे-किनारे सड़क का निर्माण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

हम सुनेंगे, कार्य-स्थगन आ रहा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं इसे संज्ञान में ला देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

एक निवेदन है कि नियम-301 और नियम-300 के बाद आप अपनी बात कहें जो आप संज्ञान में लाना चाहते हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मा0 सदस्य का व्यक्तिगत मामला है।

श्री अध्यक्ष-

ओझा साहब बैठिये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मा0 सदस्य का व्यक्तिगत मामला है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं इसे दिखवा लेता हूं।

(श्रीमती सैय्यदा सादाब फ़ातिमा के खड़े होने पर।)

श्री लालजी वर्मा-

मा0 सदस्या, अभी तो सदन चल रहा है, यह बात थी तो मैं आज ही सूचित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आज ही सूचित कर देंगे, आप बैठिये।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :--

पहली सूचना श्री सिबगतुल्ला अन्सारी की जनपद गाजीपुर में मोहम्मदाबाद-महेन्द्र ग्राम के निकट मगई नदी पर निर्मित पुल के दोनों ओर एपरोच (पहुंच मार्ग) न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (मा0 सदस्य द्वारा सदन में पढ़ी गई।)

दूसरी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गन्ना पेराई सत्र 2007-2008 हेतु कतिपय गन्ना क्रय केन्द्रों को शेरमऊ मिल सहारनपुर से हटाकर ऊन शुगर काम्पलेक्स को दिये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत सस्ते गल्ले की प्रणाली में खाद्यान्न ब्लॉक गोदाम प्रभारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों द्वारा ग्रामीण कोटा वितरकों को कम खाद्यान्न दिये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री निर्मल वर्मा की है। मा0 सदस्य उपस्थित नहीं है।

छठी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में दिनांक 26/27 नवम्बर की रात्रि की घटना को कवर करने गये पत्रकारों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। (मा0 सदस्य द्वारा सदन में पढ़ी गई।)

सातवीं सूचना श्री जमीर उल्ला खां की नगर निगम अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की, ग्राम सभा इस्लामपुर साहू, जिला बिजनौर में पुलिस द्वारा वर्ग विशेष (जाटों) के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण कार्यवाही समाप्त करने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड नकहा के अन्तर्गत परसिया घाट पर निर्माणाधीन पुल के रुके कार्य को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की है, वह अनुपस्थित हैं। ग्यारहवीं सूचना श्री अंगद यादव की आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत अर्सीलपुर गांव में नहर पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर तहसील विलासपुर में रोडवेज बस स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर के पास रोहिनी नदी पर दोमीनगढ़ में पीपे के अस्थायी पुल के स्थान पर स्थायी पुल बनवाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अशोक कुमार कंसल की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुपालन में प्रदेश की समस्त आरा मशीनों को चालू करने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा विगत पेराई सत्रों के गन्ना मूल्य के अन्तर का भुगतान करने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की रामकोला जनपद कुशीनगर में चीनी मिलों के समय से चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 700 रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, अटारहवीं सुचना श्री लालजी यादव की है, वह अनुपस्थित हैं। उन्नीसवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर में नवनिर्मित डालमियां शुगरर्स लि0 जवाहरपुर द्वारा रजवाहा नं0 1205 पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की पी0जी0आई0 लखनऊ में कतिपय कर्मचारियों की पदोन्नति करने सम्बन्धी प्रकरण की जांच कराकर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री सर्वेश

कुमार सिंह की जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत सी0आर0एफ0 मार्ग के निर्माण में हो रहे घटिया सामग्री एवं गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री राधे श्याम जायसवाल की शारदा सहायक परियोजना डी0पी0ए0पी0 लखीमपुर खीरी में तैनात अवर अभियन्ता द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत पुवायां में स्थापित खराब विद्युत सब-स्टेशन को ठीक कराने के सम्बन्ध में है (उक्त सूचना सदस्य ने सदन में पढ़ी)। चौबीसवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की सुल्तानपुर जनपद के ग्राम रामदासपुर में गाटा संख्या-653, 654 पर सिविल जज के निर्णयानुसार स्थगनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में। (मा0 सदस्य द्वारा सदन में पढ़ी गई।)

पच्चीसवीं सूचना श्री धनीराम वर्मा की औरैया के विधूना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री पंकज मलिक की मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्रान्तर्गत मण्डी समिति शामली, थाना भवन क्षेत्र में आने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्ताइसवीं सूचना श्री जोखूलाल यादव की इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत फूलपुर तहसील के क्षतिग्रस्त जन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का मूल्यांकन जेड स्केलिंग पद्धति से कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्तीसवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की है। वह अनुपस्थित हैं। तीसवीं सूचना श्री भोला पासवान की बांदा की जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के विपरीत कार्य कराने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। इकतीसवीं सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत खरझार नाला की सफाई कराने के सम्बन्ध में है। बत्तीसवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की है। वह अनुपस्थित हैं।

श्री सुन्दर सिंह-

मान्यवर, मैं आ गया हूं इसलिए मेरी नियम 301 की सूचना स्वीकार कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

आज जितने माननीय सदस्यों ने नियम 301 की सूचना दी थी सभी की सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। जब आपका नाम पुकारा गया उस समय आप उपस्थित नहीं थे।

श्री सुन्दर सिंह-

मान्यवर, मैं अब तो आ गया हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आपकी सूचना स्वीकार की जाती है।

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

मान्यवर, मैं भी आ गया हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(सदन की सहमति से शेष सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद गाजीपुर में मोहम्मदाबाद-महेन्द्र ग्राम के निकट मगई नदी पर निर्मित पुल के दोनों ओर एप्रोच (पहुंच मार्ग) न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद गाजीपुर में मोहम्मदाबाद-महेन्द्र ग्राम के निकट मगई नदी पर निर्माणाधीन सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु उक्त पुल के दोनों तरफ एप्रोच (पहुंच मार्ग) न होने से आवागमन बाधित है। यह अम्बेडकर ग्राम भी है आने जाने का एक मात्र यही पुल होने के कारण आवागमन बाधित रहने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। विगत वर्ष उक्त नदी पर नौका द्वारा आने जाने से घटनाएं भी हो चुकी हैं। शासन तथा जिले के अधिकारी आपसी तालमेल न होने के कारण कार्य को बाधित भी कर रहे हैं। तत्काल शासन स्तर से यदि धन दे दिया जाता है तो उपरोक्त एप्रोच का कार्य तत्काल हो जाता और आवागमन भी सुचारु रूप से चलने लगता और आये दिन होने वाली दुर्घटना से जनता को राहत मिलती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जनहित का कार्य है इसका निराकरण तत्काल किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त कार्य हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।

मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गन्ना पेराई सत्र 2007-2008 हेतु कतिपय गन्ना क्रय केन्द्रों को शेरमऊ सहारनपुर से हटाकर ऊन शुगर काम्पलेक्स को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत स्थिति ऊन शुगर काम्पलेक्स को वर्ष 2007-2008 के पेराई सत्र में पांच लाख तेहत्तर हजार कुन्टल गन्ना वर्ष 2006-07 के सापेक्ष कम आवंटित किया गया है जिसके चलते ऊन शुगर काम्पलेक्स की 10 किमी की परिधि के 10 गन्ना क्रय केन्द्रों को शेरमऊ शुगर मिल सहारनपुर को आवंटित कर दिया गया है। जबकि इस क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधि मण्डल कई बार सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या के समाधान करने हेतु बराबर पत्राचार एवं मांग करते चले आ रहे हैं किन्तु इस विषय पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। जिसके चलते गन्ना किसानों की समस्या जसकी तस बनी हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर गन्ना किसानों की समस्या का निदान तत्काल किये जाने हेतु पांच लाख तिहत्तर हजार कुन्तल गन्ना पेराई सत्र-2007-2008 हेतु पुनः आवंटित करते हुए कमालपुर, बिडौली, याहियापुर, बबिन्ना मजरा गन्ना क्रय केन्द्रों को शेरमऊ मिल सहारनपुर से हटाकर ऊन शुगर काम्पलेक्स को दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद-मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कें, फरह से गोवर्धन, वाया परखम झुडावही शरूरपुर, जाजन पट्टी, मगोरी, लोरिया, पट्टी, सौख, पैठा, रिफाइन्डरी गेट नं0-09 से छडगांव सेरसा, पीलुआ, नगला, अउवा, ओल, सौख से कौथरा वाया बछगांव की हालत बहुत ही जर्जर एवं चलने लायक नहीं रही है जिसके कारण आये दिन राहगीरों को एवं वाहनों के फसने से दुर्घटनायें हो रही हैं एवं काफी वाहन पलट गये हैं। यह मार्ग मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचाती है।

अतः अविलम्बनीय उपरोक्त सड़कों की मरम्मत कराने हेतु धन अवमुक्त किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत सस्ते गल्ले की प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान ब्लाक गोदाम प्रभारियों व पूर्ति निरीक्षकों द्वारा ग्रामीण कोटा वितरकों को कम दिये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद -

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र तहसील धौरहरा जनपद खीरी में सरकार के द्वारा सस्ते गल्ले की प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न ब्लाक गोदाम प्रभारियों व पूर्ति निरीक्षकों के द्वारा ग्रामीण कोटा वितरकों को खाद्यान्न प्रति बोरी 5 किलोग्राम कम दिया जा रहा है। अतः सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी। यदि हां, तो कब तक ?]

वाराणसी में दिनांक 26/27 नवम्बर की रात्रि की घटना को कवर करने गये पत्रकारों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्यामदेव राय चौधरी-

महोदय, अम्बेदकर नगर की एक महिला अनुपमा सिंह वाराणसी शहर में विगत कई दिनों से जिले के उच्चाधिकारियों के यहां इसलिए दौड़-धूप कर रही थी कि उनके पति डा0 पवन सिंह दूसरी शादी सारनाथ स्थित लालपुर के एक लान में करना चाहते हैं, जो एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

असंवैधानिक एवं कानून विरुद्ध है जिसे प्रशासन को रोकना चाहिए था। कहा जाता है कि विवाद वाले दिन पहली पत्नी विवादस्थल पर पहुंचकर दूसरी शादी का विरोध करने लगी जिससे उसके पति व उनके पक्षधर लोग हमलावर हो गये और मारपीट की तथा घटनास्थल पर मौजूद इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े कई चैनलों के पत्रकार व कैमरामैन मौजूद थे जो घटना का दृश्यांकन करने लगे जिससे वहां उपस्थित लोग उत्तेजित हो गये और उन्होंने कैमरामैनों के साथ मारपीट की तथा उनके कैमरे कथित रूप से तोड़ दिये गये और गायब कर दिये गये। पत्रकारों का आरोप है कि उपस्थित पुलिस जन भी उनकी कोई मदद नहीं की, उल्टे मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया जिससे पत्रकारों में गहरा आक्रोष व्याप्त है और वह आन्दोलित हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की ध्यानाकर्षण सूचना पर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

नगर निगम अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जमीर उल्ला खां-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद अलीगढ़ के सदर विधान सभा के नगर निगम अलीगढ में अधिकांश मार्ग ऐसे हैं जो काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जगह-जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जो बरसात के समय तालाब के रूप में नजर आते हैं। नगरवासियों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाहजमाल क्षेत्र, भुजपुरा क्षेत्र, कालीदह, इन्दिरानगर, जीवनगढ़, जमालपुर आदि क्षेत्रों में जो नगर निगम के अन्तर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में मार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है आवागमन बुरी तरह से प्रभावित होता है। सरकार द्वारा इन मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए अभी तक कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है। जनता की बराबर मांग होती है कि इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा कार्य कराया जाय परन्तु सरकार द्वारा किन्हीं कारणवश इस क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है परन्तु अभी तक इस किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी जिससे क्षेत्रीय जनता काफी क्षुब्ध है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के ग्राम सभा इस्लामपुर साहू में पुलिस द्वारा वर्ग विशेष (जाटों) के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण कार्यवाही समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री यशपाल सिंह चौहान-

[जिला बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र की ग्रामसभाओं छितावर, औरंगाबाद हृदय एवं इस्लामपुर साहू में पुलिस द्वारा एक वर्ग विशेष (जाटों) पर दिनांक 14-11-07 से कहर बरपाया हुआ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। दिनांक 14-11-07 की रात्रि को ग्राम सभा इस्लामपुर साहू, जिला-बिजनौर में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा टूट जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष वर्ग पर झूठे मुकदमें लगाकर उत्पीड़न कराया जा रहा है। प्रतिमा के आस पड़ोस में केवल अनुसूचित के घर हैं। सुबह 6.30 बजे जैसे ही प्रतिमा टूटने की सूचना फैली तो ग्राम प्रधान इस्लामपुर साहू, श्रीमती किरन देवी के पति और ग्राम औरंगपुर हृदय की ग्राम प्रधान श्रीमती लता देवी के पति श्री अरविन्द कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों ग्राम प्रधानों द्वारा तभी प्रतिमा के लिए रु0 10,000/-दान लेकर तत्काल नई प्रतिमा लगवाने की पहल की। दुर्भाग्यवश पुलिस इन्हीं प्रधानों को दोषी सिद्ध करने पर अड़ी है। गांव के गणमान्य अनुसूचित वर्ग के लोगों तथा अन्य जातियों द्वारा भी प्रधानों के पक्ष में शपथ-पत्र दिया गया है। नई मूर्ति लाकर उसे अब विधिवत् स्थापित भी कर दिया गया है। किन्तु टूटी हुई प्रतिमा का तनाव फैलाने के उद्देश्य से उसी स्थान पर रखा हुआ है। पुलिस द्वारा एक पक्ष (जाटों) के घरों में हर रात घुसकर अपमानित करना तथा उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इस द्वेषपूर्ण कार्यवाही के कारण पूरे गांव का वातावरण तनावग्रस्त हो गया है। स्वाभिमानी किसान पुलिस की दबिश के कारण दो सप्ताह से अपने घरों में नहीं रुक पा रहे हैं। उनकी महिलाओं को पुलिस निरन्तर धमका रही है। जाटों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्यवाही के कारण तनाव बढ़ गया है। 70 वर्षीय श्री राम करन सिंह को पुलिस ने दिनांक 22-11-07 से थाने में बन्द किया हुआ है। अब वह थाना किरतपुर में भी नहीं है। एक सप्ताह से चल रही इस नियम विरुद्ध कार्यवाही को रोकने तथा इस गांव के बुजुर्ग को छुड़वाने की आवश्यकता है।

पुलिस की कार्यवाही से शान्तिप्रिय गरीब किसानों में जातिवाद का जहर फैल रहा है। इन तीन ग्रामसभाओं में जीवन अति तनावपूर्ण और कष्टमय बन गया है गांव में तनाव के कारण जातीय हिंसा कभी भी हो सकती है। शासन से एक निष्पक्ष कार्यवाही द्वारा इस तनाव का अन्त करवाने की आवश्यकता है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि एक वर्ग विशेष (जाटों) के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण कार्यवाही समाप्त हो तथा गिरफ्तार लोग तत्काल रिहा किये जावें।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के अन्तर्गत परसिया घाट पर निर्माणाधीन पुल के रुके कार्य को पुनः प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[आपको अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के अन्तर्गत परसिया घाट पर लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-1 लखीमपुर खीरी द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा था पुल के निर्माण हेतु अधिकांश सामग्री निर्माण स्थल पर पहुँच चुकी थी किन्तु अब उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है जिससे जनता में आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। इस पुल से मकसोहा,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खम्भा खेड़ा,बड़ा गाँव बड़ेहरा, कोपा, परसिया, मटेली आदि ग्राम पंचायतों के हजारों लोगों का आगमन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाय तथा जनता के हित में तत्काल पुल का निर्माण कराया जाय।]

जनपद-बुलन्दशहर के निवासी देवीपुरा प्रथम वार्ड-16 के श्री राजू सिंह की मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर सिंह-

[महोदय, दिनांक 25-11-2007 को लगभग सायं 8.00 बजे से राजू सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह गायब था। दिनांक 26-11-2007 को पास ही स्थित टेलीफोन टावर की बाउन्ड्री में ढाई बजे उसकी लाश पड़ी मिली जिसके सिर में चोट थी। राजू सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह एक गरीब परिवार से है तथा अपने पिता श्री सीताराम सिंह के साथ मजदूरी करता था। लगभग दो वर्ष पहले गीता के साथ शादी हुयी उसके एक पुत्री मशी आयु डेढ़ वर्ष है।

घटना लोकमहत्व एवं तात्कालिक है परिवार की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः मैं चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष से दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की कृपा करें जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके।]

जनपद आजमगढ़ के निजामबाद क्षेत्रान्तर्गत असीलपुर गांव में नहर पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अंगद यादव-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र निजामबाद जनपद-आजमगढ़ में फरिहा माइनर पर पुल है, लेकिन असीलपुर गांव में नहर पर पुल अभी तक नहीं बना है। जिसकी वजह से यातायात की समस्या बनी हुई है। इस नहर के अगल-बगल सैकड़ों गांव पड़ते हैं। यहां की जनता को 10 किलोमीटर घूमकर दूसरे मार्ग से जाना पड़ता है। जिसकी वजह से तमाम कठिनाइयों का सामना बरसात के मौसम में करना पड़ता है। इस नहर पर पुल बन जाने से वहां के किसानों, व्यापारियों एवं छात्रों के लिए सीधा यातायात मार्ग सुगम हो जायेगा। पुल न होने से ग्रामवासियों तथा क्षेत्र के अगल-बगल गांव में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निजामबाद विधान सभा क्षेत्र जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत असीलपुर गांव में नहर पर पुल बनाने की अविलम्ब मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज बस स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर-

महोदय, जनपद रामपुर के अन्तर्गत विलासपुर अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तहसील है जो उत्तराखण्ड राज्य, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली को जोड़ने वाले रामपुर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। तहसील विलासपुर में रोडवेज का कोई भी बस स्टेशन नहीं है। जिसके कारण इस मार्ग पर चलने वाली बसों को खड़ी करने में जहां असुविधा होती है वहीं यात्रियों को परेशानी तो होती है साथ ही स्थानीय लोगों को भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ प्रायः अकारण दुर्घटनायें भी होती रहती है। यहां पर बस स्टैण्ड न होने के कारण छात्र/छात्राओं, दैनिक यात्रियों सहित मरीजों को भी अत्यन्त ही परेशानी होती है। जनहित में तहसील विलासपुर जनपद रामपुर में रोडवेज का एक बस स्टैन्ड होना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के पास रोहिनी नदी पर दोमीनगढ़ में पीपे के अस्थाई पुल के स्थान पर स्थायी पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय बहादुर यादव- .

महोदय, गोरखपुर के पास रोहिनी नदी पर दोमीनगढ़ में पीपे का अस्थायी पुल बनाया गया है। बाढ़ एवं अत्यधिक पानी के समय यह पुल हट जाता है जिससे यहां के निवासियों को गोरखपुर मात्र 2 किमी0 दूरी के बजाय 50 किमी0 दूरी तय करके आना-जाना पड़ता है। जनहित में यहां पर स्थायी पुल बनाया जाना आवश्यक है। काफी समय से स्थायी पुल बनाये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक स्थायी पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे यहां के निवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्थायी पुल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुपालन में प्रदेश की समस्त आरा मशीनों को चालू करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कुमार कंसल-

[महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 01-09-2006 को प्रदेश की समस्त आरा मशीनों को बन्द करने का आदेश पारित किया गया था परन्तु बाद में दिनांक 18-5-2007 को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी आरा मशीनों को चलाने का आदेश पारित किया गया जो वर्तमान में चल गयी हैं। इसके बाद 27-7-2007 को पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त आरा मशीनों को चलाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश आने के बाद भी आज लगभग सवा चार माह व्यतीत होने के बाद भी चतुर्थ श्रेणी की 848 आरा मशीने वन विभाग की लापरवाही के कारण चालू नहीं हो सकी हैं। जिस कारण आरा मशीन मालिकान एवं उनसे जुड़े हुए कर्मचारीगण भुखमरी की कगार पर आ गये हैं। विगत लगभग सोलह माह से आरा मशीनें बन्द रहने के कारण उससे जुड़े लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या आ गयी है एवं आम नागरिकों को भी लकड़ी की उपलब्धता न होने के कारण मकान, दुकान इत्यादि में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः हम अविलम्बनीय लोक महत्व से जुड़े विषय पर सरकार से वक्तव्य सहित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा विगत पेराई सत्रों के गन्ना मूल्य के अन्तर का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शम्भू चौधरी-

महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा किये जा रहे किसानों के साथ सौंतेला व्यवहार यहां के किसान दाने-दाने को मोहताज है, चीनी मिल एक भी दिन का भुगतान न देने के संदर्भ में सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कुशीनगर ज़नपद के कप्तानगंज निजी चीनी मिल पर गन्ना किसानों का वर्ष 2002-03 का दिये गये गन्ना मूल्य के अन्तर धनराशि रुपये 8,2253 लाख वर्ष 2003-04 का गन्ना मूल्य रु0 4.33 लाख तथा पेराई सत्र, 2006-07 में पेरे गये गन्ना मूल्य 14,4660 लाख बकाया है।

गन्ने का नया पेराई सत्र भी प्रारम्भ होने का समय है फिर भी गरीब किसान की उपज का भुगतान नहीं होने से किसानों के बच्चों की शादियां रुक गयी हैं, बच्चों की पढ़ाई तथा उन्हें भोजन आदि सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान के सापेक्ष ही बैंक ऋण का भी भुगतान किसान करता है, परन्तु भुगतान न होने से बैंक का ब्याज किसानों को और गरीब बना रहा है। कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री का भुगतान दर पूरे पूर्वांचल की सभी शुगर फैक्ट्रियों के भुगतान से खराब है। इस क्षेत्र में किसानों का एक मात्र सहारा गन्ना की खेती ही है। आज इस क्षेत्र का किसान भुखमरी और आत्महत्या की स्थिति में पहुंच रहा है। ऐसे में शासन की मंशा और शासन की छवि खराब हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस क्षेत्र के गरीब किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर शीघ्रातिशीघ्र गन्ना भुगतान की प्रबल मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के रामकोला चीनी मिलों के समय से चालू न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाँ

*श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से चीनी मिलों के समय से न चलने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

रामकोला जनपद कुशीनगर में किसानों की प्रमुख फसल गन्ना है। चीनी मिलों के समय से चालू न होने से गन्ना किसानों के समक्ष गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अधिकांश किसान गन्ना समय से भेजकर उसमें गेहूं की फसल लगाते हैं परन्तु अभी तक चीनी मिलें न चालू होने के कारण किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक तो चीनी मिलों को देर से चलाया जाता है दूसरी ओर समय से पहले बन्द कर दिया जाता है। इससे गन्ना किसानों को दोहरी मार पड़ती है और उन्हें अपना गन्ना खेतों में फूंकने पर मजबूर होना पड़ता है। समय से चीनी मिलों के न चालू होने से इस प्रकार किसान भुखमरी के कगार पर हैं। किसान आन्दोलित हैं और उनका गन्ना समय से मिल पर जा पायेगा, इस सम्बन्ध में आशंकित हैं। दिसम्बर का प्रथम सप्ताह शुरू हो जाने के बाद भी चीनी मिलों का न चलना क्षेत्र के किसानों का चिन्ता का विषय बना है, किसान को अपना पूरा भविष्य अन्धकारमय लग रहा है। मिल चलाने के साथ-साथ किसानों के पुराने गन्ने मूल्य के भुगतान की व्यवस्था भी आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मिलों को अविलम्ब चलाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 700 रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, फतेहाबाद विधान सभा जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद में प्राइमरी स्कूल व जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के करीब 700 पद रिक्त हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता व विद्यार्थियों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो शिक्षक व शिक्षा मित्र हैं भी वह न तो समय पर आते हैं और न अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर में नवनिर्मित डालमियां शुगर्स लि0 जवाहरपुर द्वारा रजबहा नं0 1205 पर किये गये अवैध कब्जे हटाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद सीतापुर में नवनिर्मित डालमियां शुगर्स लि0 जवाहरपुर द्वारा किया गया रजबहा नं0-1205 पर अवैध कब्जे की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी वजह से क्षेत्र की 500 एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है व ग्राम जवाहरपुर जिहुरी, मिर्जापुर, कटैया गांव को बाढ़ की चपेट में आना संभव है। ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था जिस पर जिला प्रशासन नें धारा 122 बी के तहत वाद में तहसीलदार न्यायिक द्वारा अर्थदण्ड के साथ अवैध कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये गये। मिल प्रबन्धन द्वारा 6,76,800/-रुपये मिल प्रबन्धन द्वारा अर्थदण्ड के रूप में जमा किया गया। लेकिन रजबहा नं0-1205 से मिल ने अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया न ही जिला प्रशासन ने उस पर कोई कार्यवाही की इससे क्षेत्र में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस जनहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल रजबहा नं0-1205 का अवैध कब्जा हटाने की ओर ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

पी0जी0आई0 लखनऊ में कतिपय कर्मचारियों की पदोन्नति करने सम्बन्धी प्रकरण की जांच कराकर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पी0जी0आई0 लखनऊ में कार्यरत अमृत लाल और दयाराम की पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण काफी दिनों से लम्बित चल रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के चौथे बुधवार के लिए अतारांकित प्रश्न सं0-32 जिसमें वरिष्ठता सूची की क्रम सं0-27 व 28 के लोगों को वरिष्ठता का लाभ न दिये जाने हेतु पूछा गया था। चूंकि सूची में क्रम सं0-29 से लेकर 44 तक कनिष्ठ कर्मियों को प्रोन्नति दे दी गयी है यह बहुत ही गम्भीर विषय है, पात्र लोग अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। प्रकरण को जानबूझ कर दबाने की कोशिश की जा रही है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लोक महत्व का है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उपरोक्त मामले की जांच शासन के किसी उच्च अधिकारी से करायी जाय, नहीं तो पी0जी0आई0 के किसी अधिकारी से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है और न्याय पात्र लोगों को नहीं मिल पायेगा। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत सी0आर0एफ0 मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री एवं गुणवत्ता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सर्वेश कुमार सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनहित के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत सी0आर0एफ0 मार्ग जीयनपुर आजमगढ़ से मोहम्मदाबाद मऊ एवं नरहन-लालघाट आजमगढ़ पर हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क का निर्माण जो हो रहा है उसमें जो गिट्टी का उपयोग हो रहा है वह भी निम्न कोटि की है। गिट्टी की मोटाई सही अनुपात में नहीं है, बीच में मिट्टी डालकर उक्त कार्य कराया जा रहा है जिससे सड़क धसने का अंदेशा बना हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा लिखित रूप से भी पत्र दिया गया तथा मौखिक भी शिकायतें की गयीं परन्तु विभाग के पास इतना समय नहीं है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराये, टी0ए0सी0 जांच हो जाती तो सही व गलत कार्य का पर्दाफाश हो जाता है। जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसमें मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। यह जनहित का विषय है, लोक महत्व का है।

अतः उक्त मार्ग पर कराये जा रहे घटिया कार्यों की टी0ए0सी0 जांच कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

शारदा सहायक परियोजना डी0पी0ए0पी0 लखीमपुर खीरी में तैनात अवर अभियन्ता द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शारदा सहायक परियोजना डी0पी0ए0पी0 लखीमपुर खीरी में तैनात अवर अभियन्ता श्री शिवाकान्त मिश्रा के गलत कार्यों के तरफ दिलाना चाहता हूं। यह लगभग 19 वर्ष से घूम फिर कर लखीमपुर खीरी भूमि संरक्षण इकाई में तैनात रहे हैं और करोड़ों का घोटाला करने तथा प्रशासनिक आधार पर हुए स्थानान्तरण को रोकवाने में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कार्य करने का भी कुचक्र इनके द्वारा रचा गया है। यह बहुत ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, इनके पास बड़ा फार्म हाउस है इसके अलावा बेनामी सम्पत्ति इनके पास है जिसकी शिकायत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 विभागीय मंत्री से स्थानीय सम्पादक बृज कुमार शुक्ला सीतापुर द्वारा दिनांक 10-10-07 और 12-11-07 व अन्य तिथियों में की गयी है। परन्तु उसकी बिन्दुवार जांच आज तक नहीं हुई है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सम्बन्धित अभियन्ता को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत पुवायां में स्थापित खराब विद्युत सब-स्टेशन को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनां

*श्री मिथिलेश कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत नगर पंचायत पुवायां में स्थापित विद्युत सब-स्टेशन के खराब होने से उत्पन्न स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह विद्युत सब-स्टेशन 15 दिनों से खराब पड़ा है ठीक कराने हेतु व्यापार मण्डल व किसानों के द्वारा दिनांक 4-12-07 को चक्का जाम भी किया गया था परन्तु स्थानीय अधिकारियों ने कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं कर सकी हैं। पूरे नगर पंचायत में विद्युत आपूर्ति बाधित है उसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। यह एक जनहित का विषय है तत्काल विद्युत सब-स्टेशन धन देकर ठीक कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए धन उपलब्ध कराने एवं विद्युत सब-स्टेशन ठीक कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रामदासपुर में गाटा संख्या-653, 654 पर सिविल जज के निर्णयानुसार स्थगनादेश का अनुपालन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप सण्डा-

सुल्तानपुर जनपद के ग्राम रामदासपुर (पूरे बहादुर लाल का पुरवा), थाना गोसाईगंज के निवासी श्री राम आसरे यादव पुत्र श्री भगवती दीन यादव व उनके परिजनों की बाग व खेत जिसका गाटा सं0-653, 654 है। राम आसरे आदि को उक्त बाग व खेत पर वाद सं0-1172/97 में श्रीमान सिविल जज उत्तरी सुल्तानपुर के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है।

दिनांक 26 नवम्बर, 2007 को स्थगनादेश की उपेक्षा कर उप जिलाधिकारी सदर श्री एस0एन0 पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक नगर श्री राम चरन के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने जबरिया राम आसरे यादव के बाग व खेत में मिट्टी डालकर सड़क बनवाना शुरू कर दिया। क्षेत्राधिकारी नगर के स्थगनादेश की छायाप्रति फाड़ के फेंक दी। दिनांक 01-12-2007 को पुलिस उपाधीक्षक श्री राम चरन अपने साथ पुनः कई थानों की पुलिस व पी0ए0सी0 लेकर पहुंचे, श्री यादव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की भूमि पर खड़न्जा लगवाने लगे। घर की महिलाओं श्रीमती फूलकुमारी, फुलादेवी, विनीता, नीता तथा श्री रंजीत यादव ने जब स्थगन आदेश का हवाला देकर खड़न्जा न बिछाने का अनुरोध किया तो पुलिस ने उन्हें बंदूक की बटों, लाठियों, बूतों से निर्ममतापूर्वक पीटा।

श्री राम आसरे यादव की बाग व खेत से होकर जाने वाली निर्माणाधीन सड़क बसपा नेता व वन निगम उपाध्यक्ष श्री जियालाल त्यागी के घर को जाती है। इसलिए सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने पुलिस के दम पर खुलेआम न्यायपालिका के आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं। अभी भी राम आसरे यादव को पुलिस बराबर गिरफ्तारी व पिटाई की धमकी दे रही है। जिला प्रशासन के इस अन्यायपूर्ण कृत्य से जनता में भारी रोष है। न्यायहित में न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के दोषी अधिकारियों का दण्डित होना एवं राम आसरे यादव की भूमि पर स्थगनादेश का पालन एवं 26 नवम्बर, 2007 के पूर्व की स्थिति बहाल करना आवश्यक है।

नियम-301 के माध्यम से इस प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

औरैया के विधूना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री धनीराम वर्मा-

[मान्यवर, मैं लोक महत्व के उक्त विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र विधूना, जनपद औरैया की अछल्दा-सल्हूपुर वाया पुर्वा फकीरे एवं अछल्दा-सल्हूपुर वाया रामपुर कुंवर व मनकौड़ा सड़कें अत्यन्त जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं जिससे लोगों को पैदल चलने में भी कठिनाई हो रही है। कृषक अपनी उपज औने पौने दामों में खुदरा व्यापारियों को बेंच रहे हैं किसी मण्डी तक पहुंचाने में असमर्थ हैं।

मैं मांग करता हूं कि उक्त सड़कों की मरम्मत जनहित में अविलम्ब करायी जाए।]

मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्रान्तर्गत मण्डी समिति शामली थाना भवन क्षेत्र में आने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंकज कुमार-

[मान्यवर, बघरा विधान सभा क्षेत्र, जनपद मुजफ्फरनगर में मण्डी समिति शामली, थाना भवन व मुजफ्फरनगर मण्डी समिति क्षेत्र में आने वाली सड़कों का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा 1989 से 1996 तक कराया गया था। कुछ सड़कों का निर्माण प्रथम चरण में खड़न्जा स्तर तक ही हो पाया। द्वितीय चरण में लेपन स्तर तक कार्य नहीं हो पाया। इनका निर्माण कार्य पूरा कराया जाय। ये सड़कें अब पूर्णतया जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गयी हैं। ये सड़कें यातायात के काबिल नहीं रह गयी हैं। आज हालात यह है कि इन जर्जर सड़कों पर लोगों, वाहनों एवं पशुओं का चलना मुश्किल हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़कें जर्जर होने से आये दिन वाहन खराब होते रहते हैं, लोगों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। उक्त सभी सड़कें मण्डी समिति क्षेत्र की हैं और इन सड़कों का कार्य मण्डी परिषद् द्वारा करवाया जाना है। प्रथम उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाय तथा द्वितीय टूटी और जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण कार्य पूरा कराया जाय।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के प्रतापगढ़ क्षेत्रान्तर्गत फूलपुर तहसील के क्षतिग्रस्त जनसम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जोखू लाल यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के फूलपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम तितौरा जन सम्पर्क मार्ग व उतरांव से नीबी धरिया सम्पर्क मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है। यह दोनों मार्ग बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र में हैं, सड़कें चलने लायक नहीं हैं, मरम्मत कराये जाने हेतु बार-बार उच्च अधिकारियों के संज्ञान में प्रकरण लाया गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आवागमन बाधित होता है, आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। यह एक बहुत ही जनहित का प्रकरण है, तत्काल धन देकर दोनों मार्गों की मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस पर तत्काल धन आवंटित कर मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का मूल्यांकन जेड स्केलिंग पद्धति से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रान्तीय सिविल सेवा का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा करता है। इसमें लाखों प्रतिभागी सम्मिलित होते हैं। लिखित परीक्षा का मूल्यांकन पहले स्केलिंग पद्धति से होता था जो इस समय अमान्य घोषित हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा वर्ष 2005 में पी0सी0एस0 की मुख्य परीक्षा तथा वर्ष 2006-07 की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम, मूल्यांकन पद्धति शासन द्वारा अनुमोदित न होने के कारण तैयार नहीं किया जा सका है एवं अत्यंत विलम्ब हो रहा है। लाखों नौजवानों का भविष्य अधर में लटका पडा है। काफी लोगों की उम्र सीमा समाप्त होने के कारण उनके बीच हताशा एवं कुंठा व्याप्त हो रही है। आयोग पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयोग ने लिखित परीक्षा के मूल्यांकन हेतु जेड स्केलिंग पद्धति तैयार कर उ0प्र0 शासन (कार्मिक विभाग) को अनुमोदन हेतु भेजा है किन्तु वह शासन की फाइलों में धूल चाट रही है। शासन आंख मूदकर लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

अतः इस अविलम्बर्नीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल आयोग द्वारा भेजी गई जेड स्केलिंग पद्धति का अनुमोदन देने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 रमेश चन्द्र विन्द-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र मंझवा जनपद-मिर्जापुर के जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट एवं न्यूरोलॉजिस्ट डाक्टरों का पद रिक्त है जिससे जनपद की जनता को इलाज हेतु अन्य जनपदों में जाना पड़ती है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यंत रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बर्नीय एवं लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त अस्पताल में डाक्टरों की तैनाती किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद बांदा की जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के विपरीत कार्य कराने की जांच हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भोला-

[मान्यवर, आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद बांदा की जिला पंचायत में गत दो वर्षों से ग्यारहवें वित्त आयोग बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से स्वीकृत परियोजनाओं के विपरीत जिला पंचायत कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराया जा रहा है जो स्थान स्वीकृत है उनके विपर्रीत कार्य कराये जा रहे हैं। पूर्व में स्वीकृत तथा निर्मित कार्यों का फर्जी नया कार्य दिखाकर फर्जी भुगतान किये जा रहे हैं तथा दिनांक 30-11-07 का टेण्डर प्रक्रिया में धांधली कर 5% धनराशि लेकर चहेते ठेकेदारों को कार्य दिया गया है। दिनांक 30-11-07 को स्वीकृत परियोजनाओं के टेण्डर में बांदा शहर के शहरी क्षेत्रों इन्द्रानगर, झील का पुरवा, आवास विकास कालोनी एवं अशोक नगर के कार्य राज्य वित्त में स्वीकृत किये गये हैं जो नियम विपरीत है तथा मजदूरों को 40/-रुपये प्रतिदिन की दर से देकर लाखों रुपये मजदूरों के गबन किये जा रहे हैं। इसलिए जांच कराकर कार्यवाही आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के विषय पर मा0 पंचायती राज मंत्री जी से कार्यवाही कराने का कष्ट करें।]

बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत खरझार नाला की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में स्थित खरझार नाला जो बरसात के दिनों में कई गांव को जलमग्न कर देता है और सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि बालू जमा हो जाने से कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। उक्त नाले की सफाई करके समस्या का समाधान हो सकता है। विधान सभा क्षेत्र का अधिकतर भू-भाग शिवालिक पर्वत श्रेणी की तलहटी होने से भूगर्भ जल की अनुपलब्धता रहती है।

अतएव निवेदन है कि सिंचाई के लिए पहाड़ी नालों पर बांध बनाकर एवं नाले की सफाई द्वारा समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें।]

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत मरदह विद्युत सब-स्टेशन की जली हुई ट्रालियों एवं मशीनों को बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कालीचरन राजभर-

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के मरदह में विद्युत सब-स्टेशन काफी दिनों का स्थापित किया गया है। इस सब स्टेशन की काफी ट्रालियां जली हुई हैं तथा मशीने भी पुरानी होने के कारण पूरी क्षमता से विद्युत की सप्लाई नहीं कर पाती है जिसके कारण किसानों को विद्युत की सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पाती है। जिसके कारण क्षेत्रीय किसानों में काफी रोष एवं दुःख व्याप्त है।

अतः आपसे इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांगों को ध्यान में रखते हुए मरदह सब-स्टेशन की जली हुई ट्रालियों एवं मशीनों को बदल कर नई ट्रालियां एवं नयी मशीनें लगवाने का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-300 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह प्राविधान है कि औचित्य प्रश्न सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियमों या भारत के संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है। जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके अतिरिक्त औचित्य प्रश्न ऐसे विषय से सम्बन्धित होना चाहिए जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे भविष्य में औचित्य प्रश्न की वही सूचनाएं दे जो उक्त नियमों की परिधि में आती हो।

आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2007 को औचित्य प्रश्न की 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से कोई भी सूचना नियमानुसार नहीं है अतः मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी सूचना नियम-300 में आदर्श स्थिति में है। आप कृपया नियम-300 देख लें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप लोगों को इसमें कुछ करना पड़ेगा। किसी की खड़न्जा लगाने, किसी की चकरोड के बारे में और किसी की एक आदमी कहीं गायब हो गया है उसको खोजवाने के लिये सूचना दी है। यह नियम-300 में नहीं आती है।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

गौरी शंकर जी, आपसे मैंने पहले निवेदन किया था कि महामहिम राज्यपाल महोदय के कथनों पर, टिप्पणी पर यहां सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती है। गौरी शंकर जी, आप एक वरिष्ट सदस्य हैं, बैठ जायं। आपसे निवेदन भी अलग से किया था कि सब कुछ करिये महामहिम राज्यपाल के कथनों पर, तथ्यों पर आचरण में कोई सदन में चर्चा नहीं हो सकती है और न होनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस पर विनिश्चय कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

और मान भी गये वो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-314 आप देखें। इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी। किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चिय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। मान्यवर, जब आपका विनिश्चय हो गया तो फिर उसको उठाया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो विनिश्चय कर लिया लेकिन कुछ लोग निश्चय किये होते हैं कि मैं तो जरूर बोलूंगा चाहे कुछ हो जाय। गौरी शंकर जी किसी और नियम में ला दीजिये अगर आप कहीं उस बात का

उल्लेख करना चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल जी के बारे में कुछ न कहिये। ओझा जी, हो गया। आप बताइये। सुरेश जी। माननीय ओझा जी आपकी सूचना मैं पढ़ा हूं। पढ़ दूं। यह नियम-300 में नहीं आती। मैं आपकी सूचना पढ़ लेता हूं। गौरी शंकर जी, आपकी नहीं पढ़ेंगे। एक ही है दोनों लोगों की तो दोनों लोग साथ ही मान जाइये। ओझा जी महामहिम राज्यपाल जी के बारे में कुछ न कहिये। बैठ जाइये ओझा जी, चलिये फिर किसी और में ले लीजियेगा। आज हम चाहते हैं कि सदन जल्दी स्थगित हो जाय। ओझा जी, नहीं पढ़वाइये। जब आपकी दोनों लोग की मिलती जुलती है तो मत पढ़वाइये। चलिये मैंने गलती कर दिया, मत पढ़वाइये।

प्रदेश में बाल मृत्यु दर के नियंत्रण हेतु बच्चों के टीकाकरण एवं उन्हें आवश्यक विटामिन दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, बाल पुष्टाहार में बच्चों को सही आहार नहीं मिल रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है इसको दिखवाइये।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी यह बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है, इसको दिखवा लीजिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

ठीक है मान्यवर, दिखवा लेंगे।

बिना किसी संगीन जुर्म के मामूली आरोपों में प्रदेश की जेलों में 35-40 वर्षों की लम्बी अवधि से बन्द कैदियों की रिहाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरी सूचना नियम-300 में आदर्श स्थिति में है।

श्री अध्यक्ष-

सुरेश श्रीवास्तव जी, आप सबकी सूचना मैं पढ़ चुका हूं। कहीं न कहीं इसकी ग्रेविटी को कायम करने के लिये कुछ माननीय सदस्यों के विचार। तिवारी जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी-

अरे आप लोग बैठ जायं। मुझको बुला लिया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं बुला नहीं लिया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप पहले यह देख लें। मान्यवर, मैं सिर्फ 3-4 मिनट में बता दूंगा कि यह आदर्श स्थिति में है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना को पढ़ लिया है। आपकी सूचना में एक बात तो सही कहा है कि कुछ ऐसे 25 साल, 40 साल से कैदी जेलों में बन्द हैं और जिनकी उम्र भी इतनी हो गई कि उनको यह

भी नहीं पता है कि मैंने क्या अपराध किया। लेकिन यह औचित्य में कहां बनता है। एक मानवीय आधार पर कहीं न कहीं सरकार इसको दिखवा ले यह मैं कह देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक मिनट मेरी सुन तो लें। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने यही कहा है कि जो लोग 25-30 साल, 40 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं सरकार उनके बारे में विचार कर ले और उनको छोड़ दे। नियम क्या है ? नियम यह है कि 302 है आजीवन कारावास होगा या फांसी होगी। अगर 307 है तो आजीवन कारावास होगा। अन्य दफाएं सिर्फ 7 साल की होती हैं। मान्यवर, मैं नियम की बात कर रहा हूं तो अगर जिसमें सजा अधिकतम 7 साल है या जिसमें सजा अधिकतम 3 साल है और वह व्यक्ति पिछले 40 सालों से जेल में बन्द है तो मान्यवर, जिसमें मुकदमा साबित हो भी जाएगा तो उसमें सात साल की सजा होगी। अगर मुकदमें में गुनहगार साबित हो जायेगा तो तीन साल की सजा होगी और मैं जो प्रकरण ला रहा हूं जगरूप का, यह चालीस साल से जेल में बंद है। दूसरा प्रकरण जो है वह जगजीवन का है वह 44 साल से जेल में बन्द है तीसरा प्रकरण जो है वीरभद्र का यह 47 साल से जेल में बन्द है।

श्री अध्यक्ष-

टीक है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा के ऊपर लगाये गये दण्डनीय आरोपों की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत कराने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी थी कि इसको कल रखा जाएगा, यह हमारा मामला था। हमारे ऊपर मान्यवर, 7-लॉ क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट लगा है। मैं आपके माध्यम से पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, वह इस सदन को बतायें कि क्या मेरे ऊपर कोई अपराध है या कोई आपराधिक इतिहास मेरा रहा है ? आज के लिए इन्होंने आश्वासन दिया था सदन के समक्ष आपने व्यवस्था दी थी, आपने कहा था कि कल मैं सदन के सामने इसको रखूंगा तो अभी तक उनका जवाब नहीं आया है हम जानना चाहते हैं मान्यवर, एक महिला को उत्पीड़ित किया जा रहा है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आज ही रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं सदन के उठने के पहले मैं सदन में रख दूंगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं मा0 मंत्री जी बतायें क्या मेरा आपराधिक इतिहास है ? सदन को, मेरे ऊपर एक भी आपराधिक धारा लगी हो तो बतायें ?

श्री अध्यक्ष-

कल जो आपने अपना विषय उठाया था व्यक्तिगत उसमें रिपोर्ट मंगाई जाएगी। क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, इनके पास सूचना आई ही नहीं है। अगर इनके अधिकारी सूचना भेजना चाहते तो इतना समय था अब तक वह सूचना आ सकती थी। यदि सूचना भेजने की यही गति रहेगी तो इस प्रदेश को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। छोटी सी सूचना आपको गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से मंगानी थी वह सूचना अब तक नहीं आ सकी यह शर्म का विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

आप ही बतायें मेरा कोई आपराधिक इतिहास रहा है।

श्री अध्यक्ष-

श्री लालजी यादव जी आप बैठ जाएं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, दो बजे तक का सदन है अभी हाउस खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आप सुनने को तैयार नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है जिस बारे में इन्होंने आश्वस्त किया था कि माननीय फातिमा जी के बारे में जो भी आपराधिक इतिहास है या मुकदमा कायम है जो भी वस्तुस्थिति है उसकी जानकारी इन्होंने कहा कि सदन में देंगे।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

हम तो कह रहे हैं कि हमारा आपराधिक इतिहास है तो बतायें। मेरा अपमान किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जो जानकारी होगी वह दे दूंगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

अभी तक इसकी सूचना आ जानी चाहिए थी लेकिन सूचना नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष-

आप सुनने को तैयार नहीं हैं आखिर आप चाहती क्या हैं ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि मुकदमा खारिज किया जाए एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

जब सरकार कुछ कहती है और आप सहमत न हों तब आप अपनी बात कहें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

सरकार कहे तो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

थोड़ी बात गम्भीर तो है कल से अब तक ? एक जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट न भेजें, 1.25 होने जा रहे हैं जैसा माननीय सदस्या ने कहा दो बजे तक का सदन है अब उनकी कैसे जानकारी है मैं नहीं जानता लेकिन उठते-उठते अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सूचना देकर चले जायेंगे तो जिज्ञासा रह जाएगी और बात अपनी नहीं कही जा सकेगी। तो अगर पहले बता दिया जाए यह सरकार के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है टेलीफोनिक टॉक पर सब मालूमात हो सकती है और हो सकता है पता भी हो तो इसको बता देने में कोई परेशानी नहीं है। 7-लॉ क्रिमिनल एक्ट उस पर लगता है जिसका कोई आपराधिक इतिहास हो तो मालूम हो जाए। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में मालूम हो जाए कि हमारी पार्टी में भी ऐसी क्रिमिनल महिला हैं, हमारी भी जानकारी बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गई। ओम प्रकाश जी, आप बोलें।

बिना किसी संगीन जुर्म के मामूली आरोपों में प्रदेश की जेलों में 35-40 वर्षों के लम्बी अवधि से बन्द कैदियों की रिहाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, मेरी बात तो अभी आधी अधूरी ही है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो बैठ गये थे ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं तो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था, मेरा सिर्फ यह कहना है कि विधायी शक्ति, भारत के संविधान ने इस सदन को दी है जिसके तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर

सकते हैं। मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि जिस अपराध की सजा 3 साल, 5 साल, 6 साल हो, उस दोष के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम उतनी ही सजा हो सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति 40 साल से, 30 साल से जेल में हो, 25 साल से जेल में हो, यह उचित नहीं है। मान्यवर, जो उन्नाव का उदाहरण मैंने दिया है वह व्यक्ति 44 साल से जेल में है तो यह इस सदन की विधायी शक्ति के विरुद्ध है। वह सी0आर0पी0सी0 में संशोधन कर सकता है। आप शासन को निर्देश दे दें कि वह अपनी जेलों को दिखलवा ले और जो 20 साल या 14 साल से ज्यादा समय से जेल में बन्द हों, उन पर पुनर्विचार कर ले और जो 14 साल से ज्यादा समय से बन्द हैं उनको जमानत पर छोड़ने के लिए भी सरकार पहल करे।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर जिसकी सजा 3 साल, 2 साल की है, कानून में और 25 साल से जेल में है, उसको दिखवा लीजिए।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आपका जो आदेश, मान्यवर। आपका आदेश शिरोधार्य।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा द्वारा उनके ऊपर लगाये गये दण्डनीय आरोपों की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत कराने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं आपसे विनती कर रही हूं। अब तो वह सूचना आप सदन को दे दीजिए।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सूचना देने का एक समय होता है, पहले नियम-301 फिर औचित्य के प्रश्न, सदन के पटल पर रखने वाले कार्य, फिर मंत्रियों के वक्तव्य आते हैं, अभी वह अवसर ही नहीं आया है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, इसका अर्थ यह है कि आपके पास सूचना है लेकिन आप सदन को देना नहीं चाहते हैं। जब सदन उठेगा, तब सूचना देंगे ? यदि मेरा कोई आपराधिक इतिहास है तो बतायें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इनसे विनती कर रही हूं। यह मेरा हिस्ट्रीशीट नम्बर बता दें। इतनी छोटी सी सूचना यदि प्रदेश सरकार को 24 घण्टे के भीतर भी नहीं मिल पाती है तो आप क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो नियमों की अनेदखी करना हुआ। सदन को सरकार की तरफ से सूचना देने का एक समय होता है, वह समय आने पर मैं सूचना दे दूंगा। मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं सूचना दे दूंगा और समय के अनुसार ही सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी, यह आपका व्यक्तिगत मसला है, इसलिए हम समय दे रहे हैं, जो सूचना है, उसे आप सुन लें उसके बाद कहें।

गंगा एक्सप्रेस हाई-वे योजना के अन्तर्गत पचासों हजार एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा विस्तार से चर्चा कराने की मांग

श्री अध्यक्ष-

श्री ओम प्रकाश जी, आप अपनी बात कहें।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी है लेकिन समयाभाव के कारण और आज अन्तिम दिन है, इसलिए संज्ञान में लाना चाहता हूं। अत्यन्त जनहित का प्रश्न है। मान्यवर, शासन ने गंगा एक्सप्रेस हाई-वे की योजना घोषित किया है, हम उम्मीद करते थे और सदन का यह अधिकार है कि सदन को विश्वास में लिया जायेगा और 3 दिन के अन्दर पूरी योजना सदन के समक्ष रखी जायेगी।

मान्यवर, लेकिन ऐसा न होने पर हमने चर्चा की मांग की है। मान्यवर, गंगा नदी के किनारे यह जो गंगा एक्सप्रेस हाई-वे जिसकी लम्बाई 1000 कि0मी0 है बनाया जाएगा इसमें मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रदेश की पचासों हजार एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि जो कि 2 फसली और 3 फसली है, इसमें जाएगी। इसमें हजारों किसान भूमिहीन और बेरोजगार हो जायेंगे। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि इस हाई-वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। जबकि पिछली केन्द्र सरकार ने फैसला किया था कि जी0टी0 रोड को 6 लेन का एक्सप्रेस हाई-वे बनाया जाये और वह बन रहा है और इस समय जबकि प्रदेश का कृषि उत्पादन स्थिर है, खाने वाले बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और आंकड़े बताते हैं कि अगर आबादी इसी प्रकार बढ़ती रही और कृषि योग्य भूमि घटती गयी और कृषि उत्पादन स्थिर रहा तो 2020 तक यह गंगा जमुना का मैदानी भाग कृषि के मामले में अभावग्रस्त हो जाएगा और खाने के लिए बाहर से अनाज मंगाना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब बहुत आवश्यक हो तभी 2 फसली कृषि भूमि किसी कार्य में ली जाये अन्यथा न ली जाये। मान्यवर, यह जो गंगा एक्सप्रेस हाई-वे गंगा किनारे बना रहे हैं इससे सबसे बड़ा संकट यह पैदा होगा कि गंगा नदी जो कि आज वैसे ही प्रदूषित है उसका और प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि इस एक्सप्रेस हाई-वे के किनारे भी आबादी बढ़ेगी। इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और मैं यह चाहूंगा कि इस सदन को बताया जाये कि इस गंगा एक्सप्रेस हाई-वे की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या उपयोगिता है। इसमें जो कृषि भूमि जा रही है और इससे जो किसानों को क्षति होगी उसकी तुलना में जो निर्माण हो रहा है उसमें लाभ है कि नहीं है। अन्यथा इससे किसानों में बड़ा रोष है। यह भी चर्चा है कि इससे ट्रेडर्स को लाभ होगा तो क्या यह योजना अमीरों को और अमीर बनाने के लिए है। इसलिए मेरा कहना है कि इस पर पूरे सदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को विश्वास में लिया जाये, इसलिए इस पर चर्चा करानी चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात बहुत ही लोक महत्व की है।

लोक लेखा समिति के 16वें प्रतिवेदन में आवास विकास विभाग में करोड़ों रुपये के हुये गबन के प्रकरण को उठाने का प्रयास

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, लोक लेखा समिति ने 16वें प्रतिवेदन में आवास विकास विभाग में 4 करोड़ 81 लाख रुपये के गबन का मामला प्रस्तुत किया है। उसमें दोषी अधिकारी रिटायर हो गये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक बार में कितने विषय लिये जायेंगे ? ओम प्रकाश सिंह जी एक मिनट बैठ जाएं। मान्यवर, माननीय ओम प्रकाश जी वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अगर वह अधिकारी रिटायर हो गये हैं तो क्या उससे वसूली नहीं की जायेगी। तो मेरा कहना है कि इस पर आवास विकास मंत्री जी कार्यवाही करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं। किन नियमों के तहत सदन को सूचना दी जाती है उनसे वह भिज्ञ हैं। अभी आपने नियम-300, नियम-301 का निस्तारण किया। उसके बाद आप कार्यसूची लेंगे। तो उसमें वह इस बात को रख सकते थे। अगर एक विषय नियम-56 में लेना है तो उसमें एक विषय ही लिया जा सकता है। अब एक विषय के साथ कई विषय मेल करा के और उसको रखना चाहें और रख कर यह चाहें कि सरकार उसका उत्तर दे यह कैसे सम्भव हो सकता है मान्यवर, इसलिए मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि उस नियमों के अनुसार ही चलने दें चूंकि आज आपको भी अपने कुछ कार्यों के लिए जल्दी यहां सदन से जाना है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें सभी माननीय सदस्य अपना सहयोग करें जिससे जल्द से जल्द आज की जो कार्यवाही है उसका निस्तारण कराया जा सके। मैं इसमें माननीय सदस्यों से विशेषकर माननीय नेता भाजपा से मैं निवेदन करूंगा कि वह सहयोग करने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह मेरे छोटे भाई की तरह हैं और बड़े प्यारे हैं यह बहुत यशस्वी हों, मैं आपकी अनुमति से बोला और बड़ी धैर्य से बैठा था अब आपकी अनुमति पर भी चुनौती दी जायेगी मान्यवर, और मैंने तो कोई प्रश्न का उत्तर तो मांगा नहीं, मैं केवल यह बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता था।

श्री अध्यक्ष-

हां आप केवल सदन के संज्ञान में लाना चाहते थे संज्ञान में ला दीजिए।

(कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने उसका कोई उत्तर तो मांगा नहीं। लेकिन मान्यवर, एक बात खटकती है हमें यह जो अध्यक्ष की पीठ पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बार-बार नियंत्रण करना चाहते हैं, इस पर नियंत्रण न लगने दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

नियंत्रण नहीं, यह तो सहयोग कर रहे हैं। अब कुछ नहीं। मैं अगली मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपसे एक और निवेदन है। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक. 2007 को विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक-आध बार ऐसा हो तो ठीक है, लेकिन रोज-रोज यह प्रक्रिया स्थापित हो कि उसी दिन पेश हो, अपवाद स्वरूप यह विधान है। आप एक दिन का सत्र बढ़ा दीजिए। हम इस पर भी

---

† दिनांक 6-12-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है

सहमत हैं. कल सत्र बढ़ा दीजिए. कल चर्चा कर लीजिए। सारे विपक्ष का अधिकार बार-बार हनन मत कीजिए मान्यवर। पेश कर लीजिए ठीक है लेकिन आज ही पास कर लें फिर आप कहेंगे कि विधान परिषद् में हमें पास कराना है आज ही वहां दबाव पड़े। आप एक दिन का सत्र बढ़ा दीजिए, कौन आपत्ति है। कल रुकना ही है सभी को, माननीय अध्यक्ष जी के यहां भोज करने के लिए तो अच्छा हो जायेगा और काम भी हो जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसीलिए नहीं सम्भव है कि कल आपके यहां सबको भोज के लिए जाना है आपके यहां दावत है। इसमें आप सब लोगों को शामिल होना है, तो इसलिए मान्यवर, कल के लिए तो आप को स्वतंत्र रखा जाय, अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए आपको अवसर दें यह मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, कल 11 बजे से 12 बजे तक कर लीजिए, उसके बाद छुट्टी, प्रश्न प्रहर मत कीजिए। केवल इसी विधेयक पर कल चर्चा हो। बाकी लोगों से आप पूछ लीजिए अगर सब लोग सहमत हों।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अनुरोध है कि आज ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 को विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को नियम-311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया जाय। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्रीमती कृष्णा राज की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा-2005 का परिणाम न घोषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अग्राह्य की जाती है। दूसरी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की प्रदेश में धान खरीद का कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अग्राह्य की जाती है। तीसरी सूचना श्री डी0पी0 यादव की

जनपद-बदायूं में पुलिस के संरक्षण में महिलाओं पर हो रहे लगातार उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अग्राह्य की जाती है। चौथी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जिला सहकारी बैंक सिद्धार्थनगर में किसान खाता धारकों को अपना पैसा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना चौ0 सत्यपाल सिंह, श्री पूरन प्रकाश व श्री कादिर राणा जी की जनपद-मथुरा की तहसील-मांट के तहसीलदार द्वारा वर्ष 2003-04 में फर्जी अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश में गिद्ध पक्षी के विलुप्त होने के कारण पर्यावरण पर पड रहे प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री मदन चौहान जी की जनपद-गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत किसानों की जमीन के मुआवजे की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राम किशुन जी की पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी के शताब्दी समारोह योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

इसी प्रकार से श्री पंकज कुमार, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव तथा चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर, श्री वारिस अली खां की सूचनाओं पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं। श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री राजाराम त्यागी, हाजी जमीरउल्ला खां, श्री लालजी यादव, श्री रामपाल राजवंशी, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, डा0 अजय तोमर, श्री अशोक कुमार कंसल, डा0 राधामोहनदास अग्रवाल, श्री इमरान मसूद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री दशरथ प्रसाद चौहान, श्री जोखू लाल यादव, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री अनूप सण्डा, श्री कृष्णगोपाल पटेल, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री सतीश महाना, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री प्रमोद तिवारी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री माधो पासवान, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर, श्री वारिश अली खां (नियम-311 में प्राप्त) डा0 अनिल चौधरी, श्री कौकब हमीद, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री सुन्दर सिंह, श्री ओम प्रकाश सिंह व श्री सुन्दर सिंह।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामले से सम्बन्धित सूचना है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपने कल आश्वस्त किया था सुन्दर सिंह जी की सूचना को लेने के सम्बन्ध में। यह बुलन्दशहर में प्रिंसिपल की हत्या से सम्बन्धित मामला है। पूरे मेरठ क्षेत्र के कालेज बंद है वहां रोष व्याप्त है। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव है।

(कई सदस्यों द्वारा सूचना लिये जाने की मांग करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप लोग बैठ जायें। हम जल्दी-जल्दी करायेंगे दो-दो मिनट में सुन लेंगे। जोखू यादव जी आप बैठ जायें मैं दिखवा लूंगा।

श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, यह विषय उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से सम्बन्धित है। मान्यवर, एक तरफ तो प्रदेश सरकार कहती है कि विभागों में तमाम अधिकारियों की कमी के कारण हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं और कार्यक्रमों तथा योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2005 की मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल लम्बित है। ऐसे में उन तमाम बेरोजगार नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है जो नौकरी पाने के लिए इस परीक्षा में बैठे थे। मान्यवर, इस विषय के माध्यम से यह पूरा सदन जानकारी चाहेगा कि यह सरकार प्रदेश के उन नौजवान बेरोजागारों को न्याय देने में कौन सी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस तरह से परीक्षाफलों को लम्बित रख कर के आज तमाम प्रदेश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी तरफ जिन परीक्षाओं के साक्षात्कार वर्ष 2006 और 2007 में हुए थे उनके परिणाम लम्बित पड़े हुए हैं। ऐसे में सदन को यह बताया जाय कि उनके परीक्षाफल क्यों नहीं निकल रहे हैं। यह संयुक्त अवर अधीनस्थ आयोग द्वारा परीक्षायें ली गयी थीं। यह पूरे प्रदेश के नौजवानों के सम्बन्ध में कोई छोटी सी त्रूटि नहीं है। यह इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और साथ में यह भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि 5-6 महीने पहले स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पदों के लिये और कर निरीक्षक के पदों के लिये साक्षात्कार हुआ था किन्तु अभी तक सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उनका परिणाम नहीं मिल पाया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। उनसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी ओर से इस सरकार की ओर से, इन छात्र-छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके विषय में कोई योजना लायें ताकि उनको रोजगार मिल सके और इनके परिणाम न निकलने के क्या कारण हैं उससे इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को अवगत करायें।

मान्यवर, दूसरा इसी से सम्बन्धित मैं संयुक्त अवर अधीनस्थ परीक्षा के सम्बन्ध में बताना चाहूंगी कि वर्ष 2004-05 में तमाम ऐसे लाखों बेरोजगारों ने परीक्षा के लिए अपना एक फार्म भरा था जिसका आज तक वर्ष 2007 बीतने जा रहा है कोई भी उन नौजवानों को उनके उस फार्म के बारे में जो अभ्यर्थी वह बने थे उनके बारे में कोई भी सूचना सरकार की ओर से या आयोग की ओर से अवगत नहीं हो पाई है। ऐसे में उन तमाम अभ्यर्थियों के जो ड्राफ्ट, चेक जमा हुए जो फीस जमा होती है वह करोड़ों की संख्या में जाती है, ऐसे में आयोग है वह चुप है मौन है तो ऐसे के लिए सरकार ने कोई कठोर कदम उठाये हैं या ऐसी कोई नीति अपनाई है जिससे उन तमाम लोगों को न्याय मिल सके और उनका जो इस प्रदेश के नौजवान हैं उनका हौसला बढ़ सके। एक चीज और बताना चाहूंगी कि पूर्व में हमारे प्रदेश की सरकार ने पिकप भवन में एक आयोग का अलग से गठन किया था जिसकी

वजह से उन बेरोजगार नौजवानों की पूरी सूचना उपलब्ध हो जाया करती थी। लेकिन आज वह भी आयोग हटा दिया गया है ऐसे में वर्तमान सरकार क्या कर रही है कि उन नौजवानों को जिन्होंने अपना धन व्यय किया है, समय व्यय किया है और ऐसी कगार पर पहुंच गये हैं वह लोग कि वर्ष 2004 से आज की उनकी स्थिति यह बन रही है कि उनकी आयु सीमा भी समाप्त हो रही है। इससे घोर निराशा उनमें व्याप्त हो रही है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगी कि ऐसे तमाम लोगों के साथ न्याय हो। मैं यह भी चाहूंगी कि वृहद रूप से इस पर चर्चा हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारी लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां होती हैं किसी जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण और नियमित ढंग से हुआ करती थी आज कौन सी वजह है कि जितनी भी नौकरियां हैं चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे प्रारम्भिक परीक्षा हो, चाहे वह साक्षात्कार के बाद हो, आज सारा वह कोर्ट के हवाले हो जा रहा है और हम यह कहकर बच जाते हैं कि सारी परीक्षाएं सुप्रीमकोर्ट, हाईकोर्ट के हवाले हो गयी हैं। मान्यवर, मैं यह जानना और बताना चाहूंगी जो हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे चाहूंगी कि कोई न कोई योजना जरूर लावें कि ऐसी स्थिति उन लोगों का भविष्य अंधकारमय न हो और कोर्ट की परिधि में न आकर के ऐसे नौजवानों को ऐसे तमाम लोगों को न्याय मिल सके। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि जिन अभ्यर्थियों का वह करोड़ों का धन 2004-05 का गया है आयोग के पास वह आयोग कुछ सूचना देगा, कुछ उन छात्र-छात्राओं को न्याय देने का प्राविधान भविष्य में होगा। मैं इस विषय पर सामूहिक सदन में चर्चा चाहूंगी। इतना कहते हुए आपको धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वयं न्यायालय का हवाला दिया जो विषय मान्यवर, लाये हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा संबंधी एक विशेष अनुज्ञा याचिका में स्केलिंग के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग द्वारा एक समिति का गठन कर नवीन स्केलिंग पद्धति तैयार की गयी है। उक्त पद्धति पर अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हो पाया है। इसी प्रकार विभिन्न चयन वर्षों सम्बन्धित परीक्षाओं में आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हो पाये हैं। जैसे ही उपयुक्त दोनों बिन्दुओं पर निर्णय हो जायेगा। पी0सी0एस0 परीक्षा 2005 का अन्तिम परिणाम एवं पी0सी0एस0 परीक्षा 2006 व 2007 की मुख्य परीक्षायें आयोजित कराई जायेंगी। मान्यवर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा चयन परिणाम घोषित करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित कर दिया गया है। कर निरीक्षक परीक्षा का परिणाम तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अर्धानस्थ सेवा चयन आयोग विघटित कर दिये जाने के उपरान्त जिन पदों को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की परिधि में दिया गया है से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को चयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। अन्य पदों के आवेदन प्रपत्रों को सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों को चयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट है कि कतिपय परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगन आदेश बाधक हैं। अन्य

परीक्षाओं का चयन परिणाम घोषित करने एवं चयन कार्यवाही सम्पादित करने हेतु लोक सेवा आयोग तत्परता से कार्यवाही कर रहा है।

श्रीमती कृष्णा राज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले ही बता चुकी हूं कि किन कारणों से यह दिक्कत है।

श्री लालजी वर्मा-

कोर्ट में तो सरकार हस्तक्षेप कर नहीं सकती। जहां तक यह कार्य स्थगन का विषय है यह तात्कालिक नहीं है, अविलम्बनीय नहीं है इसलिये नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीया कृष्णा राज जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना इसी विषय पर है ध्यानाकर्षण के लिये 301 में है। वह स्वीकृत हो गयी है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, यह कार्मिक विभाग कब तक अनुमोदन देगा, जिससे इन बच्चों की परीक्षा का परिणाम आये, मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दिलवा दीजिये। यह स्केलिंग पद्धति जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है उसके जेड स्केलिंग का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपके यहां भेजा है। आप इसको कब तक करा देंगे, आप इसको जल्दी करा दीजिये।

* श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने नियम-56 की मेरी सूचना स्वीकार की। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में वर्तमान समय में धान की खरीद सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से होना है। परन्तु वर्तमान सरकार की लचर कार्य प्रणाली के कारण खरीद केन्द्रों पर न तो कोई अधिकारी तैनात किये गये हैं और न ही धान खरीद का कार्य किया जा रहा है। जनपद बलरामपुर और गोण्डा में सहकारी समितियां पूरी तरह से बैठी हुयी है, एक भी कार्य उनके द्वारा संचालित नहीं हो रहा है। क्रय केन्द्रों पर अभी तक किसानों के लिये पूरे उत्तर प्रदेश में धान खरीद की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है। किसान अपना धान औने-पौने भाव बड़े-बड़े आढ़तियों को बेचने पर मजबूर है। किसानों की दशा पहले से बहुत खराब है जैसा कि पहले भी सदन में चर्चा हुयी है, किसान को खाद नहीं मिल रही है बीज नहीं मिल रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश का किसान अपना धान नहीं बेच पायेगा तो उसका अहित होगा। अब जब बुवाई का समय चल रहा है अगर उत्तर प्रदेश का किसान अपना धान बेचता, गन्ने की बात आ ही गयी है, गन्ने का क्या हाल है, पुराना पैसा भी नहीं मिल रहा है। गन्ने का भाव भी कम कर दिया गया है। इसलिये उत्तर प्रदेश का किसान बहुत ही पीड़ित और दुखी है। अतः इस गम्भीर अति लोक महत्व के विषय को मैं सदन के संज्ञान में लाकर इस पर पूर्ण कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग करता हूं और कल माननीय वरिष्ठ मंत्री जी ने एक शेर सुनाया था, मैं भी एक शेर आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं :-

सुकूं की धूमें मचाने वालों यह हर तरफ इंतशार क्यों हैं,
और बरस चुकी है अगर घटायें तो खलां नगर गुबार क्यों हैं ?

मान्यवर, आपने मुझे सुना, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 में कृषकों से धान की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान क्रय की व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 से पूरे प्रदेश में प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान के समर्थन मूल्य कामन रु0 645/-एवं ग्रेड-ए रुपये 675/-के अतिरिक्त किसानों को रु0 100/-प्रति कुन्तल बोनस भी प्रदान किया गया है। प्रदेश में धान क्रय हेतु खाद्य विभाग की विपणन शाखा, उ0 प्र0 सहकारी संघ, पी0सी0एफ0, यू0पी एग्रो, उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम तथा उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ, धान खरीद हेतु राज्य सरकार की एजेन्सी नामित की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम एवं नेफेड द्वारा भी राज्य में कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। प्रदेश में खाद्य विभाग एवं उसकी एजेन्सियों द्वारा कुल 1843 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिनका कार्यकारी लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 148 क्रय केन्द्रों पर खरीद की जा रही है और उनके द्वारा 8 लाख मीट्रिक टन का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 तक कुल 1 लाख 80 हजार 677 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें 1 लाख 18 हजार 512 मीट्रिक टन खाद्य विभाग एवं उसकी एजेन्सियों द्वारा एवं 62 हजार 165 मीट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय किया गया है। प्रदेश में गोण्डा जनपद में खाद्य विभाग एवं उनकी एजेन्सियों के 38 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिनमें दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 तक कुल 224 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, इसी प्रकार जनपद बलरामपुर में कुल 21 केन्द्र खाद्य विभाग एवं उनकी एजेन्सियों द्वारा स्थापित किये गये हैं। जिनमें 233 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। प्रदेश में धान की खरीद का कार्य प्रगति पर है, मान्यवर, वर्तमान में कमीशन एजेन्ट के माध्यम से भी धान की खरीद प्रारम्भ हो गई है, इसलिए कृषकों को अपना धान बेचने में कोई कठिनाई नहीं

हो रही है। मान्यवर, यह सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्यवाही धान की खरीद के लिए की गई है। अगर कहीं पर भी जो निर्धारित लक्ष्य स्थापित किये गये हैं या जो विपणन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, अगर कहीं पर भी उनमें कोई शिकायत अलग से होगी तो मा0 सदस्य उससे अवगत करायेंगे, उसकी जांच करायी जाएगी और जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। किसी भी दशा में किसानों की अनदेखी नहीं की जायेगी। उनके धान के विक्रय के लिए कोई समस्या नहीं है और न होने पायेगी। मान्यवर, चूंकि कार्य-स्थगन के रूप में यह ग्राह्य नहीं है इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री आरिफ अनवर हाशमी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, सहकारी समितियां गोण्डा और बहराइच में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, इसलिए हम सरकार का आश्वासन चाहते हैं और इस पर व्यापक चर्चा की मांग करते हैं। मान्यवर, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है इसलिए इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज सभी मा0 सदस्यों की इच्छा है कि सदन जल्दी उठे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक सूचना सुन्दर सिंह की बुलन्दशहर की है, कल आपने कहा था कि आज ले लेंगे। इसीलिए हमने आपके आश्वासन पर संशोधित करके नोटिस भिजवाया है और अपने हस्ताक्षर भी किये हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 सदस्या बार-बार सुबह से खड़ी हो रही है और जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आज उन्हें अवगत करा दूंगा तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सूचना दे दूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो नियम-56 चल ही रहा है, मैंने कल यही कहा था कि ठीक है पहले चयनित सूचनाएं हो जाएं, जब कह दिया गया तो एक मिनट सुन लिया जायेगा फिर भी आप जल्दी कर रहे हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, सहकारी समिति पर यहां चर्चा करा लें और निर्देश दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां भी माननीय सदस्य बतायें, जानकारी दे दें कि इन-इन जगहों पर क्रय केन्द्र संचालित नहीं हुये हैं। मैं निश्चित रूप से कार्यवाही कराऊंगा और जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

श्री डी0पी0 यादव जी का व्यक्तिगत मामला है, वह अपनी बात रखें।

श्री डी0पी0 यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। बहुत ही लोकमहत्व एवं गम्भीर बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, जनपद बदायूं में पुलिस उत्पीड़न की कहानी अब पानी जब सिर से ऊपर गुजरने लगा तो मुझे आपकी शरण में आकर अनुरोध करना पड़ा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस का उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुंच गया है। मैं भी उसी जनपद से चुनकर आया हूं। विगत दिनों की समाजवादी सरकार में अविश्वास करके जो बी0एस0पी0 की बहुमत की सरकार बनी, प्रदेश के लोगों ने विश्वास किया, मुझे भी बेइन्तहा बहुत खुशी हुई नई सरकार, बहुमत की सरकार बनने पर। लेकिन धीरे-धीरे यह विश्वास टूटता चला जा रहा है। मैं महज बानगी के रूप में कुछ दृष्टांत रखना चाहता हूं। ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि सदन का वक्त बहुत कीमती है और उपवेशन का आखिरी दिन भी है। कहना यह चाहता हूं कि 01 दिसम्बर, 07 की घटना है, पुलिस के सी0ओ0 गुन्नौर, जनपद बदायूं के फरीदपुर गांव में सुबह 4.00 बजे पहुंचते हैं, राकेश नाम के व्यक्ति को पूछने के लिए। जब राकेश घर पर नहीं मिलता है तो उसकी बीबी को उठा लिया जाता है। मैं भी जनता की मेहरबानी से यहां से लेकर दिल्ली तक प्रत्येक सदन का सदस्य रहा हूं लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। महिला को उठा लिया जाता है, महिला अपने को छुड़ाने के लिए छटपटाती है तभी उसकी धोती खुल जाती है, उस महिला को सर्दी के वक्त में महज पेटीकोट और ब्लाउज दो कपड़ों में पूरे गांव में घुमाकर बेइज्जत किया जाता है। श्रीमती श्याम बेटी यादव महिला का नाम है। पुलिस उपाधीक्षक स्वयं वहां पर मौजूद थे। ऐसे वक्त में जब प्रदेश की मुख्य मंत्री एक महिला हो, वह महिला जिन्होंने गरीबी और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिये अपने तमाम कार्यक्रम दिये हैं। मुझे अफसोस होता है कि यह महज पहली घटना नहीं है। उसी के आगे थाना इस्लामनगर, जनपद-बदायूं का किस्सा है। एक गरीब की बेटी अनीता पाल, उम्र 18 वर्ष को तथाकथित नेता और उसका भाई घर से गाड़ी से उठाकर ले जाते हैं, मैं राजनैतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता और 15 दिनों तक बलात्कार किया जाता है। टी0वी0 चैनल आई0बी0एन0-7 में भी यह खबर प्रसारित हुई थी। बड़े नेता जी बच गये क्योंकि उनकी पहुंच है। उस बेचारी लड़की के साथ लगातार बलात्कार किया गया। उसके बाद थाना-इस्लामनगर का दरोगा उस लड़की के बाप के पास पहुंचता है और उसे डराता-धमकाता है वह डर के मारे पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदारी में शरण लेता है। डर की वजह से आज भी वह परिवार अपने घर पर नहीं पहुंच पाया है।

दूसरी घटना अनिता पाल जिसके साथ लगातार 15 दिनों तक बलात्कार किया गया उसमें नामजद रिपोर्ट श्री लोकेन्द्र शर्मा के नाम से की गई लेकिन वह व्यक्ति खुले आम घूम रहा है। थाने जाता है, पुलिस कप्तान से मिलता है, एडीशनल एस0पी0 जिसके संरक्षक हैं आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। मैं बड़े दुख और भरे हुए मन से आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं सभी पुलिस वालों की बुराई नहीं कर रहा हूं कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन जनपद बदायूं जहां से मुझे चुनकर भेजा गया है वहां पर मुझे लगता है कि जनता ने मुझे पुलिस की ज्यादती के खिलाफ ही लड़ने के लिये भेजा है। पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमें लिखाये हैं चाहे इनकी जांच करवा लें अगर वह झूठ न निकले तो आप जो कुछ कहेंगे मैं मानने के लिये तैयार रहूंगा। गाजियाबाद की पुलिस ने मेरे खिलाफ दो महीने के अन्दर पांच एफ0आई0आर0 बेवजह दर्ज की है एक व्यक्ति जो चार साल पहले किसी मुकदमें में गवाही दे चुका है एक पेशेवर दलाल पुलिस की दलाली करता है जिसका नाम अजय कटारा है आधारहीन और झूटी तथ्यों के आधार पर 4 एफ0आई0आर0 दर्ज करा चुका है। इस सम्बन्ध में मैं डी0जी0पी0 साहब से. आई0जी0मेरठ से, डी0आई0जी0, एस0एस0पी0 से मिल चुका हूं उन्होंने भी माना कि यह एफ0आई0आर0 आधारहीन है आपके खिलाफ आरोप नहीं बनता है लेकिन उस व्यक्ति जिसका नाम अजय कटारा है के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मेरी मांग है कि इन तथ्यों की जांच करा ली जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। विधायक के खिलाफ जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह से बेवजह आधारहीन तथ्यहीन और झूठे मुकदमें दर्ज हो सकते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि बदायूं की पुलिस ठीक ही कर रही है। जनपद बदायूं की 4 दिसम्बर की घटना है कुमारी चन्द्रावती पुत्री महिपाल जाटव थाना फेजगंज बेहटा बदायूं की रहने वाली है मेरी पत्नी वहीं बिसौली विधान सभा इसी क्षेत्र से विधायक है चन्द्रावती के गांव में जाटव लड़की के साथ रेप किया जाता है इसकी तहरीर नामजद दी जाती है लेकिन आज तक एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई। दरोगा ने मारपीट कर घरवालों को वापस भगा दिया। दूसरे पुलिस स्टेशन बिसौली बदायूं के ओम प्रकाश मीना की 14. अगस्त को हत्या हुई 19 अगस्त को धारा 302 की जगह 304 में रिपोर्ट दर्ज की गई। यह 27 अगस्त की बात है पुलिस स्टेशन सहसवान बदायूं के धर्मेन्द्र यादव पुत्र रोहन यादव उम्र 11 वर्ष को मारकर उसकी आंखे निकाल ली गई लाश कुएं में फेंक दी गई लाश बरामद लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। थाना सहसवान गांव नगला-सोई, प्रजापति जाति की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप होता है कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है कोतवाल लड़की के बाप को लाठी से मारकर भगा देता है और कहता है कि इसकी शादी कर दो बाद में एस0ओ0 ने उसकी जबरन शादी कराकर उसको बाहर भेज दिया इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। दूसरा अपराध संख्या-329/504/552 अपराध संख्या 666/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुल्जिम रामचन्द्र गिरफ्तार किया जाता है और एडीशनल एस0पी0 आर0ए0बी0एन0 तिवारी के कहने पर एस0ओ0 को धमका कर उसे छुड़ा दिया जाता है। यह जी0डी0 पर तफ्सरा दर्ज है। इस समय जो सरकार है उसको शोषित और पीड़ित जनता ने बहुमत देकर सरकार बनवाई है। मैं केवल यहां पर भाषण देने के लिये बातें नहीं कह रहा हूं। बल्कि सच्चाई उजागर हो यह चाहता हूं।

वक्त की बात है। मान्यवर, नंगला थाना मुजरिया मेरी कान्स्टीट्वेंसी का सवाल है। कुमारी महिमा की हत्या होती है और उसके माता पिता, परिवार के लोग, रिश्तेदार थानें में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने पहुंचते हैं और मान्यवर, आज तक जिस वक्त मैं बोल रहा हूं कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई है। मान्यवर, यह तमाम और भी इस तरह की घटनायें हैं लेकिन मैं आज ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन मेरा कहना है कि पुलिस जो उत्पीड़न की कार्यवाही कर रही है उस पर कुछ लगाम लगे। मैं तो सोचता था जब मैं चुनकर आया था कि ज्यादा बड़ा कम्पटीशन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में है। कभी कोई बात हुई भी तो समाजवादी पार्टी ने इनके लोगों को तंग किया होगा इनके खिलाफ मुकदमें बनवाये होंगें तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों के ही तंग करने का काम करेंगे लेकिन मान्यवर, यह तो बेवजह की कार्यवाही हो रही है। हम तो तीन में है ना तेरह में हैं। हमारी छोटी सी पार्टी है जिसमें दो लोग चुनकर के दो और दो लोग हमारे समर्थन से लोग। हम तो कुल इतने ही लोग हैं। हम तो कोशिश करते हैं केवल प्रदेश की गरीब जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको यहां सदन पर उठाने का कार्य करते रहे हैं और चाहते हैं कि उनको न्याय मिल सके। लेकिन आवाज का अर्थ क्या है। मान्यवर, मैं गरीब जनता की आवाज यहां सदन में उठा रहा हूं और वहां प्लानिंग हो रही होगी कि डी0पी0 यादव क्षेत्र में पहुंचेगा तो पुलिस के पास तो ताकत है वह तो ऐसे लोग तैयार कर लेगी कि दो चार एफ0आई0आर0 डी0पी0 यादव के खिलाफ दर्ज कर दी जायं। जनपद गाजियाबाद इसकी मिसाल है। मैं कहना सिर्फ चाहता हूं कि अगर इस तरह से प्रताड़ित होने का रूप विधायक भी लेते रहे और बेवजह विधायकों के खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज होती रही। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेकर नहीं बोल रहा हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ज्यादातर ज्यादतियां में वही लोग इसके शिकार हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहिन कुमारी मायावती जी की सरकार को बनाया है। मैं जानता हूं कि बहिन मायावती जी भी चाहती हैं वास्तव में। मैंने सुना है और देखा है उनके विचारों को। वो चाहते हैं कि गरीबों का संरक्षण हो। दलित, शोषित लोग आगे बढ़ें लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उनके नीचे बैठे लोग पता नहीं क्या करते हैं। जानकारी है कि नहीं है। डी0जी0पी0 से लेकर एस0एस0पी0 तक सबसे मिला हूं और सबसे मैंने अपनी बात कही है। सबने आश्वासन दिया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

मान्यवर आप हमारे संरक्षक हैं, आपके सामने अपनी बात कहना और रखना मैं अपना फर्ज समझता हूं। ऐसी एक दो नहीं करीब 20 घटनायें इस तरह की हैं जिसमें एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई। मेरे हाथ में कागज है। आप कहें तो मैं आपको दे दूं। जो भी चाहें माननीय संसदीय कार्य मंत्री चाहें तो उनको, गृह सचिव चाहें, मुख्य सचिव चाहें, डी0जी0पी0 चाहें जो चाहें मैं उनको सारी सूचनायें उपलब्ध करा सकता हूं। यह सब मेरे पास है। आपसे मेरा निवेदन है कि मैं यहां पर जवाब जानने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने क्या जवाब भेजा होगा, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं चाहता हूं कि इसमें जांच हो। पुलिस की इस तरह से जबरदस्ती और पुलिस जो उत्पीड़न की कार्यवाही कर रही है वह बन्द हो जाय। यह बेलगाम पुलिस के कुछ अधिकारी जो महज छोटे-छोटे छुटभइये नेताओं के बल पर जगह-जगह जमे हुए हैं कोई 4 वर्षों से कोई 6 वर्षों

से। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर एक बात जरूर कह रहा हूं कि सुझाव के तौर पर कि इतने सारे नेता इकट्ठे हो गये हैं मैंने एक से पूछा बदायूं में कि क्यों भाई आप कैसे राज्य मंत्री हो जरा बताओ तो सही। गाड़ी आपके पास न ही तमगा आपके पास है, कोई सरकारी अमला आप पे नहीं कैसे कह रहे हैं कि हम राज्य मंत्री हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मान्यवर, ऐसे राज्य मंत्रियों की बाढ़ आ गई पूरे प्रदेश में और जो संरक्षण दे रहे हैं पुलिस की ज्यादतियों को तकलीफ को, जुर्म को। प्रताड़ित कर रहे हैं उन गरीब लोगों को जिन लोगों के बिनाह पर यह सरकार बनी है तो, मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसमें जवाब नहीं इसमें जांच का कोई आश्वासन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं। सदन का वक्त बेवजह खराब करने की बात डी0पी0 यादव ने आज तक सदन में कभी नहीं सोची। जो बोलता हूं आधार के साथ मैं बोलता हूं और जो बोला है उसमें सच्चाई है हकीकत है। यकीन मानिये मैं आपको और सदन को गुमराह करने के लिये कभी इस तरह की बात नहीं बोल सकता। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें जांच हो और सही जवाब और जो दोषी हैं चाहे वह आका है या पुलिस है, कोई भी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, डी0पी0 यादव जी ने कई मामलों को उठाया है। मैं उन्हें आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी मामले आप हमारे संज्ञान में लाये गये हैं इसकी जांच कराई जायेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, जहां तक इस सरकार का जो मत है और जैसा कि माननीय यादव जी ने भी स्वीकार किया है, बहिन मायावती जी, जो कि इस प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं उनकी चाहत है कि प्रदेश अन्याय, अत्याचार भय और आतंक समाप्त हों। अपराध समाप्त हो, अपराधी समाप्त हों और अपराध को समाप्त करने के लिये, नियम और कानून का पालन आवश्यक है। नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जो भी व्यक्ति चाहे वह अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, अगर अनावश्यक उत्पीड़न की कार्यवाही करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। क्योंकि इन्होंने कई घटनाओं को शामिल किया है इसलिये कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है। एक सुनिश्चित घटना का जिक्र होना चाहिये। इन्होंने कई जिलों का, कई घटनाओं का जिक्र किया है। फिर भी जिन बातों को संज्ञान में लाये हैं उनकी सबकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 डी0पी0 यादव और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

शुक्ला जी आप दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री लालजी वर्मा-

श्रीमन् मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक विधेयक अभी इस सदन में आया है। विधान परिषद् में भेजा जाना है। अगर सदन की और आपकी सहमति हो तो उसको पहले ले लें। उसके बाद चलता रहता और मैं सूचना दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सूचना दे दें। नियम-56 अभी चल रहा है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा, स0वि0स0 के ऊपर लगाये गये दण्डनीय आरोपों की विस्तृत जानकारी

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा-)

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14-11-2007 को थानाध्यक्ष, नोनहरा को सूचना मिली कि विधायिका, सदर, श्रीमती शादाब फातिमा अपने कुछ समर्थकों के साथ 13.00 बजे से 18.35 बजे तक अटवा मोड़ से कासिमाबाद जाने वाले मार्ग पर बैरीपुर थाना क्षेत्र नोनहरा से पहले विधि विरुद्ध जमाव करके धरने पर बैठी हैं। थानाध्यक्ष द्वारा मौके पर जाने पर पाया गया कि उनके साथ राजधारी यादव, राम अधार, राजेन्द्र यादव, अशोक यादव, जयहिन्द यादव, झम्मन यादव व 30-40 व्यक्ति नाम पता अज्ञात बीचो बीच सड़क पर विधि विरुद्ध जमाव कर आवागमन अवरुद्ध किये हुए थे, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को संकट उत्पन्न हो गया था। आवागमन अवरुद्ध करने के बारे में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि बबुर्रावन चट्टी के पास कुछ कास्तकारों के खेत से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा पी0डब्लू0डी0 के ठेकेदार श्री शकील द्वारा सड़क निर्माण के लिये मिट्टी निकालकर सड़क पर डाली जा रही थी।

इस संबंध में वादी श्री अनिल कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष, नौनहरा द्वारा श्रीमती शादाब फातिमा सहित उपर्युक्त 7 व्यक्तियों तथा 30-40 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0-1058/07 अन्तर्गत धारा 143/341/283 भा0दं0वि0 तथा 7 सी0एल0ए0 पंजीकृत कराया गया। अतिरिक्त सूचना जिले से प्राप्त की जा रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में और लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रकट करने के कुछ यही तरीके हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, बापू की तस्वीर जो आपके ऊपर लगी है वह भी यही दर्शाती है और यही संदेश भी रहा है उनका इसी रास्ते से देश भी आजाद हुआ है। सात समुन्दर पार के अंग्रेज को बापू ने लाठी के डर से बन्दूक या तोप के डर से नहीं भगाया था। इसी धरना, घेराव और डांडी मार्च के रास्ते से भगाया था। अगर यह मान भी लिया जाये कि माननीय सदस्या रास्ता अवरुद्ध करके बैठ गई थीं लेकिन 7 लॉ क्रिमिलन ऐक्ट बहुत गम्भीर धारा है। यह आपराधिक व्यक्तियों पर लगती है। मेरे ख्याल से यह सरकार के लिये बहुत शोभजनक नहीं है। बहुत इज्जत की बात नहीं है। एक ऐसी महिला जिसके खिलाफ कभी 323 का भी मुकदमा न हो उसके खिलाफ ऐसी आपराधिक धारा लगा दी जाये। वैसे तो सरकार को चलाने का यही तरीका है जिस तरह से डी0पी0 यादव जी ने सरकार के सामने वाकयात रखा है यह एक जिले का दर्द नहीं है हर जिले का दर्द है। अब तो हालत यह है ,कि चोर चोरी करते हैं डकैती करते हैं और जब घर से बाहर निकलते हैं खुद मेरे शहर में, एक लड़की का हाथ पकड़कर कहते हैं कि तू भी साथ चल माल का हिस्सा है। मान्यवर, 7 लॉ क्रिमिनल ऐक्ट एक बहुत ही संगीन धारा है और यह क्रिमिनल्स के खिलाफ

इस्तेमाल होती है। मेरे ख्याल से अच्छा होगा. एक उपलब्धि होगी, आपकी एक ऐसी धारा के लिये अधिकारियों से यह पूछें कि आखिर किस तरह धारायें लगाई जा रही हैं ? जब आपके खिलाफ ऐसी धारायें लगाई जा रही हैं जो प्रदेश में क्या नहीं हो रहा होगा ? त्राहि-त्राहि का आलम है, इसे आप रोकें और आप घोषणा करें कि इस धारा को वापस लेते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो भी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मान्यवर, अगर उसको सही माना जाये और मानना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा थानाध्यक्ष ने क्या कहा ? यही तो कहा है कि 12 बजे से लेकर 6 बजे तक धरने दिये बैठी रहीं। इसके अलावा तो आपने रिपोर्ट में कुछ पढ़ा नहीं है, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिये। मान्यवर, 12 बजे से 6 बजे तक बैठी रही माननीय सदस्या और अगर थानेदार को इत्तला नहीं हुई तो पहले तो ऐसे थानेदार को निलम्बित कर देना चाहिये, जो 6 घण्टे विधायक को बैठना पड़ा। दूसरा मान्यवर, यह आरोप नहीं लगाया है कि उन्होंने तोड़ फोड़ की। इस रिपोर्ट में यह भी आरोप नहीं है कि उन्होंने आगजनी के लिये उकसाया, इस रिपोर्ट में यह भी आरोप नहीं है कि वह हिंसा के लिये प्रेरित कर रही थी। सिर्फ अगर रिपोर्ट आपकी सही है तो 12 से 6 बजे तक यदि एक जनप्रतिनिधि निर्माण कार्य की गुणवत्ता के खिलाफ बैठ गया और अगर उस पर आप 7 लॉ क्रिमनल ऐक्ट लगायेंगे, वह भी महिला सदस्य के खिलाफ तो मैं समझूंगा कि वह उचित नहीं है। आप पुनः विचार कर लें और कम से कम इस दफा को तत्काल निकाल दें। यह उसके लिये बनी है, जब आप आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, हिंसा करें या भीड़ को इसके लिये प्रेरित करें, यह कोई आपकी रिपोर्ट में नहीं है। 7 लॉ क्रिमिनल ऐक्ट का मतलब क्या है ? एक पेशेवर आदमी एक आपराधिक इतिहास का व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो और जो वहां पर आतंक पैदा करना चाह रहा हो, इसमें आतंक पैदा करना नहीं, यह तो धरना है और धरने पर अगर 7 लॉ क्रिमिनल ऐक्ट लगा है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मान्यवर, इसमें आप निर्देश दें कि इसे तत्काल वापस लिया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो पढ़ा है, पूरे सदन ने सुना। कानून का दुरुपयोग और क्या हो सकता है ? 6 घण्टे तक बैठे और किसी अधिकारी ने आकर, हस्तक्षेप करके, आश्वस्त करके उठाने का कार्य नहीं किया। 6 घण्टे तक धरने पर बैठी रही और प्रशासन के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। 6 घण्टा ट्रैफिक जाम रही और कोई जूं ही नहीं रेंगी। कोई वहां आया होता, प्रयास किया होता, आश्वस्त किया होता, उसके साथ हाथापाई किये होते, अधिकारियों के साथ कोई दुर्व्यवहार किए होते तो बात समझ में आती। इस शान्ति पूर्ण प्रोटेस्ट, जो लोकतंत्र में सबको है, शासकीय कार्य में बाधा भी नहीं डाला कि पुलिस अधिकारियों को बंधक बना कर रखा हो। यह जरूर है कि पब्लिक को थोड़ी कठिनाई हुई होगी, लेकिन पब्लिक हित के लिये ही वह बैठे है। और उस पर इतनी धारायें लगा दें, इसी पर पूरे सदन को सन्देह है कि यू0पी0 का कोका का दुरुपयोग होगा। कल अगर यह पास हो जाता तो वह भी लग जाता।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इसीलिये सन्देह है। मान्यवर, विषय है, इसलिये कह रहा हूं आप अनुमति दे देंगे, यह बहुमत से पास कर लेंगे, कल यदि यह विधेयक पेश कर देते तो क्या होता ? यह विधेयक जो आज पेश कर रहे हैं और आज ही पास कराने का प्रस्ताव ला रहे हैं, यह कल पेश कर देते और आज पास करा लेते तो हमें आपत्ति न होती। इस बहुमत का लोकतांत्रिक दुरुपयोग और होता क्या है ? बहुमत का अगर जनतांत्रिक प्रयोग हो तो लोकतंत्र से अच्छा कुछ नहीं है और बहुमत का अगर अधिनायकवादी प्रयोग हो तो राजतंत्र, अधिनायकवाद से भी बड़ा हो जाता है, यह दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि सदन छोड़ दीजिये और इसी रिपोर्ट के आधार पर लोगों से पूछ लीजिये क्या यह जस्टीफाईट है ? मैं तो समझता हूं कि जिस अधिकारी ने इसका दुरुपयोग किया है वह दण्डनीय है, जो 6 घण्टे इसको समझाने नहीं गया। मान्यवर, इसे तो विशेषाधिकार की सूचना के अन्तर्गत लेकर उस अधिकारी को बुलाया जाये और उससे पूछा जाये कि क्या जस्टीफिकेशन है इन धाराओं का। तभी जाकर इस सदन और माननीय विधायक की मर्यादा रहेगी। यह सही नहीं है कि अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करता रहे। लोकतांत्रिक अधिनायकवाद प्रदेश में पनप रहा है। मान्यवर, इसी सदन के निर्णय से इन धाराओं को हटाया जाना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जब एक माननीया विधायक के खिलाफ इस तरह से धारायें लग सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है। विपक्ष को मिटाने का तरीका है यह। दहशतराज कायम किया गया है। लोकतंत्र का दुरुपयोग हो रहा है इस मुकदमें को वापस लिया जाये और सरकार उसके लिये माफी मांगे।

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला जी आपकी सूचना अग्राह्य की गई, चौधरी सत्यपाल सिंह जी, श्री पूरन प्रकाश जी व श्री कादिर राणा जी आपकी सूचना अग्राह्य की गई, श्री राम विशुन आजाद जी आपकी सूचना अग्राह्य की गई, श्री मदन चौहान जी आपकी सूचना अग्राह्य की गई और श्री राम विशुन आजाद जी आपकी सूचना अग्राह्य की गई।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-11 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007

शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में स्थित व किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जिसके अन्तर्गत अनाथालय या बोर्डिंग या हास्टल या ट्यूटोरियल संस्था या कोचिंग संस्था या उससे सम्बद्ध कोई अन्य परिसर भी है ;

(ख) "रैगिंग" का तात्पर्य किसी विद्यार्थी से कोई ऐसा कार्य करने या कृत्य का सम्पादन करने, जिसे सामान्य तौर पर ऐसा विद्यार्थी करने के लिये इच्छुक न हो, के लिये कहे जाने, शब्दों, इशारों या संकेत द्वारा किसी ऐसे कार्य को कराने, प्रलोभन देने, विवश करने, दबाव डालने से है जिससे किसी भी प्रकार से मानव गरिमा का ह्रास होता हो या उसका व्यक्तित्व दूषित होता हो, या जिससे वह उपहास, अभित्रास, अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध से उत्पीड़ित होता हो अथवा उसे क्षति पहुंचाने या उसे किसी प्रकार की धमकी, अभित्रास देने, अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध करने या क्षति पहुंचाने या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने से है;

(ग) "विद्यार्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो किसी शैक्षणिक संस्था में अपना अध्ययन कर रहा हो/रही हो;

(घ) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है जिसकी अधिकारिता में संस्था स्थित हो;

(ङ) "संस्था का प्रधान" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, संकायाध्यक्ष, किसी संस्था के निदेशक या प्राचार्य या संस्था के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति से है;

(च) "आयुक्त" का तात्पर्य ऐसे मण्डलायुक्त से है जिसकी अधिकारिता से संस्था स्थित है और उसके अन्तर्गत अपर आयुक्त भी है।

रैगिंग का प्रतिषेध

3-किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग प्रतिषिद्ध है।

निष्कासन/शिकायत दर्ज किया जाना

4-(1) जब कभी, यथास्थिति, कोई छात्र, माता-पिता या अभिभावक या किसी शैक्षणिक संस्था का कोई अध्यापक रैगिंग के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्था के प्रधान की लिखित रूप में शिकायत करे तो संबंधित शैक्षणिक संस्था का प्रधान, शिकायत प्राप्त होने के सात दिन के भीतर शिकायत में उल्लिखित मामले की जांच करेगा और यदि प्रथम दृष्टया यह सत्य पाया जाता है तो ऐसे छात्र को निष्कासित कर देगा जो अपराध का अभियुक्त हो और जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ऐसे क्षेत्र, जिसमें शैक्षणिक संस्था स्थित हो, में अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में शिकायत की अग्रतर कार्रवाई हेतु तत्काल भेज देगा।

(2) जहां शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा जांच किये जाने पर यह सिद्ध हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शिकायत में प्रथम दृष्टया कोई तथ्य नहीं है वहां वह शिकायतकर्ता को लिखित रूप में इस तत्य से अवगत करा देगा।

रैगिंग के लिये शास्ति

5-जो कोई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रुपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायगा।

छात्र का विवर्जन

6-धारा-5 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिये किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायगा।

अपील

7-धारा-4 के अधीन निष्कासित या धारा-6 के अधीन विवर्जित कोई छात्र सम्बन्धित मण्डल के आयुक्त को, आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर, विहित रीति से अपील कर सकता है और ऐसी अपील में आयुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा।

समझी गई दुष्प्रेरणा

8-शैक्षणिक संस्था या प्रधान रैगिंग की शिकायत किये जाने पर धारा 4 के अधीन कार्रवाई करने में यदि विफल रहता है या उसकी उपेक्षा करता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने रैगिंग के अपराध को दुष्प्रेरित किया है और उसे धारा 5 में यथा उपबन्धित रूप में दण्डित किया जायेगा।

अध्यारोही प्रभाव

9-इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमन में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमन के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

10-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

कठिनाइयों को दूर किया जाना

11-(1) यदि इस अधिनियम के अपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-11 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2007 को पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा के ऊपर लगाये गये दण्डनीय आरोपों को वापस लिये जाने की मांग

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत गम्भीर मामला है, हमारा कहना है कि माननीया विधायक पर लगे मुकदमें को वापस लिया जाये और सरकार इस पर खेद व्यक्त करे।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, वहां के एस0पी0 पर भी कार्यवाही होनी चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जो हमें सूचना मिली उसके अनुसार मैंने बताने का काम किया। उस सूचना के अनुसार ही कुछ काश्तकारों के जो खेत थे, बिना मुआवजा के जे0सी0बी0 मशीन द्वारा खोदे जा रहे थे। फिर भी हम इसको दिखवा लेंगे और नियमों के अनुसार जो भी सम्भव होगा वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है उसको पूरा आपने भी सुना है। दूसरे नेताओं ने भी उस रिपोर्ट पर अपनी राय आपके सामने जाहिर की, अपनी जिज्ञासा को जाहिर किया। मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मान्यवर, आपका भी लम्बा सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन रहा है और आपने भी न जाने कितने ऐसे धरने और घेराव किये होंगे। आप ही बतायें क्या ऐसी रिपोर्ट पर 7 क्रिमिनल लॉ ऐक्ट लगाई जा सकती है ? अगर लगाई जा सकती है तो बिल्कुल ठीक है और अगर मात्र क्या ऐसा धरना देने पर जिसमें किसी का कोई अपमान नहीं हुआ, जिसमें कोई अनैतिक कृत्य न किया गया हो, कोई वाइलेंस नहीं हुआ हो। उसमें क्या ऐसी धाराएं लगाया जाना उचित है ? अगर उचित नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरा मुकदमा ही गलत है तो यह मुकदमा वापस लेने की पहल करें। मुकदमा वापस ले लें और खेद व्यक्त करने की पहल करें मान्यवर, मुझसे कोई गलती हो जाये, उसे मान लूं तो यह सरकार का छोटापन नहीं होगा बल्कि बड़ापन होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया था कि परीक्षण करा लेंगे।

(कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बातें कहने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्तिपूर्वक बैठ जायें, सब सूचनायें निरस्त हो गईं। अब कुछ नहीं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जिस धरना प्रदर्शन के सन्दर्भ में जो अपराध पंजीकृत किया गया, माननीय विधायिका फातिमा जी के साथ अन्य भी मुल्जिम हैं।

श्री लालजी वर्मा-

विधायिका नहीं मान्यवर, माननीया विधायक।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, जब इतना सुधार कर रहे हैं तो थोड़ा और कर लीजिये। हमारी माननीय सदस्या जो रही हैं उनके साथ और लोग भी अभियुक्त बनाये गये हैं। लालजी यादव, आपको क्या

परेशानी है बताओ, जब फातिमा जी का मसला उठता है तो, आप एकदम जैसे पतिंगा हो जाते हैं, बैठें आप। मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूं, आप परेशान न हों, हम मदद करेंगे।

उस प्रकरण में माननीय सदस्य के साथ अन्य अभियुक्त भी हैं और सेवन-लॉ क्रिमिनल ऐक्ट की धाराओं के साथ 5, 6 धारायें लगाई गई आई0पी0सी0 की। इसको जरूर दिखवा लें कि एक माननीय विधायक को सेवन ला क्रिमिनल ऐक्ट के अन्तर्गत अगर उनको प्रतिबन्धित किया है, मुकदमा दर्ज हुआ हैं और हमारे सदन की सदस्य हैं और महिला भी हैं तो आप परीक्षण करा लें।

(कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बातें कहने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, इतने से काम नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें आप का स्पष्ट निर्देश चाहिये, क्योंकि रिपोर्ट आपके सामने पढ़ कर सुनाई गई है।

श्री लालजी यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आज 06 दिसम्बर, है आज माननीय बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और अभी मैं भी माल्यार्पण करने गया था, उधर बैठे लोगों के दिलों में उनके प्रति आस्था हो या न हो, मेरे दिल में उनके प्रति बहुत गहरी आस्था है ?

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री लालजी यादव-

मेरे कहने का यह मतलब है, बाबा साहब ने कहा था कि दलितों, पिछड़ों में सबसे दलित महिला है और महिला सदस्य है। दलित में भी महिला सबसे कमजोर है और यह सदन महिला के सवाल पर न्याय नहीं दे सकता है।

श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि दलित में भी महिला सबसे कमजोर है, मुझे इस बात पर आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते क्या हो, यह बताओ ?

श्री लालजी यादव-

मान्यवर, यह महिला माननीय सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं और विधायक होने के नाते एक विधायक का अपमान हुआ है इसलिये अधिकारी को दण्डित किया जाये।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी मैं अनावश्यक रूप से व्यवधान नहीं डालता और न अनावश्यक रूप से आपका समय लेता हूं लेकिन आज का यह विषय बड़ा गम्भीर है। सरकार की संवेदनशीलता क्या है ? जिसकी यह बहुत बड़ी चर्चा करते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिये। हम सब जो लोग बैठे हुए हैं, इस विषय पर अपनी संवेदनशीलता प्रकट कर रहे हैं। मान्यवर, इससे ज्यादा संवेदनहीनता का परिचय और क्या होगा कि एक सदस्या के खिलाफ यह कार्यवाही हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौरी शंकर जी बैठ जायें। इससे सुन्दर ढंग से माननीय आजम साहब अपनी बात कह चुके हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, आपकी पीठ से इस पर स्पष्ट निर्देश सरकार के लिये हो जायें कि इस तरह से जो संगीन अपराध का मामला बनाया गया है उसको सरकार द्वारा वापस लिया जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप स्वयं वकील हैं और इस सदन में बहुत से सदस्य वकील हैं। मान्यवर, जब अपराध कोई पंजीकृत हो गया तो बिना विवेचना के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। विवेचना की जा रही है, उसका परीक्षण करा लिया जायेगा और उसके आधार पर ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य कहने लगे कि जब मुकदमें की धारायें ही गलत ढंग से लगाई गई हैं तो विवेचना उसी पर होगी, उन धाराओं को वापस लेने में ही सरकार को क्या तकलीफ है।)

श्री अध्यक्ष-

7-8 अभियुक्त हैं उसमें एक माननीया सदस्य का भी नाम है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पूरा मामला संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे ही सदन में आ चुके हैं और सरकार की ओर से उनको वापस लेने की घोषणायें हो चुकी हैं। इस तरह के केस को एक्सपंज करने की घोषणा सरकार को आज सदन में करनी चाहिये। इसकी गम्भीरता का आप स्वयं मान्यवर, देख रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस मुकदमें को एक्सपंज कर दिया जाये और खेद व्यक्त कर दिया जाये इस पर। मान्यवर, पूरे प्रदेश के लिये यह मुकदमा आईना है न्याय के लिये। क्या है पुलिस के काम करने का तरीका, यह एक मामला पूरे प्रदेश के लिये आईना का काम कर रहा है।

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

मान्यवर, काफी देर से मैं इस मामले को सुन रहा हूं। 7 अगस्त, 2006 की घटना है, मैं भी अपने क्षेत्र से आ रहा था, और मैंने जब से राजनीति में कदम रखा है मेरे ऊपर 107/17, 151 का मुकदमा नहीं लिखा है, मुकदमा 13 धारा सहित सेवन क्रिमिनल ऐक्ट में लगा है थाना कछवा, मिर्जापुर में मैं मांग करता हूं कि अगर उधर के मामले में कोई स्पष्ट आदेश आ रहा है तो मेरे लिये भी स्पष्ट आदेश आ जाये मेरे विरुद्ध दर्ज उस मुकदमे को भी वापस लेने का कष्ट किया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। माननीय मंत्री जी की ओर से कहा गया कि विवेचना हो रही है।

(श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। विवेचना हो रही है। परीक्षण कराने की बात कह रहे हैं, इस बीच में माननीया सदस्य के संबंध में कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न हो इसको दिखवा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अगर पूर्व समय में कोई मुकदमा गलत लिखाया गया है तो उसको इस सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है। उस मुकदमें को सरकार खत्म कर सकती है। उसके लिये यह उचित कहां है कहना कि अभी विवेचना हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

विवेचना हो रही है परीक्षण करा लिया जाये, उसको दिखवा लिया जाय, कोई उत्पीड़न की कार्यवाही माननीया विधायक के साथ न होने पाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह न्याय है आपका, यही आपका न्याय है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मान्यवर, यह तो आपकी उदारता है शादाब फातिमा जी के ऊपर अगर किसी प्रकार का मुकदमा लगा है तो हम सब लोग विधायक हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि कोई गलत मुकदमा न लगे। मान्यवर, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं। माननीय सदस्य ने सिर्फ इतना कहा कि हम लोगों ने भी आज के 6 महीने पहले एक नहीं ऐसे-ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर किसी तरह का मुकदमा नहीं आपकी सरकार ने 10-10 मुकदमें फर्ज़ी लगाये गये। लेकिन मान्यवर, हम लोग तब भी सदन में खड़े हुये मान्यवर, तब हम सदन में खड़े हुये, हमें तो इतना भी माननीय अध्यक्ष जी ने जितना निर्देश दिया, हमें तो इतना भी निर्देश नहीं मिला था। मान्यवर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर मुकदमा कायम किया गया और हम लोग कहते रहे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, तभी तो हम यहां बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित किया जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो भी गलत काम किये हैं हमने कहा उनको आप ठीक करो। आपके खिलाफ गलत मुकदमें कायम हुये और अभी तक वापिस नहीं हुये, इतने दिन आपकी सरकार को हो गये और आपके ऊपर लगे नाजायज मुकदमें अभी तक वापस नहीं लिये गये इससे मालूम होता है कि आपकी

क्या हैसियत है। क्या हैसियत है आपकी सरकार में। इससे ज्यादा अफसोस की और क्या बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का उत्पीड़न नहीं होगा जब तक विवेचना चलती है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह न्याय नहीं है।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसे मैं स्थगित करता हूं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की जो जनपद लखीमपुर खीरी के पचपेड़े घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना जो श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के तहसील मिलक में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री दशरथ प्रसाद चौहान की जो जनपद संतकबीर नगर की ग्राम पंचायत मोहबरा के बीचों-बीच बहने वाले नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री अंगद यादव की जो जनपद आजमगढ़ स्थित मोहम्मदपुर कप्तानगंज मार्ग निजामबाद तमसा नदी पर टोल टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना डा0 राजकुमार सिंह की जो जनपद गाजीपुर स्थित जमनियां रेलवे स्टेशन से सटकर बहने वाली गंगा नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री पंकज कुमार की जो जनपद मुजफ्फरनगर के आदर्श मण्डी शामली के ग्राम सिक्का निवासी इंतजार पुत्र श्री अनीस की हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जो जनपद शाहजहांपुर में अधूरे पड़े विद्युत के 5 सब स्टेशनों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री श्यामदेवराय चौधरी की जो सिंचाई विभाग के लखनऊ प्रखण्ड के ठेकेदार श्री विश्वैसर सिंह के बकायों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह की जो जनपद कुशीनगर अन्तर्गत सुधीयानी-सोमली मुख्य मार्ग पर मौन नाले पर बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री विजय कुमार यादव की जो जनपद गोरखपुर स्थित मानीराम कुदरियाबांध के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में अधूरे पड़े जिला जेल वाई मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जो मुजफ्फरनगर के कृषकों के निजी नलकूप के लिये लम्बित पड़े विद्युत कनेक्शनों के आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जो जनपद बुलन्दशहर के अगौता विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौदहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा की जो जनपद आजमगढ़ के सी0 एम0 ओ0 द्वारा किये गये अनियमितताओं एवं एक्सपायरी दवाइयों के वितरण की जांच कराये जाने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पन्द्रहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जो जनपद मिर्जापुर के पहाड़ी विकास खण्ड स्थित बेतवा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सोलहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की जो इफ्को, फूलपुर, इलाहाबाद के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सत्रहवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की जो जनपद लखनऊ के ग्राम मुंशीगंज में असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक कुआं पर लैट्रिन व टैंक बनाये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अट्ठारहवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जो जनपद जालौन में मानक के अनुरूप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। उन्नीसवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जो जनपद सीतापुर के ग्राम बीहटगौड़ स्थित वन विभाग की सैकड़ों बीघे जमीन से अवैध कब्जे हटवाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बीसवीं सूचना श्री कादिर राणा की जो जनपद मुजफ्फरनगर स्थिति जटवाड़ा अनूप शहर नहर पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। इक्कीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जो जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल राज्य विकास निधि से स्वीकृत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बाइसवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की जो जनपद गाजीपुर स्थित मरदह बाजार से महाहर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेइसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जो प्रदेश की अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़कियों की शादी के लिये अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि को समाज कल्याण विभाग द्वारा न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौबीसवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जो जनपद सहारनपुर के सामाजिक वानिकी वन प्रभाग द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पच्चीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की जो जनपद गाजियाबाद स्थित हापुड़ में काली नदी पर पेड़ों की नीलामी में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। छब्बीसवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित क्षतिग्रस्त थाना भवन ऊन-झिनझाना मार्ग की सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सत्ताइसवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की जो

सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा देवी बख्श सिंह की यादगार में जनपद गोण्डा में आदमकद प्रतिमा स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अट्ठाइसवीं सूचना श्री राम किशुन की जो जनपद चन्दौली स्थित नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में निर्मित अस्पताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयीं :- डा0 आर0 ए0 उस्मानी, डा0 कौशल किशोर, डा0 अजय तोमर, डा0 अनिल चौधरी, श्री कौकब हमीद, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री सिवगतुल्ला अंसारी तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपको सिर्फ परम्परा याद दिला रहा हूं कि अंतिम दिन नियम 51 में सब पर शासन का ध्यान आकर्षित होता रहा है। कदाचित आपके दिमाग से उतर गया हो तो मैं याद दिला दूं कि अन्तिम दिन सब पर शासन का ध्यान आकर्षित होता है, कोई रिजेक्ट नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा माननीय तिवारी जी, 28 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरी बात तो सुन लें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो पूरा हो जाने दें। इस भीड़भाड़ में आप भी कहीं खो गये थे, आप और किसी तरफ देख ही नहीं रहे थे। आप कह रहे थे लालजी यादव को, लेकिन आप भी नहीं देख रहे थे इधर-उधर। मान्यवर, आठ तक क्या किया स्थगित।

श्री अध्यक्ष-

आठ स्थगित है।

श्री प्रमोद तिवारी-

सिर्फ मेरा इतना कहना था। आपने इनका नाम बुला लिया था ईश्वर चन्द्र शुक्ला का। यह बेचारे खड़े हुये बोलने के लिये। फिर आपने माननीय मंत्री जी से कह दिया कि सूचना दे दें। उन्होंने सूचना दे दिया फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, आपको मालूम ही है।

श्री अध्यक्ष-

जो कुछ हुआ है, उसी में गड़बड़ हुआ है।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो यह क्यों शहीद हुये। इनकी शहादत की वजह बता दें। लालजी शहीद हों या जिसकी रुचि हो, वह शहीद हो। यह बेचारे क्या करें। यह खड़े हुये हैं। कृपया इनके दिल की दास्तान सुन लें।

श्री जमीर उल्ला-

मेरे जनपद में अलीगढ़ के अन्दर नगर निगम में भर्ती हो रही है। 312 भर्ती अभी निकली है जो 114 लोग ...

(बीच में कुछ सदस्यों द्वारा अपनी सूचनाओं के बावत पूछे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है सबकी सूचनायें ले लेता हूं। नियम 51 की सब सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु ले लेता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने सदस्यों के अनुरोध पर नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित अस्वीकृत सूचनाओं पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया।)

29	डा0 आर0 ए0 उस्मानी	की	जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के सड़कों के बनाने हेतु भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में।
30	डा0 कौशल किशोर	की	लखीमपुर से लहरपुर जनपद से सीतापुर जाने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
31	डा0 अजय तोमर	की	आयुर्वेद के तर उत्थानार्थ गठित भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से गठन किये जाने के सम्बन्ध में।
32	डा0 अनिल चौधरी	की	अनुसूचित जाति में सम्मिलित "धनगर" के स्थान धांगर लिखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
33	श्री कौकब हमीद खां	की	जनपद लखनऊ के श्रीनगर कालोनी महिबुल्लापुर निवासी श्री बृजेश सिंह एवं जगतपाल वर्मा को भू-माफियाओं द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।
34	चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी	की	महिला कल्याण विभाग में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री यशपाल सिंह चौहान	की	जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में गांव सभा की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री सिवगतुल्ला अंसारी	की	जनपद गाजीपुर के जिला विकास अभिकरण विभाग में परियोजना निदेशक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में।
37	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह	की	जनपद प्रतापगढ़ स्थित कालाकांकर ब्लाक में अरखा रजबहा माइनर की खुदाई में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में।
38	महंत कौशलेन्द्र नाथ योगी	की	जनपद बलरामपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों ललिया महराजगंज मार्ग ललिया-बनकटा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

39	श्री प्रमोद सिंह	की	जनपद देवरिया स्थित ग्राम पंचायत गौरी बुजुर्ग में 63 के0 वी0 के स्थान पर 100 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	की	जनपद बांदा में मजदूरों को मजदूरी मस्टर रोल के अनुसार दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
41	श्री जगन प्रसाद गर्ग	की	जनपद आगरा के जिलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्री से प्राप्त स्टाम्प शुल्क का शेयर नगर निगम आगरा एवं आगरा विकास प्राधिकरण को दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	की	जनपद मेरठ के जिलाधिकारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के रोक लगाये जाने के बाद भी शस्त्र लाइसेंसों को जारी करने हेतु राष्ट्रीय बचत-पत्र मांगे जाने के सम्बन्ध में।
43	श्रीमती कृष्णा राज	की	जनपद लखीमपुर खीरी में कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं किरोसिन के वितरण में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
44	डा0 राजेन्द्र सिंह	की	जनपद आगरा के ग्राम परौली सिकरवार में नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में।
45	कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह	की	जनपद कुशीनगर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
46	श्री प्रमोद तिवारी	की	जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज अन्तर्गत नहरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्री माधव पासवान	की	जनपद गोरखपुर स्थित मुंडेरा बाजार अन्तर्गत गौरी नदी पर निर्मित पुल पर रेग्युलेटर बनाये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्री श्याम लाल वर्मा	की	जनपद गोण्डा स्थित ग्राम जयरामपुरवा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री मिथिलेश कुमार	की	जनपद कानपुर के थाना नर्जीराबाद में आरोपी श्री सुमन दुबे के साथ पुलिस द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री सुन्दर सिंह	की	जनपद बुलन्दशहर के थाना कोतवाली स्याना के ग्राम बरौली बासुदेव के वीरपाल सिंह मृतक के परिवारजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

चलिये नियम-51 की सभी सूचनायें ले लेता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न पूरा हो जाने दें। आप भी खो गये थे और देख ही नहीं रहे थे किसी की तरफ।

नगर निगम अलीगढ़ में कर्मचारियों की हो रही भर्ती विषयक श्री जमीरउल्ला की सूचना को उठाने का प्रयास

*श्री जमीरउल्ला-

मा0 अध्यक्ष जी, 114 कर्मी 15-16 साल से वहां काम कर रहे हैं। मेरे जनपद अलीगढ़ में नगर निगम के अन्दर भर्ती हो रही है, 312 भर्ती अभी निकली है, लेकिन 114 कर्मी कम से कम 15-16 साल से वहां काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर 10,500 कर्मी ऐसे हैं जो डेलीवेजेज में काम कर रहे हैं। आजकल नयी भर्ती हो रही है, यह भर्ती बी0 सी0 में हो रही है। अतरौली के अन्दर 10 लोगों की भर्ती हुई थी बी0 सी0 में, उन सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप मा0 मंत्री जी को दे दीजियेगा, सारी कार्यवाही हो जायेगी। मा0 नगर विकास मंत्री जी, एक मा0 विधायक जी नियुक्ति के मामले के बारे में सुबह से कह रहे हैं। इनकी एक मांग है कि जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन पर भी विचार कर लिया जाय। आप इनके मांग-पत्र को ले लें।

जिला सहकारी बैंक, सिद्धार्थनगर में गरीब किसानों की जमा धनराशि वापस दिलाये जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी-

यह क्या हो रहा है ऊपर। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो भावना आपने दिखायी, जो भावनाओं की नम्रता और मृदुलता आज आपकी देखने को मिली, ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखने को मिला था। आज आपने जो कुछ भी किया, दिल से किया, ठीक किया और यह बिल्कुल स्वाभाविक काम है कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जितनी विनम्रता और नम्रता उधर दिखायी आपने दो पुरुष भी हैं, एक-एक मिनट पुरुषों पर भी दिखा दें।

श्री अध्यक्ष-

पुरुष का प्रमाण-पत्र आप दे रहे हैं।

*श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपका कृपा पात्र हूं कि आपने मुझे सुना। मान्यवर, जिला सहकारी बैंक सिद्धार्थनगर में 36 करोड़ रुपया पिछले चार-पांच सालों से गरीब किसानों का फिक्स डिपाजिट, करेन्ट एकाउण्ट में जमा है और तमाम गरीब महिलायें जो रुपया इकट्ठा करके अपनी बेटियों की शादी के लिये जमा की थी जब वह अपना पैसा लेने बैंक गयीं तो बैंक ने कहा कि मैं रुपया नहीं दूंगा और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने पैसा नहीं दिया। एक भी रुपया नहीं लौटाया जा रहा है, लगातार इसके लिये जिले में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, 19 शाखाएं जिले में बन्द हैं मैं चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी गरीबों के पैसे को दिलवायें।

जनपद इलाहाबाद के फूलपुर के इफ्को कारखाना में श्रम कानूनों का उल्लंघन होने सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी इफ्को का कारखाना फूलपुर, इलाहाबाद में है, वहां पर श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और इसका नतीजा यह रहा कि 29 नवम्बर को काफी लोगों को ठेकेदार ने निकाल दिया। एस0डी0एम0 और पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की और अन्त में जब यह सूचना मजदूरों को मिली कि उनके दो मजदूरों की अन्दर हत्या कर दी गई है तो सारे मजदूर अन्दर चले गये और वहां के सुरक्षा गार्ड तथा ठेकेदार के जो मजदूर हैं, उनसे निकाले गये मजदूरों का संघर्ष हुआ तथा ठेकेदार की हत्या हो गई, दोनों तरफ के लोग घायल हैं। इस समय पुलिस पूरे गांव में चारों ओर घूम-घूमकर लोगों को पकड़ रही है। निर्दोष लोग, बेगुनाह लोग पकड़े जा रहे हैं, जो संघर्ष में थे वह सब गायब हो गये हैं। मैं इस महत्वपूर्ण मसले पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने और जो दोषी अधिकारी हैं जिनके कारण यह घटना हुई है, उन लोगों के खिलाफ मैं सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे दिखवा लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, महिलाओं का हो गया और पुरुषों का हो गया अब मैं चाहता हूं कि टण्डन जी भी कुछ बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

यह बीच वाला कौन है ?

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा को उनकी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गनर दिये जाने की मांग

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है।...

माननीय अध्यक्ष जी, एक अपराधी थाने के अन्दर पकड़ा जाता है और थाने से भागकर दूसरे क्षेत्र में हथियारों के साथ पकड़ा जाता है और वह यह कहता है कि फलाँ विधायक की हत्या करने के लिए हम लोग जा रहे थे। मान्यवर, मेरी जान को गम्भीर खतरा है। मैंने आपसे अनुरोध किया है और लिखकर भी दिया है। 25 प्रतिशत अतिरिक्त पर गनर देने का प्राविधान है, वैसे मैं 25 प्रतिशत देने की स्थिति में नहीं हूं, फिर भी देने को तैयार हूं क्योंकि मेरी जान को गम्भीर खतरा है। मान्यवर, मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरी जान को खतरा है एक गम्भीर समस्या है, दिन-रात क्षेत्र में घूमना पड़ता है ऐसे में सुरक्षा बहुत आवश्यक है। मा0 अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण

चाहिए, मैं 25 प्रतिशत पर गनर लेने के लिए तैयार हूं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक 3 महीने से मेरी रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं, मैं तीन बार मिलकर कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला है, सुरक्षा से सम्बन्धित है, इसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर ठीक है।

आगरा के जूता उद्योग को बचाने हेतु नान लेदर जूतों को वैट से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अभी वैट व्यवस्था लागू नहीं है। व्यापार कर व्यवस्था के अन्तर्गत रबर और प्लास्टिक की 200 रुपये अथवा कम, अधिकतर फुटकर मूल्य वाली फुटवियर पर कर दर 4 प्रतिशत तथा

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, 3 लाख लोग इस काम से जुड़े हुये हैं, कमजोर तबके के लोग हैं। कुछ जोड़ी जूता बनाकर कुछ हजार रुपये साल भर में कमाते हैं। प्रस्ताव में एक त्रुटि रह गयी है। जूता और मोल्डेड जूते में फर्क है। इसमें से मोल्डेड शब्द हट जाए तो ठीक हो जायेगा। कृपया इस पर आप विचार कर लें, अधिकारियों से विचार-विमर्श कर लें। मा0 मंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 मंत्री जी इस पर विचार कर लीजिएगा।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[शेष सभी प्रकार के फुटवियर पर कर की दर 8 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं भेजा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर वर्तमान में देश के सभी राज्यों में वैट व्यवस्था लागू है। वस्तुस्थिति यह है कि उत्तर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में वैट व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से वैट बिल के ड्राफ्ट पर महामहिम राष्ट्रपति जी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। ड्राफ्ट बिल पर महामहिम राष्ट्रपति जी की पूर्व मंजूरी सूचित करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्यों के मा0 वित्त मंत्रियों के प्राधिकृत समिति द्वारा तय किये गये कामन प्वाइन्ट्स आफ कनवरजेन्स का अधिकतम संभव पालन किया जाना चाहिए।

राज्यों के मा0 वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति द्वारा वैट व्यवस्था के अन्तर्गत फुटवियर पर कर की दो दरें रखी गयी हैं। मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर हवाई चप्पल एवं उसके पट्टे 4 प्रतिशत की कर की दर की श्रेणी में तथा अन्य फुटवियर 12.5 प्रतिशत कर की दर की श्रेणी में होंगे।

उक्त बिल के ड्राफ्ट में कर की दरें राज्यों के मा0 वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति द्वारा नियत दरों के अनुरूप रखने का यथासंभव प्रयास किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि फुटवियर पर कुल कर के आपात में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अंश काफी है। आल इण्डिया फुटवियर मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड रिटेलर्स एसोसियेशन द्वारा मा0 वित्त मंत्री, भारत सरकार को सम्बोधित प्रत्यावेदन में लेदर फुटवियर पर उत्पाद शुल्क टैक्सटाइल गार्मेन्ट की भांति समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्यावेदन पर भारत सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी नहीं है।]

उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के सीमा विवाद के चलते मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना स्थित गांवों के किसानों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा विवाद के कारण जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना के कतिपय गांवों में....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[हरियाणा के किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 27-11-2007 को इसी प्रकार की घटना हुई।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हरियाणा के किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ मारपीट की गयी तथा उनकी जमीन पर अवैध कार्यवाही की गयी जिससे उन्हें लाखों रुपये की क्षति हुई।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से आख्या प्राप्त की गयी। यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रान्त के सीमा विवाद के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, कैराना द्वारा हरियाणा प्रान्त की तहसील सम्भालका के एस0डी0एम0 अन्य राजस्व अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ दिनांक 24-10-2007 को यमुना पुल के पास एक बैठक की गयी। बैठक में इस बात पर सहमति हुयी कि नायब तहसीलदार स्तर से कम के राजस्व अधिकारियों के बिना किसी भी प्रान्त की पुलिस मौके पर नहीं जायेगी। मौके पर दोनों प्रान्तों के सीमावर्ती ग्रामों के उपस्थित कृषकों को भी समझाया गया कि सीमा पर राजस्व अभिलेखों में ओवर मैपिंग के कारण दोनों प्रान्तों के सीमावर्ती ग्राम के कृषक प्रभावित है। एस0डी0एम0 सम्भालका द्वारा यह तथ्य सामने लाया गया कि उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा उनके प्रान्त के किसानों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के ग्राम रामणा, नगलाराई, मवी, माहौर, सहपथ आदि के किसानों का यह कहना है कि हरियाणा प्रान्त के किसान इनकी फसल को खुर्द-बुर्द कर इनकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लेते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 28-10-2007 को भी दोनों प्रान्तों के वरिष्ठ राजस्व/पुलिस अधिकारियों की पुनः मंडी समिति बमौली में बैठक हुयी। एस0डी0एम0 सम्भालका द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह अपने प्रान्त के किसानों को यह हिदायत दे देंगे कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषकों के साथ अवैध कार्यवाही न की जाय। बैठक में यह भी तय पाया गया कि दोनों ही प्रान्तों के किसान मौके पर पूर्व की भांति जो जहां था वो वहीं रहते हुए कास्त करते हुए यथास्थिति बनाये रखेंगे।

हरियाणा के किसानों द्वारा दिनांक 27-11-2007 को की गयी कार्यवाही के विरुद्ध किसानों की फसल नष्ट करने व मारपीट करने आदि के सम्बन्ध में राजस्व कर्मियों द्वारा थाना कैराना कोतवाली पर मु0अ0सं0 1187/2007 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 441, 447, 506 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया है।]

जनपद उन्नाव के थाना अजगैन में श्रीमती पुत्तन देवी, निवासिनी ग्राम कुसुम्भी की हत्या के बाद रिपोर्ट दर्ज न करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी की सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रश्नगत प्रकरण में .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य विधान सभा श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 4-12-07 में श्रीमती पुत्तन देवी उर्फ बताशा निवासिनी ग्राम कुसुम्भी जनपद उन्नाव के पति श्री राम खेलावन उर्फ खिल्ली लोध की हत्या के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा न लिखने का उल्लेख किया गया था।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक उन्नाव से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 30-11-07 को थाना क्षेत्र अजगैन में श्री राम खेलावन का शव रेलवे ट्रेक पर मिलने पर श्रीमती पुत्तन देवी उर्फ बताशा द्वारा उनके पति को मारने पीटने के कारण क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अजगैन जनपद उन्नाव पर मु0अ0सं0-1156/07 धारा 323/306 भा0दं0वि0 का अभियोग अनिल जायसवाल निवासी नवाबगंज थाना अजगैन जनपद उन्नाव एवं प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू अवस्थी निवासी कुसुम्भी थाना अजगैन, उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। मामले के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। विवेचना शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर निस्तारित कराया जायेगा।]

मेरठ नगर निगम अन्तर्गत पशुवधशालाओं से हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्न सूचना दी गयी है :-मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत हापुड़ रोड पर चलने वाली पशुवधशाला में प्रत्येक दिन शहर की आपूर्ति से अधिक पशुओं का कटान हो रहा है ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जबकि नियम है कि नगर निगम के अन्तर्गत चलने वाली पशुवधशाला में शहर की मांस की आपूर्ति से ज्यादा पशु नहीं काटे जायेंगे। जिसके कारण लगभग 5 लाख की आबादी (आधा शहर) वायु एवं जल प्रदूषण की चपेट में है। अनाधिकृत रूप से बिना लाइसेन्स लिये पशुवधशाला परिसर में चर्बी एवं हड्डी पकाने हेतु सैकड़ों की मात्रा में भट्ठियां चलायी जा रही हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भयंकर बदबू एवं प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त पशुवधशाला को तत्काल बन्द करने तथा जल एवं विद्युत कनेक्शन काटने के आदेश नगर निगम मेरठ को किये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पशुवधशाला का आधुनिकीकरण करने का आदेश किया है लेकिन खेद है कि उपरोक्त दोनों आदेशों के उपरान्त भी अवैध कटान एवं भट्ठियों का चलना जारी है।

पशु कटान के उपरान्त खराब मांस जानवरों के बचे गन्दे अवशेष एवं खून नगर निगम के नाले में बहाये जा रहे हैं जिसके कारण शास्त्री नगर की बहुत बड़ी आबादी बदबू व नाले की गन्दगी से परेशान है। नाले में मांस के बहुत बड़े-बड़े टुकड़े एवं जानवरों की आंत जैसी चीजें नाले में बहती साफ दिखायी देती है जिसे कुत्ते आदि जानवर नाले से खींच कर शास्त्री नगर की गलियों में फैला देते हैं जिससे आम जनता में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

नगर निगम द्वारा शासन के आदेश का उपरोक्त पशुवधशाला का ठेका पुनः बिना आधुनिकीकरण किये छोड़ने की प्रक्रिया कर रहा है। बिना आधुनिकीकरण किये उपरोक्त पशुवधशाला का ठेका नहीं होना चाहिए। आधुनिकीकरण तक शहर की आपूर्ति ज्यादा. पशु न कटे, हड्डी व चर्बी की भट्ठियां बन्द हों।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम, मेरठ में स्थित पशुवधशाला की सफाई हेतु नगर निगम द्वारा 20 सफाई कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं जो अनवरत सफाई का कार्य कर रहे हैं एवं पशुवधशाला से लगे हुए नालों की सफाई हेतु 10 कर्मचारी और लगाये गये हैं जिनसे कि नालों की सफाई का कार्य बराबर कराया जा रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि नाले में मांस के टुकड़े या जानवरों की हड्डियां आदि बहती दिखाई दे रही हैं। पशुवधशाला एवं नालों की सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से की जा रही है।

पशुवधशाला में बिना अनुमति के चर्बी एवं हड्डी की भट्ठियां चलाये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उक्त अनियमित कार्य हेतु नगर निगम द्वारा किसी व्यक्ति या फर्म को कभी कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है और न ही किसी व्यक्ति या फर्म को कोई भूमि ही आवंटित की गयी है। नगर निगम को उक्त अनियमित कार्य की जानकारी होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाती है।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पशुवधशाला को बन्द किये जाने हेतु तत्कालीन ठेकेदार को आदेश दिये गये थे किन्तु वर्तमान में नगर निगम प्रशासन द्वारा 30 कर्मचारियों को लगाकर सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की प्रदूषण की कोई संभावना नहीं है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में टेण्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं और जब तक टेण्डर के माध्यम से ठेकेदार निर्धारित नहीं हो जाता है तब तक पशुवधशाला का संचालन नगर स्वास्थ्य अधिकारी की देख-रेख में नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। टेण्डर की शर्तों में यह शर्त भी रख दी गयी है कि पशुवधशाला का संचालन उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये सहमति पत्र में दी गयी शर्तों के

अनुसार करना होगा। नगर निगम, मेरठ द्वारा पशुवधशाला के देने हेतु अन्य विभिन्न शर्तें भी निर्धारित की गयी हैं, जिनका ठेकेदार को पालन करना होता है। ऐसी स्थिति में भविष्य में प्रदूषण की कोई समस्या संभावित नहीं है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पशुवधशाला के आधुनिकीकरण का कार्य भी नगर निगम स्तर पर विचाराधीन है।]

जनपद आजमगढ़ में शारदा नहर के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा अभी तक प्राप्त न होने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14 स्थगित किया जाता है।

जनपद प्रतापगढ़ के लोक निर्माण विभाग द्वारा चमरौरा नाले पर सप्तेश्वर नाथ पर स्वीकृत पुल के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 4-12-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है जिसमें....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद-प्रतापगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा चमरौरा नाले पर सप्तेश्वर नाथ पर एक पुल स्वीकृत है जिसका प्रारम्भिक कार्य भी सेतु निगम इकाई प्रतापगढ़ द्वारा प्रारम्भ किया गया था परन्तु कई माह से कार्य बन्द है। योजना पर लगभग रु0 1.00 करोड़ अवमुक्त भी किया गया था परन्तु वर्तमान में कार्य विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-178बा0वि0आ0/23-14-06, दिनांक 29-8-2006 द्वारा विषयगत सेतु की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत लागत रु0 212.41 लाख के सापेक्ष रु0 106.20 लाख अवमुक्त किया गया था। प्रदेश में विधान सभा चुनाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् ऐसे सेतुओं के प्रस्तावों पर परीक्षण किया गया जिनके अपस्ट्रीम/डाउन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्ट्रीम में 15 कि0मी0 में पूर्व से सेतु निर्मित है। इस स्वीकृत सेतु के अपस्ट्रीम में 8 कि0मी0 तथा डाउन स्ट्रीम में 6 कि0मी0 में सेतु निर्मित है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है।]

जनपद झांसी स्थित मेडिकल कालेज के न्यूरोलाजी एवं न्यूरोसर्जरी विभाग में रिक्त चिकित्सकों एवं स्टाफ की तत्काल नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा यह सूचित किया गया है कि बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत जनपद झांसी अत्यन्त ही अविकसित एवं पिछड़ा हुआ जनपद है, जहां पर सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है ....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[वर्ष 1968 में इस जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी थी, जो जनपद झांसी का एक मात्र मेडिकल कालेज है। उक्त मेडिकल कालेज में न्यूरोलाजी एवं न्यूरोसर्जरी का विभाग तो है, किन्तु न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी का चिकित्सक यहां पर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर समुचित मात्रा में चिकित्सीय सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर समय से समुचित मात्रा में चिकित्सा की सुविधा सुलभ न हो पाने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 200 मरीजों की असामयिक मृत्यु हो जाया करती है। जनहित में जनपद झांसी में स्थित मेडिकल कालेज जो अत्यन्त प्राचीन है, के न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी में अतिशीघ्र समुचित मात्रा में स्टाफ एवं चिकित्सक नियुक्त किया जाना नितान्त आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, झांसी के मेडिसिन विभाग में ही न्यूरोलॉजी यूनिट के रूप में स्थापित है और इस यूनिट में प्रवक्ता का 01 पद सृजित है। उक्त सृजित पद के विरुद्ध वर्ष 2007 में डा0 विकास बंसल को तैनात किया गया है और उनके द्वारा कार्यभार भी ग्रहण किया गया है किन्तु कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त वे निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ न्यूरोसर्जरी यूनिट में सह-आचार्य का 01 तथा प्रवक्ता का 01 पद सृजित है और वर्तमान में दोनों पद रिक्त चल रहे हैं जिस हेतु वर्ष 2006 में लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा चुका है और आयोग द्वारा पद भी विज्ञापित किये जा चुके हैं। जैसे ही आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जायेंगे, उनकी तैनाती मेडिकल कालेज, झांसी के न्यूरोलॉजी यूनिट में कर दी जायेगी।]

जनपद सिद्धार्थनगर में साधन सहकारी समितियों के बन्द होने से किसानों को बीज एवं उर्वरक समय से न मिलने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4-12-2007 को सिद्धार्थनगर जनपद के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि सिद्धार्थनगर जनपद में साधन सहकारी समितियां, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां और सहकारी संघ बन्द हो गये हैं ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जिसके कारण उर्वरक एवं बीज नहीं उठ पा रहे हैं। इसी प्रकार जनपद के सभी कृषि गोदाम भी बन्द हैं, इससे जनपद में विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कुछ किसान जो उर्वरक लेना चाहते हैं, जब वे पी0सी0एफ0 गोदाम पर गये थे, तो वहां पर तथा दूसरे थानों पर खाद के वितरण के समय किसानों को लाठी से पीटकर भगा दिया गया। इससे पूरे जनपद सिद्धार्थनगर में भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है और किसान बीज एवं उर्वरक न मिलने के कारण उद्वेलित हैं तथा उनमें चिन्ता और आक्रोश व्याप्त है। यदि किसानों को उर्वरक और बीज समय से नहीं मिल सकेगा तो उसका सीधा प्रभाव उनकी फसलों पर पड़ेगा। मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य मांगा गया है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जिला सिद्धार्थनगर में 127 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) हैं। समितियों की आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण इनमें से केवल 02 पैक्स क्रियाशील है। किसानों को उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराने के लिए निष्क्रिय पैक्स के कार्य क्षेत्र में उर्वरक एवं बीज वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था आई0एफ0एफ0डी0सी0, जिला सहकारी संघ, पी0सी0एफ0, एग्रो और औद्यानिक सहकारी समितियों के 127 उर्वरक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रबी अभियान 2007-08 के अन्तर्गत सिद्धार्थनगर जिले में रासायनिक उर्वरकों के वितरण के कुल लक्ष्य तथा उसमें से सहकारिता विभाग के लिये लक्ष्य के सापेक्ष जिले में 04 दिसम्बर, 2007 तक उपलब्ध कराये गये उर्वरकों का विवरण निम्नानुसार है :-

(मात्रा मै0 टन में)

उर्वरक का नाम	जिले का कुल लक्ष्य	सहकारिता के लक्ष्य	सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा	उपलब्धता का प्रतिशत	वितरण	गत वर्ष समान अवधि में वितरित मात्रा
यूरिया	25,878	9,200	5,948	65	3,901	3,075
डी0ए0पी0	10,573	2,500	6,675	267	6,480	750
एन0पी0के0	3,121	2,700	584	21	559	2,089
डी0ए0पी0+ एन0पी0के0	13,694	5,200	7,259	140	7,039	2,839
योग उर्वरक	39,572	14,400	13,207	92	10,940	5,914
बीज (कु0 में)	42,370	1,450	2,010	139	1,630	980

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता विभाग द्वारा सिद्धार्थनगर में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के निष्क्रिय होने के बावजूद भी किसानों को उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराने के लिए समय से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा लक्ष्य से अधिक फासफेटिक उर्वरकों एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। पी0सी0एफ0 के किसी भी कृषक सेवा केन्द्र अथवा गोदाम पर उर्वरक लेने आये किसानों को लाठी से पीटकर भगाने की कोई घटना नहीं हुई है। यूरिया की मांग दिसम्बर-जनवरी में होती है। लक्ष्य के अनुसार यूरिया की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।]

मथुरा वृन्दावन में यमुना नदी के प्रदूषित जल की रोकथाम हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रख-रखाव का कार्य जल निगम को आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री प्रदीप माथुर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि मथुरा वृन्दावन में प्रदूषित जल की रोकथाम के लिये यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का संचालन पूर्व में ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[में उ0 प्र0 जल निगम की मथुरा इकाई द्वारा किया जाता था जिससे मथुरा एवं वृन्दावन नगरों के गन्दे नाले सीवेज आदि का पानी शोधित होकर ही यमुना जी में जाता था जिससे यमुना नदी से प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ था। मथुरा व वृन्दावन नगरपालिकाओं में एस0टी0पी0 के रख-रखाव व संचालन के लिये दो करोड़ रुपये की धनराशि प्रतिमाह यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम को पूर्व में मिलती रही है जिसके अन्तर्गत एस0टी0पी0 प्लान्ट चलाना एवं यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के दृष्टिगत सभी तकनीकी यंत्रों का रख-रखाव आदि शामिल है। किन्तु विगत वर्ष से उपरोक्त एस0टी0पी0 के संचालन का अधिकार एवं धनराशि मथुरा एवं वृन्दावन नगर पालिकाओं को हस्तान्तरित कर दी गयी है। इन नगर पालिकाओं द्वारा उक्त कार्य नहीं किया जा रहा है। इस धनराशि को उस मद में खर्च न करके अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। जिससे दोनों नगरों के गन्दे नाले एवं सीवरेज आदि का पानी पुनः सीधे यमुना नदी में जा रहा है। जिस कारण यमुना जी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। दोनों पालिकाओं द्वारा यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के हित में कोई कार्य न कराये जाने के कारण गोकुल बैराज के द्वारा जिस पेयजल की आपूर्ति की जा रही है वो भी अत्यन्त बदबूदार हो चला है। नगर की जनता ने प्लान्ट के द्वारा शोधित जल को पीना छोड़ दिया है। मथुरा एवं वृन्दावन धार्मिक महत्व के शहर हैं जहां वर्ष भर लाखों श्रद्धालुओं का आगमन बना रहता है जो कि दर्शन आदि के साथ यमुना जी का आचमन एवं स्नान भी करते हैं। विगत माह की प्रसिद्ध यम द्वितीय पर्व के अवसर पर देश भर से आये श्रद्धालुओं ने श्री यमुना जी की अत्यन्त खराब स्थिति को देखकर स्नान तो दूर आचमन से भी परहेज किया। इससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है तथा इन नगरों की अन्तर्राष्ट्रीय छवि भी धूमिल हो रही है। मा0 सदस्य ने यमुना जी के शुद्धिकरण एवं मथुरा नगर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने व यमुना को प्रदूषण मुक्त करने हेतु पुरानी व्यवस्था को बहाल कराये जाने की अपेक्षा की है। अतः सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रख-रखाव हेतु मथुरा एवं वृन्दावन नगरपालिका परिषद् को दिये जाने वाली धनराशि जल निगम को इस कार्य हेतु आवंटित किया जाना आवश्यक है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मथुरा तथा वृन्दावन नगरों में यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को दिनांक 1-5-2006 से सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा हस्तगत कर लिया गया है तथा उक्त तिथि से परिसम्पत्तियों का संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धित नगर पालिकाओं द्वारा किया जा रहा है। यदि सम्बन्धित स्थानीय निकाय सृजित परिसम्पत्तियों का संचालन एवं रख-रखाव उ0 प्र0 जल निगम से कराना चाहती है तो सम्बन्धित स्थानीय निकाय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 जल निगम से (एम0ओ0यू0) करके संचालन एवं रखाव हेतु वांछित धनराशि उ0 प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायेगी।]

जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में एन0पी0 तटबन्ध के किनारे बाढ़ की कटान से प्रभावित लोगों को कहीं अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-19 स्थगित किया जाता है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर स्थित पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों हेतु शासन स्तर से धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सनातन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री सनातन पाण्डेय, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 4-12-2007 को जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर स्थित पूर्वांचल निधि राज्यांश के अन्तर्गत ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[स्वीकृत सड़कों हेतु शासन स्तर से धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गठित समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन आख्या प्राप्त हुई है प्राप्त स्थलीय सत्यापन आख्या का परीक्षण किया गया विकास खण्ड नगरा बाजार में पक्की नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य परियोजना के लिये त्रुटिरहित उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त है इस परियोजना पर अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रगति में है। जगदीशपुर मार्ग पर औदी हरिजन बस्ती से औदी पुल तक उच्चीकरण एवं लेपन कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 25-2-2004 द्वारा पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शेष परियोजनाओं में जिनमें पुनरीक्षित आगणन की आवश्यकता पाई गई है, के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आगणन पत्र संख्या-2768/23-14-07-8(6)बलिया/2004, दिनांक 14-11-2007 एवं पत्र संख्या-2770/23-14-07-8(61) बलिया/05, दिनांक 4-12-2007 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी बलिया से चाहे गये हैं जो अभी तक प्रतीक्षित है।].

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी के ग्राम सभा भौनापुर स्थित धार्मिक स्थल ठाकुर जी एवं मठ की सम्पत्तियों पर इमारती लकड़ियों के अवैध कटान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, खीरी से प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम सभा भौनापुर थाना-पसगवां, जनपद-खीरी के सरदार भजन सिंह के झाले के पास मठिया नामक एक धार्मिक स्थल है.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जो ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। उक्त धार्मिक स्थल के ट्रस्ट की करीब 110 बीघा जमीन है तथा मठिया के आस-पास आम, नीम, जामुन आदि के पेड़ लगे है। उक्त ट्रस्ट के सर्वराकार श्री चंदन दास यादव पुत्र पूरन दास यादव थे, जो देखभाल करते थे। उनके मरने के बाद चंदन दास के बड़े लड़के श्री गया प्रसाद यादव देखभाल करते है तथा यही सर्वराकार है। करीब 5-6 माह पहले श्री गया प्रसाद ने जंगल से 8 पेड़ जामुन के कटवाये थे, जिसकी शिकायत होने पर लकड़ी रुकवा दी गयी, जो अभी वही पड़ी है। श्री गया प्रसाद, श्रीमती परसेविका वर्मा, प्रधान पत्नी श्री कृष्णकान्त वर्मा ग्राम सभा भौनापुर व उसके लड़के दीपू द्वारा लकड़ी बेचने की बात असत्य पायी गयी।

उक्त मठिया में अष्टधातु की मूर्तियां नहीं थी। राम व सीता की पीतल की दो मूर्तियां थी। जंगल में चोरी होने के डर से सर्वराकार श्री गया प्रसाद ने अपने घर रख लिया है।]

जनपद बस्ती के थाना लालगंज के ग्राम बैरवा निवासी श्री शिवकुमार की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 31/1-11-2007 की रात्रि में जनपद-बस्ती के थाना मुण्डेरवा पर सूचना मिली है कि दो बदमाश मोटर साइकिल हीरो हाण्डा से भाग रहे हैं।.....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष वाल्टरगंज द्वारा मूड़ाघाट मार्ग पर भाग रहे बदमाशों को गिरफ्तार करने हेतु प्रयास किया गया, परन्तु भाग रहे बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने का प्रयास किया गया जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्म सुरक्षार्थ फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायरिंग से मोटर साइकिल सवार एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तथा उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। मारे गये अपराधी के पास एक पिस्टल तथा भारी मात्रा में फायर शुदा एवं जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त हीरो हाण्डा मोटर साइकिल बरामद हुई। मृतक अपराधी की शिनाख्त शिव कुमार पुत्र सन्त शरण निवासी ग्राम चकिया बैरवा, थाना-लालगंज के रूप में हुई। जनपद के थाना मुण्डेरवा के लूट के मुकदमें मु0अ0सं0 157/07, 160/07, 185/07, 206/07 एवं गैंगस्टर ऐक्ट मु0अ0सं0 295/07 में वांछित चल रहा था। इसके अलावा थाना दुवौलिया के मु0अ0सं0 65/07 धारा 356 भादवि में वांछित चल रहा था। थाना वाल्टरगंज में भाड़े के हत्या से सम्बन्धित जिनवा तिराहे पर हुई मुन्नू शुक्ला की हत्या अभियोग संख्या 232/07 में एवं थाना पैकोलिया में हुई लूट की घटना मु0अ0सं0 321/07 धारा 392 में भी यह वांछित चल रहा था। उक्त अपराधी माफिया शिव प्रसाद गैंग का सक्रिय सदस्य था एवं थाना लालगंज का हिस्ट्रीशीटर था तथा परिक्षेत्रीय स्तर पर उसके ऊपर 5000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त मृतक शिव कुमार चौधरी पुत्र स्व0 सन्त शरण चौधरी साकिन चकिया बैरवा थाना लालगंज जनपद बस्ती के विरुद्ध विभिन्न थानों में 11 अपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं। इसके मारे जाने पर लूट की घटनाओं पर अंकुश लगा है तथा आम जनता ने राहत की सांस ली है।]

जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक चतुर्थ खण्ड-23 एवं लालगंज रजबहा माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री अमेरिका प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन तथा

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2005 से 2007 के मध्य सरयू नहर में की गई सफाई की जांच कराने एवं टेलों तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23 व 24 को स्थगित किया जाता है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ए0बी0बी0 द्वारा गुणवत्ता के विरुद्ध कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद उन्नाव में 629 राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना था।.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[विद्युतीकरण का कार्य मेसर्स ए0बी0बी0 को राष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के माध्यम से आवंटित किया गया था। मेसर्स ए0बी0बी0 द्वारा 620 ग्रामों में विद्युतीय ढांचा खड़ा किया जा चुका है। ग्रामों के विद्युतीय ढांचे में प्रयुक्त तार, खम्भों एवं ट्रान्सफार्मरों का सत्यापन एवं कार्य की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं मेसर्स राइट्स/ईआरडीए बड़ोदरा द्वारा किया जा रहा है। अब तक 494 ग्रामों का निरीक्षण/सत्यापन इन संस्थाओं द्वारा किया जा चुका है। सभी ग्रामों का निरीक्षण विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा भी किया जाता है एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय की संतोषजनक आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही ग्रामों का ऊर्जीकरण किया जाता है। संस्थाओं द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को मेसर्स ए0बी0बी0 द्वारा निराकरण किये जाने एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त 65 ग्रामों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।]

मथुरा वृन्दावन की नगर पालिकाओं एवं गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा आने वाले पर्यटकों से प्रवेश कर हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन तथा

जनपद आजमगढ़ की नहरों में पानी न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26 व 27 को स्थगित किया जाता है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने सम्बन्धी जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 58 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 6 दिसम्बर, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0-20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33-34 पर)

आठवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1992-93 से 1996-97) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष का व्यय विवरण

विभाग-दुग्धशाला विकास उ0 प्र0।

		(धनराशि लाख रु0 में)						(धनराशि करोड़ रु0 में) योग
क्र0सं0	नाम योजना/मद	वर्ष 92-93	वर्ष 93-94	वर्ष 94-95	वर्ष 95-96	वर्ष 96-97	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निदेशन एवं प्रशासन (मैदानी)	0.11	44.45	0.84	1.28	1.35	48.03	0.50
2	शिक्षा एवं प्रशिक्षण व विस्तार	5.69	2.56	2.30	3.86	2.11	16.52	0.20
3	आपरेशन फ्लड योजना	648.26	1044.57	250.00			1942.83	19.40
4	दुग्धसंघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन मैदानी	372.95	494.30	541.30	562.64	513.80	2484.99	24.80
	उत्तराखण्ड	568.02	0.00				568.02	5.70
5	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मैदानी	50.00	80.00	40.579	40.56	70.81	281.95	2.80
	उत्तराखण्ड	2.03	0.00				2.03	0.00
6	दुग्ध सहकारिताओं की व्यवसायिक कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि	2.50	83.93	35.00	22.77	11.37	155.57	1.60
							0.00	0.00
7	एनडीडीबी के ऋण अदायगी हेतु पीसीडीएफ में अंशपूंजी विनियोजन	229.36	393.44	352.95	252.95	836.65	2065.35	20.70
8	सघन मिनी डेरी परियोजना	340.75		197.74			538.49	5.40

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

9	पी0सी0डी0एफ0 तथा दुग्धसंघों को विगत वर्षों में अंशपूंजी का अनुदान में परिवर्तन (पुश्त समायोजन)		746.35				746.35	7.50
10	उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद् को अनुदान सहायता		28.00	28.00	0.00	31.50	87.50	0.90
11	पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा तराई क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रम			390.00	200.00	510.00	1100.00	11.00
12	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना			60.99	59.17	14.50	134.66	1.30
13	भूमि, पावर लाइन, नलकूप एवं सिविल कार्य			217.18	294.68	255.18	767.04	7.70
14	दुग्ध सहकारिताओं को तकनीकी निवेश सेवाएं व प्रसार कार्य (ओ0एफ0)			268.90			268.90	2.70
15	पशु स्वास्थ्य एवं प्रसार कार्य				291.94	418.86	710.80	7.10
16	सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण					41.12	41.12	0.40
17	महिला डेरी अनुदान					12.92	12.92	0.10
18	डेरियां तथा चिलिंग प्लान्टों में प्रदूषण नियंत्रण अंशपूंजी					63.36	63.36	0.60
	योग :-	2219.67	2917.60	2385.78	1729.85	2783.53	12036.43	120.40

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64-65 पर)

जनपद उन्नाव में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रचलित 216 ग्रामों की सूची

तहसील	गांव
1	2
बीघापुर उन्नाव	1-त्रिपुरारपुर
	2-बनौमऊ
	3-बहरौला
	4-देवारा कलां
	5-सिहुरा
	6-औरहर
	7-घूरखेत
	8-तोरा
	9-तारगांव
	10-पड़रीकलां
	11-नेवरना
	12-खरौली
	13-पतारी
	14-पड़री खुर्द
	15-सिलौली गढ़ी
	16-कुलहा बगहा
	17-कोरारी कलां
	18-निबई गैर एहतमाली
	19-सराय कटियान
	20-रावल
	21-बन्दाखेड़ा
	22-थाना
	23-खटई
	24-हफीजाबाद
	25-ताजपुर नौबस्ता
हसनगंज	26-पुरथ्यांवा
	27-बसोखा मोहम्मदपुर
	28-रसूलाबाद
	29-नुरूउल्लानगर
	30-मुस्तफ़ाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
हसनगंज	31-जमालपुर
	32-मदारपुर कैलई
	33-कोरारी कलां
	34-पुरवा
	35-कोटरा
	36-जंगल जहानाबाद
	37-माखो
	38-विरसिंहपुर
	39-सकूर
	40-कवाना
	41-एतवारपुर
	42-रवनहार
	43-परेन्दा
	44-दिलबल
	45-अजैया खेड़ा
	46-कोडरा
	47-जैतीपुर
	48-आदमपुर बरेटी
	49-जसमड़ा बब्बन
	50-जसमड़ा रमई
	51-महनौरा
	52-आशाखेड़ा
	53-गागन
	54-बछौली
	55-राई
	56-गेरूवा
	57-बयारीगांव
	58-थमियाना
	59-पूराचांद
	60-थरिया
	61-औरास
	62-कटरा औरास
	63-मिर्जापुर अजगवां
	64-नन्दौली
	65-शाहपुर तोंदा
	66-अलीपुर मिचलौला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
हसनगंज	67-बधवाकोला
	68-नरसा
	69-करचल
	70-विनयका
	71-बीजीमऊ
	72-कुलहा अटौरा
	73-हैदराबाद
	74-कनिगांव
	75-भरहासमसपुर
	76-कुरौली
	77-हिलालमऊ
	78-पमोधिया
	79-दयालपुर
	80-मदनखेड़ा
	81-आलमपुर लतीफपुर उर्फ मुन्नीखेड़ा
	82-सन्दाना
	83-कुरौरा
	84-हरौनी शमशुद्दीनपुर
	85-समदपुर हरदासपुर
	86-बीबीपुर चिरयारी
	87-घूरामऊ
	88-रसूलपुर बकिया
	89-जखैला
सफीपुर	90-दबौली
	91-गोरिया खुर्द
	92-भिखरीपुर स्त्रल
	93-आलमपुर रेतवा
	94-मऊ
	95-मल्हपुर
	96-चहलहा
	97-जीरकपुर
	98-जागड़
	99-शाहबाजपुर
	100-कमलापुर
	101-पुराहास
	102-सिन्धूपुर बेरिया गढ़ा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
सफीपुर	103-मदारपुर
	104-सेतुबही
	105-परशुरामपुर गैर एहतमाली
	106-रूपपुर पाया
	107-सकरौली
	108-माढ़ापुर
	109-नगरही
	110-हर्फीजाबाद
	111-उसमानपुर
	112-मुस्तफाबाद
	113-जोगीकोट
	114-पलिया
	115-चकमीर नगर
	116-गौरा
	117-मटियापुर
	118-अरशद मोहिद्दीनपुर
	119-सुरसैनी
	120-नगवा
	121-नैवलापुर
	122-मुस्तफाबाद
	123-हरियावर
	124-हड़िया सुनौरा
	125-मुदरी
	126-इस्माइलपुर अम्बापारा
	127-चकमीरापुर
	128-सहदानी
	129-सैदापुर
	130-गोभा प्रयागपुर
	131-दसदान
	132-माढ़ापुर
	133-साहिकपुर
	134-रसूलपुर खरी
	135-सलेमपुर
	136-शार्दापुर
	137-आशायश
	138-तमौरिया बुजुर्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
सफीपुर	139-तमौरिया खुर्द
	140-गौरिया कलां
	141-अशरफाबाद
	142-ढोलौवा
	143-अरगूपुर
	144-रामकोट
	145-खामामऊ
	146-ब्योली इस्लामाबाद
	147-जगतपुर जट्टापुर
	148-रघुरामपुर
	149-खम्भौली
	150-ताहिरपुर
	151-उमरपुर बखतौली
	152-लोनियाहार
	153-चांदपुर
	154-लाड़पुर
	155-चीतेपुर
	156-झखरा
	157-मटुकरी
	158-नेवादा धर्मदास
	159-अमीरपुर गम्भीरपुर
	160-अमदाबाद
	161-बरौंकी
	162-कलवारी
	163-हयातनगर
	164-चक हनुमान
	165-चहोलिया
	166-हरईपुर
	167-महोलिया
	168-दसगवां
	169-जहांगीराबाद
	170-अटवा बैंक
	171-भटौली
	172-कैथोली
	173-अवैक
	174-कपूरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
सफीपुर	175-हादीदादपुर
	176-जटपुर बेल्थरा
	177-पट्टीगोवा
	178-भिक्खनपुर गोपालपुर
	179-बेहटा मुजावर
	180-मनीपुर
	181-हसनपुर मजरा
	182-सुम्मापुर
	183-रानीपुर ग्रन्ट
	184-मुरादाबाद
	185-बहलालपुर
	186-सरसरांय
	187-देवखरी
	188-मुकरेपुर
	189-चोरहा
	190-महाराजपुर
	191-आलमपुर सरांय
	192-जफराबाद
	193-बल्लापुर
	194-जालेपुर
	195-कुशराजपुर
	196-बेहटा कच्छ
	197-लहरापुर
	198-नसीरपुर भिक्खन
	199-भकवन्तपुर गोपटपाली
	200-कबीरपुर
	201-हैवतपुर
	202-गोशा कुतुबपुर
	203-मदारनगर
	204-हीरापुर
	205-फतेहपुर हमजा
	206-फतेहपुर खालसा
	207-गोतहवा
	208-दारापुर
	209-मैलाआलमशाह गैर एहतमाली
	210-जगतनगर गैर एहतमाली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
सफीपुर	211-जुमरिया बांगर
	212-शाहपुर सगौड़ा
	213-हसनपुर सगौड़ा
	214-जगतनगर एहतमाली
	215-चक कछौली
	216-सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 90 पर)

दिनांक 16-7-05 से 3-7-07 तक तहसील पट्टी में किये गये आवंटन का ग्राम सभावार विवरण

क्र0सं0	ग्राम का नाम	स्वीकृति दिनांक	कृषि आवंटन		मत्स्य पालन आवंटन		आवास आवंटन		वृक्षारोपण आवंटन		अभ्युक्ति
			व्यक्ति	रकबा	व्यक्ति	रकबा	व्यक्ति	रकबा	व्यक्ति	रकबा	
1	2	3	4		5		6		7		8
1	केवटली/दाउदपुर	20/05/2006	10	0.437							प्रस्ताव से
2	कोटियार	2/5/2006					1	0.013			स्वप्रेरणा से
3	उसरौली	16/5/2006					2	0.026			स्वप्रेरणा से
4	ब्राह्मिपुर	22/12/2006					1	0.013			स्वप्रेरणा से
5	आनापुर	7/2/2006							1	0.239	स्वप्रेरणा से
6	रायपुर	17/5/2006							1	0.126	स्वप्रेरणा से
7	तरदहा	17/5/2006							1	0.025	स्वप्रेरणा से
8	आनापुर	7/12/2006							1	0.051	स्वप्रेरणा से
9	रामपुर बेला	26/9/2006			1	0.487					स्वप्रेरणा से
10	बेसार	26/12/2006			1	0.345					स्वप्रेरणा से
11	लाखीपुर कंप्सा	13/9/2006	4	0.773							प्रस्ताव से
12	विभारपुर	2/5/2006					1	0.013			स्वप्रेरणा से
13	केवटली/दाउदपुर	20/5/2006					11	0.162			प्रस्ताव से

अतारांकित प्रश्न विधानसभा

14	बाभनपुर	7/8/2006					2	0.024			स्वप्रेरणा से
15	रेड़ीगारापुर	7/8/2006					6	0.072			स्वप्रेरणा से
16	रामगंज	20/9/2006					11	0.161			प्रस्ताव से
17	गौरामाफी	18/9/2006					1	0.013			स्वप्रेरणा से
18	लबेदा	6/12/2006					7	0.091			स्वप्रेरणा से
19	महड़ौरा	26/12/2006					10	0.130			स्वप्रेरणा से
20	केवटली/दाउदपुर	10/10/2006					18	0.234			प्रस्ताव से
21	मझगवां	17/8/2006							1	0.095	स्वप्रेरणा से
22	बैजलपुर	31/12/2006							9	0.605	प्रस्ताव से
23	गोदल पट्टी	22/3/2006			1	1.720					स्वप्रेरणा से
24	तेलियानी	25/3/2006			1	0.396					स्वप्रेरणा से
25	भदवछ	26/12/2006			1	0.379					स्वप्रेरणा से
26	सुजानगढ़	23/5/2006					4	0.013			स्वप्रेरणा से
27	कन्धई मधुपुर	4/9/2006					14	0.182			स्वप्रेरणा से
28	कापा मधुपुर	19/9/2006					3	0.050			स्वप्रेरणा से
29	भिवनी	25/11/2006					5	0.035			स्वप्रेरणा से
30	हरिदत्तपुर	20/5/2006							2	0.135	स्वप्रेरणा से
31	भौसिया	23/5/2006							2	0.114	स्वप्रेरणा से
32	सरसीडीह	1/9/2006							1	0.411	स्वप्रेरणा से
33	हरदोई	22/9/2006							4	0.114	स्वप्रेरणा से

1	2	3	4		5		6		7		8
34	विजहरा	6/9/2006			1	0.379					प्रस्ताव से
35	सरसी खाम	13/11/2006			1	0.623					प्रस्ताव से
36	खभोर	23/5/2006							8	0.535	स्वप्रेरणा से
37	मनैतापुर	23/8/2006							2	0.172	स्वप्रेरणा से
38	करनपुर खूझी	11/1/2007					13	0.170			प्रस्ताव से
39	खभोर	7/6/2007					6	0.128			स्वप्रेरणा से
40	खभोर	12/2/2007			1	0.759					स्वप्रेरणा से
41	बरहूपुर	2/1/2007			1	0.356					स्वंप्रेरणा से
42	अतरसण्ड	31/1/2007			11	5.783					प्रस्ताव से
43	पूरे रामदेव/ नरहरपुर	11/2/2007			2	1.126					स्वप्रेरणा से
44	अमसौना	12/2/2007			1	0.506					स्वप्रेरणा से
45	मंगरौरा	12/1/2007			3	1.012					स्वप्रेरणा से
46	गुतौली	8/2/2007			1	0.253					स्वप्रेरणा से
47	अस्थरा	6/2/2007			1	0.379					स्वप्रेरणा से
48	साल्हीपुर कंजास	4/1/2007							6	0.458	स्वप्रेरणा से
49	कन्थई मधुपुर	2/1/2007							6	0.378	स्वप्रेरणा से
50	सिकरी कानूपुर	12/1/2007							1	0.278	स्वप्रेरणा से
51	धरौली मुफरिद	10/2/2007							1	0.114	स्वप्रेरणा से

प्रति परेषण हेतु

52	वारी कला	22/5/2007							1	0.049	स्वप्रेरणा से
53	अस्थरा	17/2/2007							1	0.070	स्वप्रेरणा से
54	डोमनपुर	19/6/2007							2	0.252	स्वप्रेरणा से
55	कापा हिस्सा-11	29/6/2007							1	0.214	स्वप्रेरणा से
56	परसण्डा	23/6/2006							1	0.025	स्वप्रेरणा से
57	रायगढ़	11/1/2007	1	0.013							स्वप्रेरणा से
58	रमईपुर नेवादा	8/1/2007			1	0.354					स्वप्रेरणा से
59	डेढुआ	19/2/2007			1	0.938					स्वप्रेरणा से
60	उमरडिहा	10/2/2007			1	0.253					स्वप्रेरणा से
61	भरोखन	10/2/2007			1	0.443					स्वप्रेरणा से
62	उदईशाहपुर	19/2/2007			1	1.012					स्वप्रेरणा से
63	लबेदा	17/2/2007			4	2.686					प्रस्ताव से
64	उमापुर	10/2/2007			1	1.265					स्वप्रेरणा से
65	पर्वतपुर सुलेमान	24/5/2007			1	0.379					स्वप्रेरणा से
66	रायपुर	2/6/2007			1	0.143					स्वप्रेरणा से
67	बाभनपुर	12/1/2007					1	0.008			स्वप्रेरणा से
68	डेढुआ	3/1/2007					4	0.048			स्वप्रेरणा से
69	ढाढर	20/1/2007					2	0.026			स्वप्रेरणा से
70	कोपा	9/2/2007					2	0.010			प्रस्ताव से
71	मढरामऊ	29/1/2007					4	0.047			स्वप्रेरणा से

1	2	3	4		5		6		7		8
72	धरौली	10/2/2007					5	0.051			स्वप्रेरणा से
73	केवटली/दाउदपुर	10/2/2007					2	0.026			स्वप्रेरणा से
74	उमापुर	29/1/2007					5	0.065			स्वप्रेरणा से
75	सलाहपुर	17/2/2007			1	0.563					स्वप्रेरणा से
76	सलाहपुर	10/2/2007			1	0.563					स्वप्रेरणा से
77	रामपुर बेला	13/2/2007			1	0.696					स्वप्रेरणा से
78	दुर्गा देई	7/6/2007			1	0.506					स्वप्रेरणा से
79	बेसार	29/5/2007							1	0.082	स्वप्रेरणा से
80	पूरे बाबू	29/6/2007					1	0.008			स्वप्रेरणा से
81	ठनेपुर गोपापुर	23/11/2007					2	0.026			स्वप्रेरणा से
82	सिकरी कानूपुर	23/11/2007							1	0.033	स्वप्रेरणा से

प्रेस प्रति विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 499 विधान सभा (967)-18-3-08-813 (कम्प्यूटर)।